सोमवार,
१४ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, १४ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूंजी निर्गमन

*८९३. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में पूंजी निर्गमन के लिय कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितने निपटाये गये तथा प्रत्येक श्रेणी में कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

(ख) कितने आवेदन पत्र भारत स्थित समवादों में विदेशी पूंजी के विनियोजन के सम्बन्ध में थे और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ?.

(ग) उनमें से कितन आवेदन पत्र स्वीकार किय गये तथा कितने अस्वीकार किये गये ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) १ जनवरी से ३० नवम्बर, १९५३ तक २८५ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें कुल ६८.७ करोड़ रुपये की पूंजी निर्गमित किये जाने की अनुमति मांगी गई थी । उसी अवधि में २१० आवेदन पत्र निपटाये गये जिनमे कुल ४७.४ करोड़ रुपये की

पूंजी निर्गमित किये जाने की अनुमति मांगी गई थी ।

(ख) प्राप्त आवेदन पत्रों में से ६७ में (जिनमें कुल १५.३ करोड़ रुपये की पूंजी निर्गमित किये जाने की अनुमति मांगी गई थी) ५.७ करोड़ रुपय का विदशी विनियोजन अन्तर्ग्रस्त था ।

(ग) (१) उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट, निपटाये गये आवेदनपत्रों में से १८४ आवेदन पत्र, जो ४३.३ करोड़ रुपये की पूंजी के निर्गमन के सम्बन्ध में थे, स्वीकृत कर लिये गये और २३ आवेदनपत्र, जो ३.३ करोड़ रुपये की पूंजी के सम्बन्ध में थे अस्वीकृत कर दिये गये ।

(२) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट, प्राप्त आवेदन पत्रों में से ४५ आवेदन पत्र, जो ३.२ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी के विनियोजन के सम्बन्ध में थे, स्वीकृत कर लिये गये और ७ आवेदन पत्र, जो २० लाख रुपये की विदेशी पूंजी के विनियोजन के सम्बन्ध में थे, अस्वीकृत कर दिय गये ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या नवीन निर्गमनों के वास्तविक विनियोजन के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्य हैं, और यदि हैं, तो पूंजी निर्गम नियंत्रक ने कुल जितनी पूंजी के निर्गमित किये जाने की मंजूरी दी उसमें से कितनो प्रतिशत पूंजी वास्तव में जारी की गई ?

श्री एम० सी० शाह : त्रैमासिक आंकड़े प्राप्य हैं। वे पुस्तकालय में मौजूद हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है जिससे ऐसे पूंजी निर्गमन के सम्बन्ध में जो पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम के क्षेत्र में नहीं आता है आंकड़े एकत्रित किये जा सकें ?

श्री एम० सी० शाह : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : कुल कितनी पूंजी के निर्गमित किये जाने की मंजूरी दी गई उसमें से कितनी प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनों के लिये अभिप्रेत थी और वे कौन कौन से उद्योग थे जिनके लिये पूंजी निर्गमन की मंजूरी दी गई ?

श्री एम० सी० शाह : नये समवायों के लिये २२ आवेदन पत्र थे। ६६ आवेदन पत्र, जो १२.३ करोड़ रुपये की पूंजी के सम्बन्ध में थे, बोनस शेयरों के लिये थे। १३ आवेदनपत्र, जो ६.७ करोड़ रुपये की पूंजी के सम्बन्ध में थे, ऋण-पत्रों के जारी किये जाने के लिये थे। ६३ आवेदन पत्र, जो १७.३ करोड़ रुपये की पूंजी के सम्बन्ध में थे, वर्तमान समवायों द्वारा अतिरिक्त पूंजी के निर्गमन के लिये थ ।

हमारी नीति यह है कि जब कभी कोई आवेदन पत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योगों के सम्बन्ध में दिया जाता है और वह भारतीय समवाय अधिनिमय के उपबन्धों के अनुसार होता है तो उस पर स्वत: ही मंजूरी दे दी जाती है। जहां तक अन्य उद्योगों का सम्बन्ध है, हम औद्योगिक विकास के लिये पंचवर्षीय योजना में निर्धारित सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं। जो आवेदन पत्र इन दोनों वर्गों के अतिरिवत होते हैं वे सामान्यत: अस्वीकार कर दिये जाते हैं।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री यह सूचना देने की कृपा करेंगे कि भारत में जो विदेशी पूंजी पहले से लगी हुई है उसमें से कितनी अब भारतीय पूंजी पतियों द्वारा विदेशी सार्थों के खरीदे जानेके कारण देश से बाहर चली गई है ?

श्री एम० सी० शाह : यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। इसके लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री मेघनाद साहा : मैं ठीक तरह से समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ टेक्नोलोजी

*८९४. **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टक्नोलौजी का औद्योगिक प्रबन्ध विभाग (डिपार्टमेंट आफ इंडस्ट्रियल मेनेजमैंट), जिसके लिये एक शिक्षा विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन से आमंत्रित किया गया था, पूर्ण रूप से संगठित कर दिया गया है और कार्य कर रहा है ;

(ख) इस विभाग का कार्यक्षेत्र और क्षमता क्या हैं ;

(ग) प्रशिक्षण के लिये कुल कितने व्यक्ति दाखिल किये गये हैं ;

(घ) क्या इसमें दाखिला सर्वसाधारण के लिये खुला है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो दाखिले के निर्देश तथा शर्तें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ङ). आपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा

जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस इंस्टीट्यूट में औद्योगिक प्रबन्ध विभाग खोलने में कितना समय लगेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : औद्योगिक प्रबन्ध अध्ययन विभाग पूर्ण रूप से संगठित कर लिया गया है, परन्तु अभी हमें कोई विभागाध्यक्ष नहीं मिल सका है । हम इस पद के लिये बाहर से कोई विशेषज्ञ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : आम जनता के दाखिले के सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध का निर्देश करते हुए, मैं जान सकता हूं कि क्या इन्स्टीट्यूट में जनसाधारण में से किसी व्यक्ति को दाखिल किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : यद्यपि उक्त अध्ययन के लिये जन साधारण को भी अवसर दिया जाता है, तथापि हम साधारणत: उन व्यक्तियों को ही अधिमान देते हैं जो पहले से ही किन्हीं उद्योगों अथवा अन्य संस्थाओं में सेवायुक्त हैं, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन से ऐसे व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाये जाने की अधिक सम्भावना है ।

सरदार हुक्म सिंह : भाग (क) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ प्रारम्भ में छ: मास के लिये बुलाया गया था । क्या अब वह वापस चला गया है या उसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है

श्री के० डी० मालवीय : वह यहां बीमार पड़ गये थे और उन्होंने यहां और अधिक रहना पसन्द नहीं किया; छ: मास समाप्त होने पर वह वापस चले गये ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस इंस्टीट्यूट की शासिका समिति (गवर्नरिंग बॉडी) के सदस्य कौन हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास यहां पूरा ब्योरा नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विभागाध्यक्ष के पद के लिये विज्ञापन भारत में ही निकाला गया है या विदेशों में भी निकाला गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं । इसका विज्ञापन नहीं निकाला गया है । हम स्वयं ही किसी व्यक्ति को चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री मुनिस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस इंस्टीट्यूट में सब के सब औजार और उपकरण हमारी सरकार द्वारा ही खरीदे गये थे या विदेशों की किन्हीं संस्थाओं द्वारा बिना मूल्य प्राप्त हुये थे ?

श्री के० डी० मालवीय : वे अधिकांश रूप से खरीदे गये थे ।

विश्वविद्यालय विकास योजना

*८९५. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय तथा अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत या अन्यथा विचार किया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुमोदित तथा स्वीकृत विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) केन्द्रीय सरकार कितना आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय वहन करेगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]

श्री एस० एन० दास : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के प्रसंग में, क्या मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : उत्तर में जो राशि बताई गई है उसका ब्योरा इस प्रकार है । अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद् ने १४ टैक्निकल संस्थाओं को जिनका अनावर्तक व्यय ८५,३८,००० रुपये और आवर्तक व्यय १५,३२,००० रुपये था, सहायता दिये जाने की सिपारिश की थी । योजना के अन्तर्गत उन्हें ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में १७ लाख रुपये दिये जायेंगे । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत टैक्निकल शिक्षा के लिये ८,२०,००० रुपये अनावर्तक व्यय के रूप में मंजूर किये गये हैं ; आवर्तक व्यय या ऋण के रूप में कुछ नहीं दिया जायेगा । उच्च वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान के लिये ७४,८१,९०० रुपये अनावर्तक और ३९,७०० रुपये आवर्तक व्यय के रूप में मंजूर किये गये हैं । ऋण के रूप में दिये जाने के लिये कुछ मंजूर नहीं किया गया है । शास्त्रीय तथा साहित्यक विषयों के लिये ५६,४८,००० रुपये अनावर्तक व्यय तथा १५,६६,००० रुपये आवर्तक व्यय के रूप में दिये जाने के लिये मंजूर किये गये हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या विश्वभारती में निकट, मध्य तथा सुदूर पूर्व की विदेशी भाषाओं के अध्यापन के लिये सुविधायें प्रदान करने की योजना स्वीकार कर ली गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : विशेष रूप से इस बात के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता ।

श्री राधेलाल व्यास : आगरा विश्वविद्यालय द्वारा कितनी विकास योजनायें प्रस्तुत की गई हैं और उनमें से कितनी मध्य भारत में क्रियान्वित की जायेंगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : इस वक्त तो इसका जवाब नहीं दिया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना चाहते हैं ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या सरकार का विचार कालेज शिक्षा को हमारी शिक्षा प्रणाली में एकरूप स्तर स्थापित करने के लिये उसे अपनी देखरेख में तथा नियंत्रण में ले लेने का है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

कच्चे माल का पर्यालोकन

*८९६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में भारत के दुर्लभ खनिज पर्यालोकन एकक (यूनिट) द्वारा कच्चे माल का पर्यालोकन किया जा रहा है ?

(ख) क्या बिहार में किसी दुर्लभ खनिज पदार्थ का पता चला है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). जी हां ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : पिछले सत्र में पूछे गये मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि बिहार में यूरेनियम के बड़े निक्षेपों का पता लगा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन निक्षेपों का पता बिहार के किस हिस्से में, किस जिले में, तथा कितनी मात्रा में लगा है ?

श्री के० डी० मालवीय: बिहार के एक बड़े इलाके में यूरेनियम तथा बेरीलियम के होने का पता चला है, परन्तु इस समय यह कहना कि यूरेनियम किस स्थान पर पाया गया है उचित नहीं होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या केवल पर्यालोकन ही किया गया है या जहां तक यूरेनियम का सम्बन्ध है कोई पूर्वेक्षण भी किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: कुछ क्षेत्रों में यूरेनियम व बेरीलियम की ठीक ठीक मात्रा का पता लगाने के उद्देश्य से पूर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या चित्तूर जिले में, जो पहले मद्रास राज्य में था अब आन्ध्र राज्य में है, जहां कहा जाता है कि वहां सोना पाया जाता है कोई पर्यालोकन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: सोना ?

श्री के० डी० मालवीय: सोने का यूरेनियम या बेरीलियम से कोई ताल्लुक नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह: बिहार में जो सर्वे किया गया है वह किन ज़िलों में हुआ है और कहां कहां यूरेनियम पाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: मैंने अभी कहा कि किन जिलों में यूरेनियम की यह लम्बी लकीर पाई गई है इसका बताना बहुत युक्तिसंगत नहीं होगा ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह: देश के किन अन्य भागों में पर्यालोकन किया गया है या किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय: जहां कहीं भी भूतत्वीय विशेषज्ञ यह समझते हैं कि इन खनिज पदार्थों के पाये जाने की सम्भावना है ।

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत अपील

*८९७. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ के निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत कितने मामले इस समय तक उच्चतम न्यायालय में गये हैं ?

(ख) कितने ऐसे मामलों में निम्न न्यायालय का निर्णय यथावत् रखा गया तथा कितने मामलों में वह रद्द किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम १९५२ के लागू होने के समय से अर्थात् ३० सितम्बर, १९५२ से १५ नवम्बर, १९५३ तक ३३५ मामले इस अधिनियम के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये ।

(ख) ७४ मामलों में निरोध आज्ञाओं को यथावत् रखा गया तथा ८३ मामलों में इसे रद्द कर दिया गया । भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं कि इन में से कितने मामले उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपीलों के रूप में प्रस्तुत किये गये थे । हो सकता है कुछ मामले संविधान के अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत सीधे ही उच्चतम न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये गये हों ।

इसके अतिरिक्त १५ नवम्बर, १९५३ को २० मामले अनिर्णीत पड़े थे तथा १५८ मामलों में राज्य सरकारों ने निरोधाज्ञायें वापस ले ली थीं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: उत्तर के भाग (क) से जैसा कि उत्पन्न होता है, ३३५ मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुये थे । मैं जान सकता हूं कि क्या

परामर्शदात्री पर्षद् ने उन ३३५ मामलों पर पुनर्विचार किया था ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय मंत्री ने पहले ही इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी परिचालित की हुई है।

श्री दातार : श्रीमान्, यह मामला चर्चा के लिये प्रस्तुत हो रहा है।

श्री वी० जी० देशपांडे : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि दिल्ली राज्य की ओर से बन्दी, प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी कितनी याचिकायें उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं तथा कितने मामलों में बन्दियों की मुक्ति के आदेश जारी किये गये ?

श्री दातार : जहां तक दिल्ली राज्य का सम्बन्ध है, उसके २८ मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष थे। पांच मामलों में निरोधाज्ञायें यथावत् रखी गईं तथा १३ मामलों में रद्द कर दी गईं। १० नज़रबन्द उच्चतम न्यायालय के फैसले के पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा मुक्त कर दिये गये थे।

पालम हवाई अड्डा

***८९८. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पालम हवाई अड्डे का उपयोग करने वाली एयर लाइनज़ कम्पनीज़ नें यह शिकायत की है कि प्रकाश सम्बन्धी सुविधाओं की अपर्याप्ता के कारण वायुयान चालकों को वहां उतरने में बड़ी कठिनाई हो रही है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही करन का विचार रखती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) सरकार वहां अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक नभश्चरण संघटन प्रमापों के अनुसार तीव्र प्रकाश सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की प्रस्थापना करती है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या यह तथ्य है कि पर्याप्त प्रकाश सुविधाओं का प्रश्न गत चार वर्षों से निलम्बित था ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, श्रीमान्, गत चार वर्षों से यह निलम्बित नहीं था, बहुत बाद को—६ मार्च, १९५३ को—कमांडर गालपिन द्वारा उठाया गया था।

श्री जोकीम आल्वा : के० एल० एम० दुर्घटना बम्बई में सन् १९४९ में हुई थी। मैं जानना चाहता हूं सन् १९४९ से लेकर सन् १९५३ तक सरकार ने हमारे हवाई अड्डों को मौसिम सम्बन्धी सूचना, प्रकाश सुविधाओं तथा धावन पथ सम्बन्धी सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिये क्या कार्यवाही की है।

सरदार मजीठिया : मैं इसका वैसे ही उत्तर दे रहा हूं। इस प्रश्न का सम्बन्ध संचरण मंत्रालय से है, परन्तु कुछ सुधार किये गये हैं। पुरानी गूज़-नेक प्रकाश व्यवस्था के स्थान पर हम ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जान वाली विद्युत प्रकाश प्रणाली को लागू किया है। उस से स्थिती कुछ सुधर गई है परन्तु फिर भी वह निश्चित स्तर तक नहीं आ सकी है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि संचरण मंत्रालय कब से इस हवाई अड्डे का कार्यभार संभालेगा

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संचरण मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है तथा इसे संचरण मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाना है ।

सरदार मजीठिया : श्रीमान, जैसा कि आपने ठीक ही कहा था, यदि कि इस प्रश्न को वह संचरण मंत्रालय से पूछेंगे तो उन्हें इस का समुचित उत्तर मिलेगा ।

प्रशासनिक विलम्ब

*८९९. **श्री दाभी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि योजना आयोग की समिति के अनुसार लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होना है; तथा

(ख) यदि यह तथ्य है, तो सरकार ने प्रशासन की विभिन्न शाखाओं म इसके उन्मूलन के विषय में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां । प्रथम पंचवर्षीय योजना में यही सम्मति प्रकट की गई है तथा सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक संघटन में विलम्ब के कारणों का ध्यान पूर्वक परीक्षण किया जाये तथा आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

(ख) योजना में यह भी सिपारिश की गई है कि एक संघटन तथा उपाय विभाग स्थापित किया जाये तथा निरीक्षण के लिये एक नियमित प्रणाली होनी चाहिये । संघटन तथा उपाय विभाग स्थापित करने का पहले ही निर्णय किया जा चुका है । कार्यालय निरीक्षण की एक प्रणाली भी प्रारम्भ की गई है । संघटन तथा उपाय विभाग का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि ऐसे निरीक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप से तथा ठीक तरह से किये जायें । इसका काम यह देखना भी होगा कि विलम्ब होने के कारणों की निरंतर जांच तथा पुनरीक्षण किया जाता रहे ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि की गई कार्यवाही कहां तक सफल सिद्ध हुई है ?

श्री दातार : कार्यवाही अब कार्यान्वित के प्रायः अन्तिम स्तर पर है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा कितनी देर से अनिर्णीत पड़े हैं ?

श्री दाभी : क्या यह तथ्य नहीं कि कई मामलों में लाईसैंसदारों को आवश्यक परमिट देने में बिलम्ब होने के कारण लोग सम्बन्धित अधिकारियों को रिश्वत देने के लिये विवश हुये हैं ?

श्री दातार : मुझे इसकी जानकारी नहीं..

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यह सभी उपाय कब से लागू होंगे ?

श्री दातार : यह कुछ ही दिनों में लागू होंगे ।

पैप्सू के लिये निर्वाचक नामावली

*९०२. **श्री अजित सिंह :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पैप्सू के आगामी साधारण निर्वाचन की निर्वाचक नामावलियां प्रकाशित कर दी गई हैं ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो यह कब प्रकाशित की जायेंगी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) (क) तथा (ख). पैप्सु सरकार ने अन्तिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावली को कल अर्थात १५ दिसम्बर १९५३ को प्रकाशित करने के सम्बन्ध व्यवस्था पूरी कर ली है ।

श्री अजित सिंह : श्रीमान्, मैं पैप्सू में चुनाव कराये जाने का दिनांक ज्ञात कर सकता हूं ?

डा० काटजू : मैं इस सम्बन्ध में कल या परसों एक घोषणा करने की आशा करता हूं । चुनाव फरवरी के अन्त में किसी समय कराये जायेंगे ।

श्री अजित सिंह : मैं जान सकता हूं कि सरकार को कितनी आपत्तियां तथा दावे प्राप्त हुये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डा० काटजू : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

लचीला पत्थर

*१०४. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञनिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पैप्सू राज्य के महेन्द्रगढ़ ज़िले में कोई 'लचीला' पत्थर पाया जाता है; तथा

(ख) क्या इसका किसी कार्य विशेष के लिये उपयोग किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । खनिज पदार्थों को उपयोग में लाने का भार राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है । पैप्सू सरकार ने सूचना दी है कि उक्त पत्थर का उपयोग अभी किसी भी कार्यविशेष के लिये इस समय नहीं निकाला गया है, कला की विलक्षण वस्तु के अलावा इसका कोई व्यवसायिक उपयोग मालूम नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार इस बात की जांच करने का विचार रखती हैं कि इसे किन किन अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमने पहले ही कुछ पूछ ताछ की है तथा हमारे विशेषज्ञों ने हमें सूचना दी है कि इस प्रकार का पत्थर का कोई विशेष उपयोग नहीं किया जाता है । केवल कुछ मामलों में इसका निर्माण वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है ।

श्री अजित सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस लचीले पत्थर की विशेषतायें क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

थोक मूल्य देशनांक

*१०५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री सन् १९५३ की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही में भारत में रहे थोक मूल्यों के देशनांक को बताने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४,अनुबन्ध संख्या ४९]**

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि सरकार की आयात निर्यात नीति का देशनांक मूल्यों पर कितान प्रभाव पड़ता है ?

श्री बी० आर० भगत : मूल्य देशनांक के लिये कई बातें ज़िम्मेदार होती हैं तथा यह कहना कि सरकार की आयात नीति का इस पर कितना कुछ प्रभाव पड़ा है कठिन है । परन्तु जैसा कि मैंने निवेदन किया इसके लिए सरकार की आर्थिक नीति से सम्बन्धित अन्य कई तथ्य भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस अवाध के लिए विदेशों के आर्थिक देशनांक मूल्यों के साथ इसकी तुलना की है ?

श्री बी० आर० भगत : एक सेंट्रल बैंक होने के नाते मूल्य स्थिति का रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर रूप से अध्ययन किया जा रहा है। तथा अपने अध्ययन के एक भाग के रूप में सदैव ही ऐसी तुलना करना उस का सामान्य कर्तव्य है ।

श्री नानादास : सन् १९५३ के प्रथम अर्धांश में थोक मूल्य देशनांक में निरन्तर रूप से वृद्धि हुई है । श्रीमान्, मैं इस वृद्धि का कारण जान सकता हूं ?

श्री बी० आर० भगत : जैसे कि मैंने निवेदन किया इस वृद्धि का ठीक ठीक कारण बताना कठिन है । एक कारण सम्भवतः सन् १९५२-५३ में कुछ फसलों, जैसे कि कपास, मूंगफली तथा चाय का कम उत्पादन होना है । दूसरा कारण आयात में हुई कमी तथा सूती कपड़े की मांग के कारण निर्यात में हुई वृद्धि है तथा इस के परिणामस्वरूप कुछेक वस्तुओं के सट्टे में व्यापारियों द्वारा पुनः दिलचस्पी ली जानी है । तो यह सारी बातें मूल्य वृद्धि के लिए ज़िम्मेदार होंगी ।

श्री मुहीउद्दीन : क्या सरकार बाट तथा मूल्य वर्ष में परिवर्तन करके थोक मूल्य देशनांक का पुनरीक्षण करने का विचार रखती है ?

श्री बी० आर० भगत : जी नहीं, श्रीमान् ।

पर्वता रोहण स्कूल

*९०७. **डा० एम० एम० दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दार्जीलिंग में एक पर्वतारोहण स्कूल, जिस के मुख्य शिक्षक श्री तेनसिंह होंगे, खोलने की कोई योजना सरकार के पास आई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी और संस्था ने भी गवर्नमेंट के पास इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र भेजा है कि उसे भी सहायता दी जाय ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । जो सूचना हमारे पास है उस से मैं यह कह सकता हूं कि एक ग़ैर सरकारी संस्था दार्जीलिंग में कायम की जा रही है । तेनसिंह और ग्लैथर्ड जो स्विस माउंटेनियरिंग स्कूल के विशेषज्ञ हैं, वह मिल कर एक योजना बना रहे हैं । केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार भी इस में सहायता करने वाली हैं ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस संस्था को स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार कितना अंशदान देगी ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

चान्दी शोधन परियोजना

*९०८. **डा० एम० एम० दास :** क्या वित मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या १४०४, जिसका उत्तर १७ अप्रैल, १९५३ को दिया गया, का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चान्दी शोधन परियोजना के लिये अपेक्षित यंत्र के लिये आर्डर दिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो मशीनों के पहुंचने की कब आशा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह मशीनें निर्माताओं द्वारा तीन प्रभागों में सम्भरण की जानी हैं ।

आशा है कि यह प्रभाग क्रमशः मई, जुलाई तथा सितम्बर १९५४ में पहुंचेंगे ।

डा० एम० एम० दास: इस बात के दृष्टिगोचर कि देश के चलार्थ में अब चान्दी का कुछ भी उपयोग नहीं होता, क्या मैं जान सकता हूं कि यह शोधन-शाला किस विशेष प्रयोजन से स्थापित की जा रही है ?

श्री ए० सी० गुहा: इस का चलार्थ में उपयोग किये जाने के अतिरिक्त भी तो चान्दी एक मूल्यवान धातु है और इस से सरकार को कोई हानि नहीं होगी । विशेषकर, युद्ध काल में भारत को संयुक्त राज्य अमरीका से चान्दी की कुछ मात्रा उधार पट्टा पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त हुई और कुछ समय तक यह लौटानी है । इस लिये यह चान्दी टकसाल से ही वसूल करनी है जहां कि इसका बहुत समय तक उपयोग होता रहा है ।

डा० एम० एम० दास: मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता स्थित टकसाल भवन सारे का सारा इस शोधन यन्त्र के लिये काम में लाया जायेगा या कि इस भवन का कुछ भाग ?

श्री ए० सी० गुहा: मैं समझता हूं कि यह कहना समय से पूर्व है, परन्तु हो सकता है कि सारे भवन की आवश्यकता न पड़े जब तक की मशीनें लगाई न जायें और शोधन-शाला का कार्य आरम्भ न हो जाये, यह कहना समय से पूर्व होगा कि यंत्र कितनी जगह लेगा ।

युद्ध-पोत

*९०९. **श्री नानादास:** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में युद्ध-पोत बनाने के निमित्त क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): हिन्दुस्तान शिपयार्ड, बिशाखापतनम् में कुछ प्रकार के पोत बनाने और भारत के अन्य पोत-निर्माण व्यवसाय संघों में तट के समीप कार्य चलाने के लिये छोटे जहाज़ बनाने के विषय में जांच की जा रही है ।

श्री नानादास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे देश के छोटे पैमाने के उद्योग देश में पोतों का निर्माण करने में कुछ सहायता दे सकते हैं ?

सरदार मजीठिया: श्रीमान्, जैसा कि मैंने कहा, हम इन उत्पादकों द्वारा अपेक्षानुसार पोतों का निर्माणकिये जाने की सम्भावनाओं की भी जांच कर रहे हैं ।

श्री नानादास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस समय हम किस देश से युद्ध-पोत लेते हैं ?

सरदार मजीठिया: मेरा विचार है कि हर किसी को पता है कि हम इंगलिस्तान से लेते हैं ।

काश्मीर को सहायता

*९१०. **श्री गिडवानी:** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में जम्मू तथा काश्मीर सरकार के लिये कुल कितना उधार प्राप्य रखा गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य-मंत्री (डा० काटजू): ९४·५ लाख रुपये ।

श्री गिडवानी: गतवर्ष में कुल कितनी राशि का उधार उनको दिया गया है ?

डा० काटजू: मेरा विचार है कि चालू वर्ष में १५ लाख रुपये ।

श्री गिडवानी: गत पांच वर्षों में कितना ?

डा० काटजू: मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ताकि मैं ठीक आंकड़े बता सकूं और कहीं गलती न करूं ।

श्री गिडवानी: क्या इस उधार पर कोई ब्याज लिया जाता है ?

डा० काटजू : यह सब मामले यथा समय निश्चित किये जायेंगे । मेरे माननीय मित्र यह मामले पूरी तरह से जानते हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं जान सकता हूं कि यह उधार किन निबन्धनों पर दिये जा रहे हैं ?

डा० काटजू : मुझे पूर्व सूचना चाहिये; निबन्धनों के बारे में मुझे सारी बातें ठीक ठीक पता नहीं हैं । मुझे यह बातें देखनी पड़ेंगी ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, माननीय मंत्री कह रहे हैं कि माननीय सदस्य को जानकारी है । परन्तु हमें नहीं है । यदि किसी सदस्य को कोई जानकारी दी जानी है क्या यह सारे सदन को नहीं दी जानी है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने कहा कि इस समय उन्हें पूर्व सूचना चाहिये । अगला प्रश्न ।

घाटे को अर्थयोजना

*९१३. **श्री एन० एम० लिंगम :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये घाटे की अर्थयोजना का आशय लेने का निर्णय कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक इस अर्थ-योजना को ग्रहण किया जायेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) और (ख). वार्षिक आयव्ययक के सिलसिले में ऐसे किसी मामले पर निश्चय ही विचार किया जाना है, और प्रत्येक वर्ष के आयव्ययक के प्रस्तुत किये गये रूप से परिणाम निकाले जा सकते हैं ।

घाटे की अर्थ-योजना की सीमा के सम्बन्ध में कोई पूर्व प्राक्कलन नहीं दिया जा सकता है । यह रक़म समय समय की परिस्थितियों, जैसे उपलब्ध आन्तरिक संसाधनों, प्राप्त हुई बाह्य सहायता की परिमात्रा तथा देश की सामान्य आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर होगी ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने अब तक प्राप्त हुई बाह्य सहायता की परिमात्रा, देश में की गई छोटी बचतों और लिए गए ऋणों तथा राजस्व की वृद्धि के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयत्नों के निर्देश से संसाधनों का पुनः निधारण किया है ? यदि किया है तो आज स्थिति क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे विचार से यह प्रश्न योजना आयोग से पूछा जाना चाहिये था । यदि मैं समस्त ब्योरे दूंगा, तो उस में बहुत समय लगेगा । यदि माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति दें, तो मैं समस्त विवरण को पढ़ कर सुना दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह माननीय सदस्य को दे दिया जाये ।

श्री एन० एम० लिंगम : गत वर्ष योजना आयोग ने यह कहा था कि विदेशों से प्राप्त हुए ऋणों तथा अनुदानों की कुल रक़म १५६ करोड़ रुपये थी, और यदि इस घाटे की अर्थ-योजना का परिहार करना है तो ६५५ करोड़ रुपये की अग्रेतर बाह्य सहायता की आवश्यकता होगी । बाह्य सहायता की वह परिमात्रा क्या है जिसकी सरकार योजना की शेष अवधि में आशा करती है ?

श्री एम० सी० शाह : वह ९८ करोड़ रुपया है ।

पैप्सू के कर्मचारी

*९१४. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा शासन व्यवस्था संभाले जाने के समय से पैप्सू राज्य में सेवा निवृत्ति किये गये, पदच्युत किये गये अथवा छंटनी किये गये

सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) उपरोक्त भाग (क) में बतलाई संख्या में से (१) अस्थायी कर्मचारियों तथा (२) स्थायी सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

(ग) इस कार्य से कुल मासिक बचत कितनी हुई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) १०५१ ।

(ख) अस्थायी ७५७
स्थायी २९४

(ग) १.२ लाख रुपये प्रति मास के लगभग ।

सरदार हुक्म सिंह : जितने व्यक्ति सेवा-निवृत्त हुए हैं उनमें से कितने समय से पूर्व निवृत्त हुए हैं ?

डा० काटजू : जो व्यक्ति सेवा-निवृत्त हुए हैं उनकी संख्या बारह है । इनमें से नौ के सेवा-निवृत्त किये जाने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा शासन व्यवस्था संभाले जाने से पूर्व किया गया था, तथा तीन को बाद को सेवा-निवृत्त किया गया ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस से हम यह समझें कि इन बारह को समय से पूर्व सेवा-निवृत्त हो जाने को कहा गया था ?

डा० काटजू : मेरा विचार यही है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन में से किसी को कोई क्षतिपूर्त्ति अथवा आनुपातिक सेवा-निवृत्त वेतन दिया गया ?

डा० काटजू : मुझे ज्ञात नहीं है । यदि उनको समय से पूर्व सेवा-निवृत्त कर दिया गया था और वह क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी थे, तो मेरा विचार है कि वह उन को मिली होगी यदि किन्हीं स्पष्ट कारणों के आधार पर उनको समय से पूर्व सेवा-निवृत्त किया गया था तो कदाचित् वह प्रतिनिधान करने के अधिकारी थे ।

श्री अजित सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, ऐसे कितने कर्मचारियों से अनुचित छंटनी, पदच्युति अथवा सेवा-निवृत्ति के विरुद्ध प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे तथा सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डा० काटजू : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये। मेरी कठिनाई यह है । मुझे एक प्रश्न मिलता है, मैं सारी सूचना को एकत्रित कराता हूं । कभी कभी विभिन्न शाखाओं में जाने में कठिनाई होती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन १०५७ में से कितने श्रेणी ४ के कर्मचारी थे ?

डा० काटजू : मुझे खेद है कि यह सूचना मेरे पास नहीं है । मुझे अलग अलग संख्याओं का पता नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या माननीय मंत्री हमें यह बताने की स्थिति में होंगे कि इस अवधि में कितने कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई है अथवा इस समय की जा रही है ?

डा० काटजू : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मेरी प्रार्थना है कि मुझे प्रश्न संख्या ९१५ तथा ९१६ का एक साथ उत्तर देने की अनुमति दी जाये ।

श्री गिडवानी : यदि आप मुझे अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको तीन और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा

हीरों का छुपे-चोरी आना

*९१५. **श्री गिडवानी:** **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बंबई के सीमाशुल्क अधिकारियों ने कुछ हीरे जब्त कर लिए थे, क्यों कि वें कुछ लोगों द्वारा छुपे-चोरी लाए गए थे ?

(ख) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने इनका नीलाम किया था और सब से अधिक बोली को अस्वीकार करके एक नीची बोली स्वीकार की थी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) हां, श्रीमान्, अगस्त १९५० में बंबई के सीमाशुल्क अधिकारियों ने न तराशे गए हीरों का एक ढेर पकड़ा और समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन उसे जब्त कर लिया।

(ख) यह सच है कि ये हीरे सीमा-शुल्क-अधिकारियों द्वारा जनवरी, १९५३ में नीलाम किए गए थे, पर यह सच नहीं है कि सब से ऊंची बोली को अस्वीकृत करके एक नीची बोली मान ली गई थी ।

जबत किये गये हीरों का नीलाम

*९१६. **श्री गिडवानी:** (क) **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बंबई में जब्त किए गए हीरों के नीलाम के विषय में नीची बोली मान लेने के बारे में किसी के द्वारा कुछ शिकायत की गई थी कि वही हीरे नीलाम के समय सीमाशुल्क-अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए मूल्य से अधिक मूल्य पर उसी दिन बेचे गये थे ?

(ख) क्या यह सच है कि हीरे खरीदने वाले दल से बाद में कुछ और राशि देने को कहा गया था ?

(ग) क्या यह सच है कि एक जांच बैठाई गई है और इस मामले में अन्तर्ग्रस्त कई अधिकारियों के ऊपर अधिरोप-पत्र लगाये गए हैं ?

(घ) यदि सच है, तो जांच अब किस अवस्था में है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) बोली मानने के विरुद्ध सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई थी, पर एक समाचार मिला था कि नीलाम के बाद वही हीरे कहीं अधिक दाम पर बेचे गये थे ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या २४,००० रुपये की बोली होने पर भी केवल २४ रुपये मंजूर किये गये थे ?

श्री ए० सी० गुहा: तराशे गये तथा न तराशे गये दोनों प्रकार के हीरों के लिए २९,८५० रुपये की बोली आई थी । वस्तुतः हमारा अनुमान उससे कहीं अधिक था ।

श्री गिडवानी: अर्थात् कम बोली मान ली गई थी ?

अध्यक्ष महोदय: इससे अधिक ऊंची कोई बोली न आई थी ।

श्री ए० सी० गुहा: यह सबसे ऊंची बोली थी ।

श्री गिडवानी: फिर बोली के विरुद्ध समाचार क्यों मिला था, और नीलाम करने वाले से पैसा क्यों लिया गया था ?

श्री ए० सी० गुहा: आप अनुमति दें, तो मैं एक छोटा सा वक्तव्य दे दूं ।

यह मामला हमारे पास आया और हमने सोचा कि जरूर कुछ गड़बड़ी है । हम जांच बैठा चुके हैं और कई पदाधिकारीयों के ऊपर अधिरोप-पत्र लगाये गये हैं कठिनाई यह है कि हीरा विक्रेताओं में कुछ गुट-बन्दी सी है । यद्यपि नीलाम का समुचित विज्ञापन किया गया था और नीलाम लगाने

वाले पर्याप्त संख्या में उपस्थित थे, तथापि चूंकि हीरा-विक्रेताओं में गुप्त-गुट-बन्दी है अतः इससे अधिक बोली न आई और हीरे उस दाम पर बेच दिये गये। बंबई सीमाशुल्क कलक्टर भी उस समय वहां उपस्थित न थे, वह बंबई से बाहर गए हुए थे। वापस आकर इसका पता चलने पर उन्होंने नीलाम बोलने वालों से ७,००० रुपये और वसूल किये और अब वह सरकार के खजाने में जमा किए जा चुके हैं। फिर भी यह मामला हमें बिलकुल असंतोषजनक जंचा और इस कारण कई पदाधिकारियों के ऊपर अधिरोप-पत्र लगाया गया है और जांच चल रही है।

श्री गिडवानी: हीरे खरीदने वाले दल से कुल कितनी राशि मांगी गई थी ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से अच्छा है यह जांच के ऊपर छोड़ दिया जाए।

श्री गिडवानी: विगत सत्र में इसी विभाग में मद्य के छपे चोरी आने के बारे में मैंने कुछ प्रश्न रखे थे। वित्त मंत्री ने ही नहीं, प्रधान मंत्री तक ने मुझे जांच का वचन दिया था। क्या कोई जांच हुई है और यदि हां, तो उसका क्या प्रतिफल हुआ ?

श्री ए० सी० गुहा: वह पृथक् प्रश्न है। आज की प्रश्न सूची में उसी विषय पर एक अतारांकित प्रश्न है। उस संबन्ध में भी जांच चल रही है। उस पदाधिकारी के विरुद्ध, जिस पर मद्यनिषेध अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है सरकार ने कुछ अस्थायी निर्णय किए हैं। हमें पता चला है कि प्रत्यक्षतः ऐसी कोई बात नहीं है कि वह छुपे-चोरी माल लाने में सहायक रहा हो। मैं यह भी बता दूं कि एतद्विषयक एक निर्णय को कई औपचारिकताएं पार करनी पड़ती हैं। जबतक उन्हें पूरा न किया जाए, यह कहना समय से पूर्व होगा कि सरकार इस विषयामें क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री गिडवानी: क्या वह अब भी सेवा में है ?

अध्यक्ष महोदय: हम अगला प्रश्न लेंगे।

समाज कल्याण बोर्ड

*९१७. **श्री हेडा:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण बोर्ड के पास समाज कल्याण संघ में से धन सम्बन्धी सहायता के लिए कितने आवेदन आये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): लगभग ७००।

श्री हेडा: क्या सरकार को पता है कि यह आर्थिक सहायता प्राप्त करने के ही लिए अनेक नए संघ खड़े किए जा रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: हां, श्रीमान्, ऐसी संभावना है और सरकार पूरी सतर्क तथा पूरी चेष्टा करेगी कि ऐसे संघों को अनुदान न मिल पाए, जो उनके पात्र नहीं हैं।

श्री हेडा: सरकार इन आवेदनों पर कब निर्णय करने जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय: सरकार द्वारा नहीं, बल्कि समाज कल्याण बोर्ड द्वारा नवंबर की बैठक में अक्तूबर के अंत तक प्राप्त ४५४ आवेदनों पर विचार किया गया है। सरकार को आवेदनों पर विचार करने से कोई प्रयोजन नहीं है। इन ४५४ में से लगभग २३९ आवेद मंजूर किए गए हैं और इन २३९ आवेदनों के लिए ८.६ लाख रुपये नियत किये गये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या माननीय मंत्री द्वारा अभी दिए गए उत्तर का अर्थ यह है कि उन नए क्षेत्रों की, जहां कुछ कल्याण कार्य नहीं हुआ है, मांग को पूरा करने के लिये बने नए संघों के ऊपर भी इससे रोक लग जाएगी ?

श्री के० डी० मालवीय: कदापि नहीं ।

श्री रघवय्या: समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अपने आपको समाज कल्याणकारी संघटन बताने वाले संघों को अनुदान देने के लिये क्या कसौटी रखी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय: सहायता देने के आधार निम्न हैं :(१) अपंग तथा अपराधी बच्चों को सहायता ; (२)साधारणतः अन्य शिशु कल्याण संघ तथा (३) नारी कल्याण सम्बन्धी संघ ।

श्री हेडा: क्या सरकार कुछ ऐसी शर्त रखना चाहती है कि यह सहायता चाहने वाले संघटन इतनी ही या कुछ आनुपातिक राशि स्वयं व्यय करें ?

श्री के० डी० मालवीय: हां, श्रीमान् । सहायता साधारणतः अंशदान के रूप में होती है ।

जनजाति छात्रों को छात्रवृत्तियां

*९१८. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या शिक्षा मंत्री अंडर मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक जनजाति-छात्रों के लिये मनीपुर सरकार द्वारा संरक्षित की गई छात्र-वृत्तियां की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]**

श्री रिशांग किशिंग: क्या सरकार ने मनीपुर के जनजाति छात्रों के लिये संरक्षित होने वाली छात्रवृत्तियों को समाप्त कर देने की बात पर कभी विचार किया है ?

श्री के० डी० मालवीय: नहीं, श्रीमान् ।

श्री रिशांग किशिंग: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि विद्यालयों और छात्रों की संख्या में होने वाली भारी वृद्धि की दृष्टि में, क्या सरकार छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाना चाहती है ?

श्री के० डी० मालवीय: छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाना राज्य सरकार के ऊपर है ; पर मैं सदन को बता दूं कि भारत सरकार भी अपनी साधारण योजना के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती है । इसके अधीन मनीपुर के ४० छात्रों ने आवेदन भेजे थे, जिनमें से ३८ को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं ।

मनीपुर में विद्यालय

*९१९. **श्री रिशांग किशिंग:** शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्री अधिकारी द्वारा खोले गए विद्यालयों के लिये मनीपुर के जनजाति क्षेत्रों के विकास के हेतु बनाई गई निधि में से १९५२-५३ में १७,००० रुपए स्वीकृत किए हैं, और १९५३-५४ में ४७,००० रुपए स्वीकृत करना चाहती है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): हां, राज्य सरकार ने १९५२-५३ में १७,००० रुपए स्वीकृत किए थे । १९५३-५४ का अनुदान विचाराधीन है ।

श्री रिशांग किशिंग: मैं जान सकता हूं कि उनका सम्बन्ध किन किन संघटनों से है और ये अनुदान किन शर्तों पर दिए गए थे ?

श्री के० डी० मालवीय: श्री देशबन्धु अधिकारी तीन बुनियादी विद्यालय हिन्दी के माध्यम से चला रहे हैं । इन संस्थाओं में अंशतः ऐसे छात्र हैं, जिनको निःशुल्क निवास, भोजन और वस्त्र दिए जाते हैं । और चूंकि सरकार समझती है कि वे सन्तोष-

प्रद रूप में चलाए जा रहे हैं इसलिये यह सहायता दी जा रही है ।

श्री रिशांग किशिंग: मैं जानना चाहता था कि क्या श्री अधिकारी का सम्बन्ध भारत के किसी सामाजिक संघटन से है ?

श्री के० डी० मालवीय: हां, श्रीमान् ; आदिम जाति सेवक संघ नामक एक स्थानीय संघ है और उससे उनका संबंध है ।

श्री रिशांग किशिंग: क्या यह सच है कि उनका व्यवहार छात्रों के प्रति, और विशेषतः स्त्री छात्रों के प्रति, अत्यन्त आशंकनीय है और उनमें से बहुत से विद्यालय छोड़ कर चले गए हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: हमें इसका रंचमात्र भी पता नहीं है ।

श्री रिशांग किशिंग: क्या यह सच है कि उन्होंने अनेक छात्रों के पुराने नाम बदल कर सुशीला, शान्तिदेवी आदि नए नाम रख दिए हैं और वहां पर बहुत से छात्रों को गिरिजाघर जाने से रोका गया था ?

श्री के० डी० मालवीय: हमें कोई जानकारी नहीं है । पर माननीय सदस्य द्वारा रखे गए प्रश्न पर शायद राज्य सरकार ध्यान देगी ।

श्री रिशांग किशिंग उठे—

अध्यक्ष महोदय: वे ऐसे विवरण ले रहे हैं, जिन पर यहां विचार हो सकना सम्भव नहीं है ।

सशस्त्र सेनाओं में विशेषज्ञ (डाक्टरी)

*९२०. **श्री गौडलिंगन गौड़:** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तीनों सेनाओं में विशेषज्ञों (डाक्टरी) की सूचना का समय मय पर निरीक्षण किया जाता है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या एक विवरण जिसमें प्रत्येक सेना से सम्बद्ध विशेषज्ञों की संख्या वर्गवार दी हुई हो, सदन पटल पर रखा जा सकता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) हां ;

(ख) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१**]

सशस्त्र सेनाओं के स्पेशलिस्ट और टैक्निकल व्यवसाय

*९२१. **श्री गौडिलिंगन गौड़:** (क) रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार तीनों सेनाओं के लिये कुछ और स्पेशलिस्ट कोर्स तथा टैक्निकल व्यवसाय बढ़ाने की बात का विचार करती रही है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस मामले को अन्तिम रूप से कब तय किया जायगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख) । जैसे जैसे सेना विज्ञान तथा युद्धविद्या का ज्ञान बढ़ता जाता है, आधुनिक सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्तमान व्यवसायों का पुनर्संगठन किया जाता है तथा नये व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रकार के मामले में किसी भी बात को पूर्ण नहीं माना जा सकता और इन स्पेशलिस्ट व्यवसायों की लगातार जांच होती रहती है ।

सेना के अधिकांश स्पेशलिस्ट कोर्सों तथा नौ-सेना और वायु सेना के बहुत से कोर्स अब भारत में ही होते हैं । देश में जहां ऐसा करना सम्भव है वहां अतिरिक्त कोर्सों का अधिक संगठन किया जा रहा है ।

श्री गौडिलिंगन गौड: इन विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिये क्या शर्तें हैं ?

सरदार मजीठिया : इन्हें इनके विभिन्न व्यवसायों के अनुसार वर्गों में विभक्त किया जाता है। ये बहुत हैं और इनकी सूची बड़ी है। उदाहरणार्थ, तोपचियों की बहुत सी श्रेणियां हैं। आर्डनेंस फैक्टरियों में भी यही बात है। विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों के अनुसार उन्हें विशेषज्ञों के वर्ग में रखा जाता है।

श्री गौडलिंगन गोड : श्रीमान् जी, माननीय मंत्री कहते हैं कि यह एक बड़ी सूची है। क्या मुझे इसकी एक प्रति मिल सकती है ?

सरदार मजीठिया : जी हां।

त्रिपुरा राज्य कर्मचारियों की छटनी

*१२२. **श्री बोरेन दत्त** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा कर्मचारियों की एक बहुत अधिक संख्या की निकट भविष्य में छटनी की जायेगी ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) प्रशासन व्यवस्था के पुनर्संगठन किये जाने तथा नई वेतन श्रेणियों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान कर्मचारियों को छांट कर विभिन्न श्रेणियों में रखना आवश्यक हो जायगा जिसके फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है। इन लोगों को नियमों के अनुसार छटनी रियायतें दी जायेंगी।

श्री बोरेन दत्त : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि बहुत से कर्मचारियों का वेतन देना बन्द कर दिया गया है और उन्हें उनके छटनी किये जाने की कोई सूचना (नोटिस) भी नहीं दी गई है ?

डा० काटजू : मैं नहीं जानता कि अभी तक किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाया गया है या छटनी की गई है। मुझे तो यह बताया गया है कि केवल उन कर्मचारियों की छटनी की जायगी या सेवानिवृत्त किया जायगा जो शिक्षा की दृष्टि से या अन्य प्रकार से अनुपयुक्त होंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह प्रश्न किया है कि उनमें से बहुत से कर्मचारियों को नोटिस दिये बिना ही उनके वेतन देने बन्द कर दिये गये हैं—क्या यह बात ठीक है ?

डा० काटजू : मैंने उत्तर में बताया कि मैं नहीं जानता।

श्री बोरेन दत्त : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि कल कर्मचारी संघ की बैठक हुई और उसने यह बात कही कि बहुत से कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन नहीं दिया गया था ?

डा० काटजू : यह त्रिपुरा का समाचार है। माननीय सदस्य अपने प्रश्न मेरे पास भेज दें या मुझसे अलग मिलें और मैं इस पर विचार करूंगा। सदन को इस में रुचि नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)

श्री गिडवानी : क्या हमें उत्तर कहीं अलग दिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इन सब प्रश्नों के बारे में यह आपत्ति है कि ये इस मामले की विस्तृत बातों के सम्बन्ध में है।

डा० काटजू : मैंने समझा कि ऐसा करना ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्नों पर सदन का समय लेना ठीक नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण

*१२३. **श्री वो० मिश्र** : (क) क्या मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व

सैनिकों के लिये वर्ष १९५१-५२ में श्रम मंत्रालय (पुनर्संस्थापन तथा नौकरी महा-निदेशालय) में तथा राज्य सरकारों ने जो प्रबन्ध किये हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो किन राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों ने उक्त प्रबन्ध से लाभ उठाया है ?

(ग) किन किन व्यवसायों म वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

(घ) उक्त प्रशिक्षण देने के लिये उम्मीदवारों को किस आधार पर चुना जाता है ?

(ङ) उपरोक्त प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों का क्या भविष्य है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) रक्षा मंत्रालय के कहने पर श्रम मंत्रालय के पुनर्संस्थापन तथा नौकरी महा-निदेशालय ने १९५१-५२ में भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिये अपने व्यवसायिक-व-टैक्निकल प्रशिक्षण केन्द्रों में पांच सौ सीटें सुरक्षित कीं। राज्य सरकारों ने भी अपनी संस्थाओं में भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देना स्वीकार कर लिया था। रक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को २५ रुपये का वजीफा देना मंजूर कर लिया था।

(ख) १९५१-५२ में, हैदराबाद सरकार ने ६० भूतपूर्व सैनिकों को अपनी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया था। अन्य राज्यों में भूतपूर्व-सैनिक प्रशिक्षण लेने के लिये तय्यार ही नहीं हुए।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट हैदराबाद के भूतपूर्व सैनिकों को बढ़ईगीरी मिस्त्रीगीरी, कुम्भकारी तथा कपड़े बनाने के कामों में प्रशिक्षण दिया गया था।

(घ) ५० वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व सैनिक, जिनकी व्यवसायिक-व-टैक्निकल विषयों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो और जो पढ़ और लिख सकते हों, वे प्रशिक्षण के लिये चुने जाते हैं।

(ङ) जो भूतपूर्व सैनिक व्यवसायिक व-टैक्निकल व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वे या तो सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी कर लेते हैं या स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार करने लगते हैं। नौकरी दफ्तर उन्हें उपयुक्त नौकरी दिलाने में उनकी सहायता करते हैं।

श्री भक्त दर्शन: क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों ने इस प्रकार की ट्रेनिंग पाई है, उनमें से बहुत से आजकल भी बेकार हैं और क्या उनकी सहायता के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया: मुझे खेद है, म इस प्रश्न को समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय: वह पूछ रहे हैं कि बहुत से प्रशिक्षित भूतपूर्व सैनिक अब भी बेकार हैं। क्या सरकार ने उनको नौकरी दिलाने के लिये काई प्रयत्न किये हैं ?

सरदार मजीठिया: वर्ष १९५० और १९५३ के बीच २४१ प्रशिक्षितों में से १७२ भूतपूर्व सैनिकों को पहिले से ही नौकरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त बहुतों ने अपना व्यापार कार्य आरम्भ कर दिया है। जब कभी सरकार को यह मालूम पड़ता है कि उन्हें सहायता चाहिये तो सरकार उनकी सहायता करती है।

श्री बो० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रशिक्षणार्थियों को अपना व्यापार आरम्भ करने के लिये कोई आर्थिक सहायता दी जाती है, और यदि ऐसा है तो ऐसी आर्थिक सहायता देने के लिये क्या शर्तें हैं ?

अध्यक्ष महोदय : एक बार में एक ही प्रश्न किया जाय।

सरदार मजीठिया : यह सहायता लोगों को अलग अलग नहीं दी जाती।

सीमा शुल्क प्रतिबन्ध

*९२५. **श्री मुनिस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पांडीचेरी सीमान्त के गंगनांगुप्पम आउट-गेट के पास के भारत संघ के गांव के निवासियों को गेट के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उन पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण भारत संघ के शहरों से अपने इस्तैमाल के लिये खाद्य पदार्थ तथा कृषि सम्बन्धी आवश्यकता के सामान को अपने गांवों में लाने में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि उन ग्राम निवासियों ने मद्रास के सीमा शुल्क विभाग के कलैक्टर को एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें उन्होंने अपनी कठिनाइयां बताई थीं ;

(ग) यदि ऐसा है तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या गंगनांगुप्पम के गेट को पास के किसी अन्य स्थान पर हटाने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; तथा

(ङ) यदि ऐसा है, तो क्या इसके बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग). एक ज्ञापन जिसमें उनकी कठिनाइयां दी हुई थीं, मद्रास के केन्द्रीय उत्पादन तथा भूसीमा शुल्क के कलैक्टर को दिया गया था और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेज दी गई थी। प्रत्यक्षतः ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी कुछ कठिनाइयां तो उचित हैं। कलैक्टर उस स्थान पर स्वयं गये और वहां इनकी जांच की। इसके परिणामस्वरूप, नियमों में १९५२ तक जो ढील दे दी गई थी और जो बाद में खत्म कर दी गई थी, वह ढील विस्तृत जांच होने तक फिर दे दी गई है।

(घ) तथा (ङ). इस पर विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया था कि इस गेट को इसकी वर्तमान जगह से कुछ गज दूर हटा दिया जाय।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इस गेट को वहां से कब हटाया जायगा ?

श्री ए० सी० गुहा : यह बहुत जल्दी हटाया जायगा।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को मालूम है कि इस गेट पर नियुक्त अधिकारी भारत संघ के ग्राम निवासियों को भारत संघ के शहरों से भारत संघ के गांवों तक उनकी आवश्यक चीजों को ले जाने देने के मामले में किसी नियम का पालन नहीं करते ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि वे किन्हीं नियमों का पालन नहीं करते। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले को जानते हैं तो वह हमें बतायें और यदि ऐसी बात हुई तो हम उस मामले में उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को मालूम है कि ५० से अधिक गांवों के २०,००० से अधिक लोगों को इस आउट-गेट पर होने वाली कठिनाइयों के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि मैंने पहिले बताया, कुछ लोगों ने अभ्यावेदन किये हैं। मुझे लोगों की या गांवों की संख्या का ठीक पता नहीं है।

भूमि अर्जन

*९२६. **श्री सी० आर० इय्युनी** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रावणकोर-कोचीन में गतयुद्ध में विमान भेदी तोपों के लिये प्लेट फार्म बनाने के लिये तीन स्थानों पर प्राप्त की गई जमीन, जिस का किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं किया गया है अब भी सैनिक अधिकारियों के अधिकार में है अथवा वह बेच दी गई है या उसे पट्टे पर उठा दिया गया है ?

(ख) यदि वह पट्टे पर उठा दी गई है तो उसका लगान कितना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) वह जमीन अब भी सरकार के अधिकार में है । इसे पट्टे पर उठाया नहीं गया है, किन्तु उस जमीन के वृक्षों के उपयोगाधिकार को प्रतिवर्ष नीलामी द्वारा दूसरों को दे दिया जाता है ।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता ।

श्री सी० आर० इय्युनी : मैं जान सकता हूं कि पट्टे पर देने से कितना धन प्राप्त होता है ?

सरदार मजीठिया : १९५०-५१ में २९३६ रुपये ; १९५१-५२ में २८३० रुपये ; १९५२-५३ में १४४५ रुपये ।

श्री सी० आर० इय्युनी : मैं जान सकता हूं कि क्या इसके लिये टेंडर मांगे गये थे ?

सरदार मजीठिया : जी हां । टेंडर मांगे जाते हैं और यह नीलामी के अनुसार दी जाती है ।

श्री अच्युतन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उपयोगाधिकार को देने के स्थान पर इस जमीन को बेच देगी ?

सरदार मजीठिया : इस सब जमीन में त्रावणकोर-कोचीन सरकार थोड़ी सी जमीन लेना चाहती है ; और उतना भाग उसे दिया जा रहा है । बाकी जमीन बेच दी जायगी ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री फीरोज गांधी : श्रीमान् जी, मैं औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न लूंगा ।

श्री फीरोज गांधी : माननीय मंत्री ने कहा . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में पूछ सकते हैं ; इस समय नहीं ।

अफीम की खेती

*९२७. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश के वह जिले जिन को इस वर्ष अफ़ीम की खेती करने के लिये अधिकृत किया गया है ; तथा

(ख) अफ़ीम की खेती का अनुमानित क्षेत्रफल ऐकड़ों में ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव : (श्री बी० आर० भगत) : (क) १९५३-५४ की ऋतु में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती, बाराबंकी, बरेली और शाहजहानपुर के जिलों में पोस्त की खेती करने की आज्ञा दी गई है ।

(ख) चालू वर्ष में लगभग १८,७५० एकड़ भूमि में पोस्त की खेती की गई है ।

तम्बाकू उत्पाद शुल्क

*९२८. **श्री विभूति मिश्र** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि चम्पारन (बिहार)

के जिले में तम्बाकू उत्पाद शुल्क देने के लिये तम्बाकू बोने वालों पर मांग का नोटिस जारी कर दिया गया है, हालांकि जनवरी १९५३ में ओलों के पड़ने से उनकी खेतियों को भारी क्षति पहुंची थी ?

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि बोने वालों की उपस्थिति में तम्बाकू के सुखाये जाने और वजन किये जाने के बिना ही, उन पर मांग के नोटिस जारी किये गये हैं ?

(ग) यदि भाग (क) तथा (ख) का उत्तर 'हां' में है तो क्या सरकार मांग के नोटिसों को रद्द करने का विचार रखती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जनवरी १९५३ में ओले पड़ने के कारण चम्पारन जिले में तम्बाकू की फसल को कुछ क्षति पहुंची । केवल तम्बाकू पर जिसे ठीक किया गया है और बिकने अथवा निर्माण के योग्य बनाया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लिया जाएगा । जहां तम्बाकू पूर्णतया नष्ट हो गया था, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और बोने वालों पर मांग का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ; परन्तु जहां फसल का कुछ भाग अथवा समस्त फसल क्षति से बच गया, वहां बोने वालों ने वास्तव में जितनी मात्रा में तम्बाकू तैयार किया है, उस पर उन से सामान्य रीति से शुल्क देने के लिये कहा गया है ।

(ख) जी नहीं । मांग के नोटिस जारी करने से पूर्व बोने वालों की उपस्थिति में वजन किया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार बतला सकती है कि जिन लोगों को नोटिस दिया गया है, उन के खेतों पर जांच नहीं की और ओलों से तम्बाकू की उन की फसल के नष्ट हो जाने पर भी, उनके खिलाफ नोटिस दिये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका आरोप यह है कि उस स्थान पर जांच नहीं की गई उन लोगों से शुल्क मांगा जा रहा है जिनको ओलों के कारण क्षति पहुंची है ।

श्री एम० सी० शाह : हमारी जानकारी के अनुसार ऐसी बात नहीं है । हम मामले की जांच करेंगे ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा में ऐसे मामले भी हैं, जहां ज्यों ही तम्बाकू बोया जाता है, तभी यह अनुमान लगाया जाता है कि कितनी पैदा होगी और उस आधार पर शुल्क लिया जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : यह सामान्य प्रक्रिया है । जब खेती बोई जाती है तो परिमापक खेतों में जाते हैं, और जितनी खेती होगी उसका लगभग अनुमान लगाते हैं, और फिर उस के अनुसार कार्यवाही होती है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार विचार कर रही है कि जब तक जांच न करले, तब तक जो डिमान्ड नोटिस जारी किये गये हैं, उनको बन्द रखा जाय ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, कि क्या संग्रह तब तक स्थगित किया जाय जब तक जांच पूरी न हो जाय ।

श्री एम० सी० शाह : हम पता करेंगे । मैं नहीं कह सकता कि संग्रह स्थगित किया जायगा । हम तुरन्त जांच करेंगे ।

श्री सारंगधर दास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न उड़ीसा के सम्बन्ध में है, और यहां प्रश्न बिहार से सम्बन्ध रखता है ।

श्री सारंगधर दास : माननीय मंत्री ने कहा कि स्थायी प्रक्रिया वर्तमान है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या अनुमान लगाया गया है और शुल्क एकत्रित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि प्रश्न वर्तमान प्रश्न की परिधि से बाहर है। अगला प्रश्न।

डा० राम सुभग सिंह : परन्तु उन्हें कुछ आश्वासन देना चाहिये।

सोने और मुद्रा का चोरी-छिपे ले जाया जाना

*१२९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोना और मुद्रा मुक्त रूप से भारत से लंका को चोरी-छिपे ले जाई जाती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) श्रीमान्, यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य "मुक्तरूप से चोरी-छिपे ले जाने" का क्या अर्थ लेते हैं। यदि वह यह जानना चाहते हैं कि क्या चोरी-छिपे का काम अधिकतर तथा बड़े पैमाने पर होता है तो उत्तर नकारात्मक है।

(ख) कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है वसे रोकथाम सम्बन्धी साधारण कार्यवाही तो की ही जाती है।

श्री रघुनाथ सिंह : चूंकि उत्तर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं साफ शब्दों में यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तानी सोना लंका में स्मगल कर के यहां से बाहर ले जाया जाता है और लोग बाहर उसको बेचते हैं, क्या यह बात ठीक है, अखबारों में जो इस प्रकार के समाचार छपे हैं, वह ठीक है या नहीं ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं चोरी-छिपे का काम मुक्त रूप से नहीं होता। चोरी-छिपे से वस्तुएं ले जाने की रोक थाम करने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे अपने साधन हैं और हम उसकी रोक थाम कर रहे हैं। चोरी-छिपे वस्तुएं ले जाने के मामले हुए हैं। पकड़े जाने पर ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

श्री रघुनाथ सिंह : सोना का भाव लंका में और हिन्दुस्तान में क्या है, क्या यह बात सही है कि सोने का भाव लंका में हिन्दुस्तान से अधिक है, इस वास्ते हिन्दुस्तान का सोना लंका में स्मगल है ?

श्री एम० सी० शाह : भारत में मूल्य अधिक है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि चोरी-छिपे से यह वस्तुएं इस लिये ले जाई गई थीं क्योंकि भारत के और अन्य स्थानों के मूल्यों में अन्तर था। परन्तु कुछ महीनों से यह अन्तर कम होता जा रहा है और इस लिये अब चोरी-छिपे से वस्तुएं ले जाये जाने की कम सम्भावना है—क्यों कि अब यह लाभदायक न होगा।

आसाम आयल कम्पनी द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां

*१३०. **श्री बेली राम दास :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आसाम आयल कम्पनी ने १९५३-५४ में विदेशों में अध्ययन करने के लिये सात छात्रवृत्तियां मंजूर की हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे छात्रवृत्तियां किन्हें दी गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२]

श्री बलो राम दास : इन छात्रवृत्तियों के लिये क्या आसामी उम्मीदवार भी थे ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास उन उम्मीदवारों के नाम नहीं हैं जिनके सम्बन्ध में विचार किया गया था तथा अस्वीकार कर दिया गया था । परन्तु मेरे पास उन उम्मीदवारों के नाम हैं जो चुन लिये गये हैं। मेरे विचार में इस सूची में किसी आसामी का नाम नहीं है ।

श्री बेली राम दास : इन छात्रवृत्तियों के लिये आवश्यक अर्हताएं क्या थीं ?

श्री के० डी० मालवीय : समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया गया था तथा यह छात्रवृत्तियां वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के साथ प्रबन्ध करके आसाम आयल कम्पनी ने दी हैं । सरकार ने कोई अर्हताएं निर्दिष्ट नहीं की हैं ।

श्री रघवय्या खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. श्री एल० एन० मिश्र : (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उस विशेषज्ञ कमेटी ने, जिसे कोसी नदी के नियंत्रण के सम्बन्ध में नवीनतम प्रस्ताव की परीक्षा करने का काम सौंपा गया था, अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

(ख) यदि हां तो उसकी क्या राय है

(ग) कोसी के नियंत्रण के सम्बन्ध में नवीनतम प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . श्रीमान्, अपकी अनुमति से मैं इस प्रश्न का उत्तर एक संक्षिप्त विवरण के रूप में दूंगा जिसमें वह सब सूचना उपलब्ध होगी जो माननीय सदस्य ने पूछी है तथा इस प्रश्न के सम्बन्ध में दिखलाई गई दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए मैं इस के अन्य पहलुओं के बारे में भी कुछ कहूंगा ।

जून, १९५० में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें कुल १७७ करोड़ रुपये की लागत पर सात अवस्थाओं में परियोजना पूरा करने का सुझाव था । रिपोर्ट इंजीनियरों की एक सलाहकार कमेटी को निर्दिष्ट कर दी गई थी । क्योंकि परियोजना की पहली अवस्थाओं में बाढ़ नियंत्रण को दूसरा स्थान दिया गया था, सलाहकार कमेटी ने सिफारिश की थी कि स्वयं पहली अवस्था में बाढ़ नियंत्रण की आंशिक व्यवस्था के लिये २८ करोड़ रुपये की लागत पर बिल्का पहाड़ी पर पानी इक्ट्ठा करने वाला कम ऊंचाई का एक बांध बनाया जाये । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा आगे जांच करने पर पता लगा कि बिल्का बांध बनवाने का खर्च लगभग ४९ करोड़ रुपये होगा । इसके अलावा विशेषज्ञों की यह भी राय थी कि बिल्का पहाड़ी में बहुत ही कम समय में कीचड़ भर जायेगी । अतः सारे प्रश्न में फिर से विचार किया गया तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से विकल्प योजना बनाने के लिये कहा गया । और आगे विस्तार में जांच करने के पश्चात् केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिये एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(१) हनुमान नगर में, जो कि बिहार-नेपाल सीमा के उत्तर म कुछ दूरी पर है, एक बांध बनाया जाय जिससे पूर्वी

कोसी नहर में पानी मोड़कर बिहार म सिंचाई हो सके तथा नदी पर ऐसी नियंत्रण व्यवस्था हो सके जहां से नालियों को मिलाया जा सके ;

(२) नदी के दोनों ओर बाढ़ को रोकने वाले पुश्ते बनाये जायें । दाहिनी ओर, पुश्ता बांध से आरम्भ हो कर लगभग ७० मील तक फैल कर झमटा तक पहुंचेगा । बांई ओर, यह पुश्ता बिल्क के समीप ऊंची भूमि से आरम्भ होकर बनगांव तक जायेगा, जो कि ७७ मील की दूरी है ;

(३) बाढ़ के पानी को कोसी के पुराने नालों आदि में मोड़ा जाये जिससे कोसी की मुख्य धारा में बाढ़ की तेजी कम हो जाये।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के अनुसार योजना की कुल लागत ३७ करोड़ रुपये है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

हनुमान नगर बांध	१३.२७ करोड़
बाढ़ रोकने के पुश्ते तथा अन्य कार्य	१०.६७ करोड़
हनुमान नगर से पूर्वी कोसी नहर	१३.३७ करोड़

छटरा से लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत पर एक नहर निकाली जा सकती है जिससे नेपाल राज्य-क्षेत्र के भीतर १.८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है । यह काम हाथ में लिया जाये अथवा नहीं—नेपाल सरकार पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट पर योजना आयोग ने विचार किया था तथा उसने इसे इस शर्त पर मंजूर कर लिया था कि इस पर इंजीनियरों की एक विशेषज्ञ कमेटी द्वारा विचार किया जाये ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने जो योजना तैयार की है उससे विशेषज्ञ कमेटी सहमत है पर उसने यह सुझाव दिया है कि पानी मोड़ने के लिये बनाये गये निर्माण-कार्यों की सामर्थ्य को ५०,००० से १,००,००० क्यूसेक्स तक बढ़ाने के प्रश्न पर और आगे विचार किया जाये ।

क्यों कि बांध का एक भाग नेपाल राज्य-क्षेत्र में आता है, और उससे पहली परियोजना रिपोर्ट के सम्बन्ध में राय ले ली गई थी इसलिये अब फिर राय ले ली जायेगी। बिहार सरकार द्वारा योजना स्वीकार कर लिये जाने तथा नेपाल सरकार द्वारा उसके राज्य-क्षेत्र में निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त हो जाने पर परियोजना का काम आरम्भ कर दिया जायेगा ।

प्रारम्भिक कार्य निकट भविष्य ही में आरम्भ किया जा सकता है । आशा की जाती है कि काम आरम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष के अन्दर पुश्तावन्दी पूरी तरह से तैयार हो जायेगी । स्वयं इसके तैयार हो जाने से ही प्रभावित क्षेत्रों की बाढ़ से काफी रक्षा हो सकेगी । बांध छः वर्ष में बन कर तैयार होगा ।

बांध के पूरे होने तथा पानी को मोड़ने के निर्माण-कार्य समाप्त हो जाने पर काफी समय तक के लिये लोगों को बाढ़ से रक्षा हो जायेगी तथा १३.९७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

इस सप्ताह के दौरान में, मैं सदन पटल पर, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा योजना आयोग को दी गई परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति तथा साथ ही विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट की एक प्रति रखूंगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या व्यवस्था होगी ?

श्री नन्दा : विहार सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। निस्सन्देह, केन्द्रीय सरकार हर प्रकार की सहायता देगी।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या हनुमान नगर के बांध तक कोई रेलवे लाइन बनाई जायेगी ?

श्री नन्दा : यह इस परियोजना का भाग नहीं है।

श्री बी० दास : क्या नेपाल सरकार अपने हिस्से में आने वालें खर्च को सहन करेगी या भारत सरकार उसे ऋण देगी ?

श्री नन्दा : यह मामला ऐसा है जिस पर दोनों सरकारें बातचीत कर सकती हैं।

श्री बी० दास : परन्तु वह तो विदेशी सरकार है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस योजना से उत्तर प्रदेश के भी किसी भू-भाग को पानी दिया जा सकता है या नहीं ?

श्री नन्दा : यह परियोजना का भाग नहीं है।

श्री मेघनाद साहा : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। यह एक लम्बा विवरण है तथा यह विषय ऐसा है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिये।

अब सदन अगली कार्यवाही शुरू करेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अवक्षयण छूट

***९००. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मशीनों आदि को बदलने की वर्तमान लागत के आधार पर अधिक कर मुक्त अवक्षयण छूट मिलने की मांग तथा कुछ अवितरित लाभ के सम्बन्ध में रियायत करने की मांग के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एन० सी० शाह) : अवक्षयण छूट के वर्तमान आधार में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। अवितरित लाभ को पुनः उद्योग में लगाने के सम्बन्ध में पहले ही से अवहार दिया जा रहा है। सरकार इस सम्बन्ध में तब तक कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है जब तक कि वह करारोपण जांच आयोग, जो कि इस मामले की जांच कर रहा है, द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार नहीं कर लेती है।

बीमा कम्पनियां

***९०१. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि छोटी तथा मंझोली कम्पनियों के लिये व्यय के उसी अनुपात का उपबन्ध किया गया है जो बड़ी कम्पनियों के लिये निर्धारित है जिससे छोटी तथा मंझोली कम्पनियों को बहुत हानि पहुंच रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एन० सी० शाह) : बीमा अधिनियम १९३८ तथा बीमा नियम १९३९ के अनसार छोटी, मंझोली तथा बड़ी-बड़ी कम्पनियों के लिये व्यय के भिन्न-भिन्न अनुपातों का उपबन्ध किया गया है।

ए० एम० सी० केन्द्र, पूना

***९०३. श्री पुन्नूस** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई १९५३ में कितने क्लर्क जी० डी०, मुक्त किये जाने के लिये, 'ए० एम० सी० केन्द्र पूना' बुलाये गये ?

(ख) जो बुलाये गये थे उन में से कितने वास्तव में मुक्त किये गये तथा कितने विभिन्न यूनिटों में फिर से काम पर लगा दिये गये ?

(ग), (घ) तथा (ग) में वर्णित व्यक्तियों में से कितने सितम्बर १९५३ में, मुक्त किये जाने के लिये फिर बुलाये गये ?

(घ) भारत के विभिन्न स्टेशनों से इन लोगों के आने जाने में सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय कितना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) ८३ ।

(ख) ३० व्यक्ति मुक्त कर दिये गये तथा ५३ विभिन्न यूनिटों में फिर काम पर लगा दिये गये । बाद वाले अंक में ऐसे १२ क्लर्क भी सम्मिलित हैं जिन्होंने सेनेटरी असिस्टेण्टों के रूप में फिर से काम करने की इच्छा प्रकट की । इस श्रेणी के जितने व्यक्ति ए० एम० सी० को रखने का अधिकार था उतने व्यक्ति उसके पास नहीं थे । एक क्लर्क ने पैदल सेना में स्थानान्तरित किये जाने की इच्छा प्रकट की ।

(ग) ४० ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिणी प्रादेशिक विकास समिति

*९०६. **श्री माधव रेड्डी**: क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या टैक्निकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की दक्षिणी प्रादेशिक विकास समिति की निरीक्षक समितियों ने टैक्निकल संस्थानों के निरीक्षण का कार्य पूरा कर दिया है तथा परिषद् को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): हां, निरीक्षक समितियों ने अपना काम पूरा कर दिया है तथा अपने प्रतिवेदन दक्षिणी प्रादेशिक समिति के पास भेज दिये हैं ।

स्थानों के नाम बदलना

*९११. **श्री बुच्चिकोटैय्या**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्र ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे नगरों तथा ग्रामों के पुराने नाम जल्दी-जल्दी न बदलें ?

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) हां ।

(ख) नाम तथा उनकी शब्द रचना बदलने की एक समान प्रक्रिया बनाने के लिये तथा इस बात का ध्यान रखने के लिये कि ग्रामों तथा नगरों इत्यादि के नाम जिनके लोग अभ्यस्त होगये हैं या जिन का कोई एतिहासिक महत्व है, उस समय तक न बदले जायें जब तक कोई विशेष विवशता न हो ।

खनिज रियासतों के नियम

*९१२. **श्री अमजद अली**: क्या **शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के खनिज संसाधनों का आर्थिक तथा वैज्ञानिक उपयोग करने के लिये, भारत सरकार, खनिज रियायतों के नियमों में जो परिवर्तन करना चाहती है, उस की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार खनिज रियायतें प्राप्त प्रत्येक खानस्वामी को ऐसे टेक्निकल विशेषज्ञों को रखने के लिये विवश करने का विचार करती है जिन के आदेश खान में काम करने वालों के लिये मान्य होंगे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) खनिज रियायतों के नियमों से देश के खनिज संसाधनों के आर्थिक तथा वैज्ञानिक उपयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो खान तथा खनिज पदार्थ (नियमन तथा विकास) अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों का कार्य है, जिन पर विचार किया जा रहा है तथा जो शीघ्र ही लागू

किये जान वाले हैं। चूंकि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है इस लिये अभी से उनको बताना पूर्वकालिक होगा।

(ख) इस आशय का एक सुझाव सरकार के सामने रक्खा जा चुका है तथा विचाराधीन है।

पैप्सू में दखलीकार काश्तकार

*९२४. **श्री गोपाल राव:** क्या राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि पेप्सू के मालविभाग के कर्मचारी, किसी प्रकार की किस्तें नियत किये बिना, दखीलकार काश्तकारों से क्षतिपूर्ति वसूल करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

(ख) ग्राम्य विधियों के कार्यान्विति के सम्बन्ध में दखीलकार काश्तकारों के साथ व्यवहार करने के लिये, मालविभाग के कर्मचारियों को क्या सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किये गये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) नहीं।

(ख) हां।

हिन्द नगर के साथ बेतार के तार द्वारा सम्बन्ध

*९३१. **श्री भागवत झा:** क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि हिन्दनगर कोरिया तथा भारत के मध्य बेतार के तार द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया जा चुका है ?

(ख) एक दिन में लगभग कितने शब्दों का सम्वाद भेजा जा सकता है ?

(ग) इस के लिये आवश्यक साजोसामान भारत से लिया गया है या इस का कोई और प्रबन्ध किया गया है ?

(घ) इस उपक्रम की लगभग लागत कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) हां।

(ख) ५००० शब्द प्रति दिवस।

(ग) इसके साज़ोसामान का प्रबन्ध भारत से किया गया है।

(घ) इस योजना पर अतिरिक्त व्यय लगभग २७,००० रुपये का किया गया है। संधारण इत्यादि पर होने वाले आवर्ती व्यय का आगणन १००० रुपया प्रतिमास किया गया है।

भारत में प्रवेश

*९३२ **श्री पी० सुब्बा राव:** क्या राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के स्थायी निवासियों को भारत में प्रवेश करने के लिये पर्मिट लेना पड़ता है ?

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड (क) का उत्तर सकारात्मक हो तो इसका कारण क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) हां।

(ख) यह प्रतिबन्ध, वाह्य तथा आन्तरिक संचरण (नियंत्रण) अध्यादेश, २००५ द्वारा लगाये गये हैं जो जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा, उनके अधिकारों के अधीन जारी किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा पता लगा है कि राज्य पर आक्रमण होने के पश्चात् तथा अन्तर्प्रवेश होते रहने के कारण ऐसा प्रधानतः सुरक्षा के लिये किया गया था।

राष्ट्रीय नमूना परिमाप कर्मचारी

*९३३. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या

यह तथ्य है कि प्रत्यक्ष रूप से मंत्रालय के आधीन राष्ट्रीय नमूना परिमाप के फील्ड ब्राञ्च में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी एक २ मास के लिये तदर्थ शर्तों पर काम पर लगाये जाते हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : भारत सरकार के अन्तर्गत अन्य अस्थायी दफ़्तरों के समान, राष्ट्रीय नमूना परिमाप अधिकार के कर्मचारी भी, फरवरी १९५४ तक के लिये, संमोदित किये गये हैं। अधिकांश पद नियमित वेतन क्रम के अंतर्गत लाये गये हैं शेष पदों के लिये भी निकट भविष्य में नियमित वेतन क्रम का उपयोग किया जायगा।

आयकर निर्धारण

*९३४. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब और कैसे पीलीभीत ज़िले (उत्तर प्रदेश) को बरेली के आयकर निर्धारण क्षेत्र से निकाल कर शाहजहांपुर के आयकर निर्धारण क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया ?

(ख) आयकर निर्धारण क्षेत्रों तथा आयकर अपेलेट प्रदेशों की रचना के मूलभूत सिद्धान्त क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) पीलीभीत का ज़िला बरेली के आयकर क्षेत्र से जून १९४८ में निकाल लिया गया था तथा उसी महोने में शाहजहांपुर के आयकर निर्धारण क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया था। यह परिवर्तन बचत के विचार से तथा प्रशासनीय सुव्यवस्था के विचार से किया गया था क्योंकि देखा यह गया है कि आय कर अधिकारी बरेली, के पास बहुत से मुकदमे थे जब कि आयकर अधिकारी शाहजहांपुर के पास इतने मुकदमे नहीं थे कि वे सारे वर्ष भर उनको निपटाते रहें। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है पीलीभीत के कर दाताओं को कर निर्धारण कराने के लिये शाहजहांपुर जाना पड़ता है।

(ख) आयकर निर्धारण क्षेत्रों तथा आयकर पुनर्वाद प्रदेशों की रचना के मूलभूत सिद्धान्त ये हैं :—

(१) उस क्षेत्र के करदाताओं की संख्या ; तथा संबंधित लोगों को मुख्यालय पहुंचने की सहूलियत ;

(२) प्रशासनीय सुव्यवस्था जिस के परिणामस्वरूप कर निर्धारण अधिकारियों तथा पुनर्वास अधिकारियों के मध्य काम का समान वितरण हो सके।

इटली को छात्रवृत्तियां

*९३५. **श्री एम० डी० रामस्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इटली की पांच छात्रवृत्तियां हाल में भारतीय विद्यार्थियों को किन पाठ्यक्रमों के लिये दी गई थीं ?

(ख) क्या इन छात्रवृत्तियों के लिये सभी राज्यों से आवेदन पत्र मंगाये गये थे ?

(ग) उम्मीदवारों का चुनाव किस आधार पर किया गया था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) कृषिविज्ञान, भवननिर्माण कला, सांस्कृतिक इतिहास, इंजीनियरिंग तथा टेकनालोजी।

(ख) हां।

(ग) चुनाव योग्यता के आधार पर किया गया था योग्यता, अध्ययन अथवा शिक्षण के विषय के महत्व, तथा इटली में प्राप्य सुविधायों के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव किया गया है।

पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग

*९३६. **श्री मुनिस्वामी :**
श्री गणपति राम :
श्री रिशांग किशिंग :

(क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग ने अपने कार्य में कहां तक प्रगति की है ?

(ख) आयोग ने अब तक कितने राज्यों का दौरा किया है ?

(ग) क्या आयोग ने कोई अन्तरिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). पिछड़े वर्गों के आयोग ने अपना कार्य १८ मार्च १९५३ से आरम्भ किया था। जनता की राय मालूम करने के लिये इस ने एक बड़ी विशद प्रश्न माला तैयार की है जो खूब परिचालित की गई है। प्रश्न माला के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं तथा उन की जांच की जा रही है। आयोग ने अब तक लिखित तथा मौखिक साक्ष्य एकत्रित कर के, एवं सामाजिक व शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की स्थितियों की उन्हीं स्थानों पर जा कर के जांच कर के आवश्यक आंकड़े संकलित करने के उद्देश्य से छः राज्यों का दौरा किया है।

(ग) जी नहीं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये पदों का संरक्षण

*९३७. **श्री बी० एन० कुरील :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त के १९५१ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर जिन में, "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये पद रक्षित रखने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों का दृढ़ पालन सुनिश्चित करने के हेतु एक विशेष मशीनरी की स्थापना करने" के लिये कहा गया था, कोई कार्य-वाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों की रक्षित पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियमित रूप से वार्षिक प्रतिवेदन भेजने के विषय में तभी से निदेश जारी कर दिये गये हैं। उन की छान बीन के लिये भी प्रबन्ध कये गये हैं और जहां कहीं भी रक्षण नियमों के पालन में कमी जान पड़ती है, ऐसे मामले संबन्धित मंत्री की सूचना में लाये जाते हैं। रक्षण सम्बन्धी आदेशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिये और किस कार्यवाही की आवश्यकता है, सरकार इस पर भी विचार कर रही है।

बेरोजगारी

*९३८. **श्री एन० डी० रामस्वामी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यश यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा बेरोजगार लोगों को सहायता देने के उद्देश्य से शिक्षित तथा बेरोजगार नवयुवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों का कार्य देने के लिये रची गई योजना उन राज्यों में कब तक चालू होगी जिन्हों ने अब तक इस के लिये स्वीकृति दे दी है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : प्रस्तावित योजना २ अक्तूबर, १९५३ से चालू कर दी गई है।

हाली उस्मानिया कागजी मुद्रा

*९३९. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **वित्त** मंत्री हैदराबाद राज्य में हाली उस्मानिया कागजी मुद्रा की वह कुल राशि बताने

की कृपा करेंगे जो राजकोष को १ जुलाई, १९५३ से ३१ अक्तूबर, १९५३ तक वापस कर दी गई थी ?

(ख) उस राज्य में इस समय जो उस्मानिया मुद्रा प्रचलित है, उस का अनुमानित मूल्य क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) एक रुपये के नोटों समेत ८.०५ करोड़ रुपये, उस्मानिया सिक्का ।

(ख) एक रुपये के तथा अन्य छोटे सिक्कों समेत १८.४२ करोड़ रुपये, उस्मानिया सिक्का । यह स्थिति २८ नवम्बर, १९५३ को थी ।

आदिमजाति परामर्शदात्री परिषद्

४०७. **श्री सोरैन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिमी बंगाल में अनुसूकित आदिम जातियों के लिये एक आदिमजाति परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना की जा चुकी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जी हां ।

आई० एम० एस० आकस्मिक संवर्ग पदाधिकारी

४०८. **डा० एन० बी० खरे** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री पिछले महायुद्ध में मेडिकल कालेज से व भारत सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से सीधे भर्ती किये गये उन आई० एम० एस० आकस्मिक संवर्ग पदाधिकारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन की अभी तक ए० एम० सी० के नियमित संवर्ग में पुष्टि नहीं की गई है ?

(ख) इन पदाधिकारियों के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में क्या नीति रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भूतपूर्व आई० एम० एस० के आकस्मिक संवर्ग के द्वारा भर्ती किये गये छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कोई भी अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि कमीशन दिये जाने पर उन्हें अन्य आकस्मिक कमीशंड अधिकारियों में मिला दिया गया था ।

(ख) इन अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिये आवेदन-पत्र भेजने के लिये उतना ही अवसर प्रदान किया गया था जितना कि अन्य भूतपूर्व आई० एम० एस० के आकस्मिक कमीशंड अधिकारियों को प्राप्त था। स्थायी नियमित कमीशंड उन में से केवल उन्हीं को दिये गये थे जो योग्यता के आधार पर चुनाव मण्डलों द्वारा अच्छे समझे गये थे ।

पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ियोंदार खेती

४०९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में सीढ़ियोंदार खेती को प्रोत्साहन देने के लिये स्वीकृत तथा व्यय की गई धन राशि ;

(ख) मनीपुर की सरकार द्वारा उपक्षेत्रवार प्राप्त तथा स्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या, ; तथा

(ग) इस काल में खेती की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) १९५२-५३ में छः प्रदर्शनकारी प्रचार कार्य तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ियांदार खेती के योग्य भूमि को खोजने के लिये नियुक्त किये गये थे। उन में ८० गांव थे और उन्हों ने १००० एकड़ भूमि ढूंढ़ निकाली जो सीढ़ियोंदार खेती के उपयुक्त थी । २००० रु० की राशि इस कार्य पर व्यय की गई थी।

१९५३-५४ में इसी कार्य के लिये पुनः प्रदर्शनकर्त्ता नियुक्त किये गये हैं ।

आदिमजाति कल्याण योजना के अन्तर्गत मुख्ययुक्त के विवेकात्मक अनुदान के लिये एक इकट्ठी राशि रखने का विचार है और यह भी विचार किया जाता है कि ऐसे कार्यों के लिये वित्तीय सहायता उसी निधि में से दी जाये ।

१९५२-५३ में ४००० रु० की धनराशि मुख्यायुक्त के विवेकात्मक अनुदान में से उखरल क्षेत्र के चिंगजौरी ग्राम में एक सिंचाई की नालियों के निर्माण निमित्त अंश दान के रूप में व्यय की गई थी ।

(ख) प्राप्त हुए आवेदन पत्र :

उखरल	३
सदर	२
तामेंगलंग	३
चूराचांदपुर	१
	९

इन सभी आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है ।

(ग) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । यह एकत्रित की जायेगी तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जायेगी ।

अफीम

४१०. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री स्थानीय उपभोग के लिये (१) नीमच फैक्टरी तथा (२) गाज़ीपुर फैक्टरी में तैयार की गई अफीम की मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) भारत सरकार को इस प्रकार अफीम तैयार कराने पर क्या लागत लगी और तैयार की गई अफीम का मूल्य कितना है ?

(ग) विभिन्न राज्यों को यह किस भाव पर दी जाती है ?

(घ) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य ऐसी अफीम को जनता के हाथ अपने अपने अलग अलग दरों पर बेचते हैं ?

(ङ) क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न राज्यों के दरों में अन्तर होने से सरकारी अफीम की अवैध चोरी को प्रोत्साहन मिलता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सो० गुहा) : (क) वर्ष १९५२-५३ में गाज़ीपुर फैक्टरी में २३६१ मन तथा नीमच में ८०५ मन अफीम तैयार की गई ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) मूल्य का वर्तमान दर जिस पर राज्य सरकारों को अफीम दी जा रही है ५६ रु० १ आ० प्रति सेर है ।

(घ) हां, श्रीमान् । राज्य सरकारों द्वारा बेची जाने वाली अफीम की दरें दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ङ) नहीं, श्रीमान् । वर्तमान स्थिति में ऐसी कोई खास बात नहीं होती है । राज्य सरकारों के सम्भरण में वित्तीय वर्ष १९४८-४९ के आधारभूत आंकड़ों पर प्रतिवर्ष क्रमश: १० प्रतिशत की कमी जा रही है । तथा यह अब इतने निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि राज्य सरकारों की आवश्यकता भी कठिनता से ही पूरी हो पाती है । अत: राज्य सरकारों द्वारा नियन्त्रण सदैव से कहीं अधिक कठोर हो गया है । तथा अन्तर राज्य चोरी का खतरा काफी कम हो गया है ।

परीक्षाएं

४११. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री उन विद्यार्थियों की सम्पूर्ण संख्या बताने

की कृपा करेंगे जो सन् १९५३ में निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं :

(१) मैट्रीकुलेशन अथवा उसकी समकक्ष;

(२) इन्टरमिजियेट अथवा उस की समकक्ष;

(३) बी० ए०, बी० एस० सी० अथवा उस की समकक्ष;

(४) एम० ए०, एम० एस० सी० अथवा उस की समकक्ष ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (१) से (४). १९५३ में हुई वार्षिक परीक्षाओं में उतीर्ण विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी : मैट्रीकुलेशन तथा उस की समकक्ष ३,०४,४००; इन्टर आर्टस्/ इंटर साइंस ८,७००; बी० ए०/बी० एस० सी० ३३,२००; तथा एम० ए० / एम० एस० सी० ७,५००

देहू रोड, पूना, सी० ओ० डी०

४१२. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देहू रोड, पूना सी० ओ० डी० के कुछ रक्षा कर्मचारियों को बिना कुछ कारण बताये नौकरी से हटा दिया गया है ?

(ख) क्या यह सच है कि जब कोई कर्मचारी नौकरी से हटाया जाता है तो उसे एक चार्जशीट दिया जाता है, तथा अपना प्रतिवाद करने का भी अवसर दिया जाता है ?

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त भाग (क) में निर्दिष्ट कर्मचारी सक्रिय मज़दूर-संघवादी थे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) दो अस्थायी कर्मचारियों को उचित पूर्व सूचना दे कर हटाया गया था, क्योंकि उन की सेवाओं की और आवश्यकता नहीं थी।

(ख) चार्जशीट केवल उन्हीं मामलों में दी जाती है जब कि सरकारी कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुसार हटाया जाता है। जिन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा की गई पूर्व सूचना से समाप्त की जा सकती है, चार्जशीट की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) कर्मचारियों में से एक सी० ओ० डी० कामगर संघ का साधारण सदस्य तथा दूसरा कार्यकारिणी का सदस्य था। इन दोनों व्यक्तियों का संघ से सम्पर्क रखना उन के हटाये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है।

मनीपुर में पुलिस संगठन

४१३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर में पुलिस संगठनों की कौन कौन सी विभिन्न श्रेणियां हैं और पृथक पृथक उनके कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मंजूर की गई मनीपुर पुलिस के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

(सशस्त्र मनीपुर राइफल्ज़)

पद	मंजूर की गई संख्या
कमांडेंट	१
सूबेदार मेजर	१
सूबेदार	२
जमादार	६
हवलदार	१८
नायक	३२
लैंस नायक	३०
राइफलमैन	३०३
हैड कंसटेबिल	१
चौकीदार	१
भंगी	८
कुल	४०६

निःशस्त्र (नागरिक पुलिस)

पद	मंजूर की गई संख्या
सुपरिंटेंडेंट पुलिस	१
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस	२
इंस्पैक्टर	६
सब इंस्पैक्टर	२८
असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर	३४
हैड कंसटेबिल	१६
कंसटेबल	२८८
हैड क्लर्क	१
स्टेनोग्राफर	१
कलर्क	६
गायें चराने वाला	१
भंगी	४
बीटमैन	१
कुल	३८९

अखिल-भारतीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन

४१४. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि १० नवम्बर १९५३ को नागपुर में हुए पांचवें अखिल-भारतीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन ने हिन्दी परीक्षाओं के प्रमापीकरण की आवश्यकता पर जोर डालने वाला एक संकल्प पारित किया और यह अनुरोध किया कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई हिन्दी शिक्षा समिति में ऐसे सदस्य होने चाहियें, जो देश में हिन्दी प्रचार करने वाले संघटनों का प्रतिनिधित्व करें ?

(ख) यदि ऐसी बात है तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाई करना चाहती है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) मामला विचाराधीन है । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस समय जो हिन्दी शिक्षा समिति काम कर रही है, अन्य बातों के साथ उसमें तीन प्रमुख हिन्दी संघटनों के प्रतिनिधि हैं, अर्थात (१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, (२) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास और (३) हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा ।

बिक्री-कर

४१५. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में बिक्री-कर-विधि के प्रशासन में अनुभव की गई कठिनाइयों पर विचार करने के लिये, १६ और १७ नवम्बर १९५३ को दिल्ली में प्राधिकारियों की एक समिति की बैठक हुई ?

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये ?

वित्त उपमंत्री (श्री एन० सी० शाह) (क) हां, श्रीमान ।

(ख) समिति ने कई सिफारिशें कीं, जो सब राज्य सरकारों को भेजी गई हैं ।

पाण्डीचरी की सीमा पर सीमा-शुल्क द्वार

४१६. **श्री वी० मुनिस्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री सदन-पटल पर पाण्डीचरी की सीमा पर स्थित सीमा-शुल्क द्वारों, बाहर के द्वारों और चौकियों की सूची रखने की कृपा करेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : पाण्डीचरी की भूमि सीमा पर भूमि सीमा-शुल्क चौकियों, बाहर के द्वारों, और अन्दर के द्वारों सम्बन्धी जानकारीसम्बन्धी विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४]

शराब का चौर्यानयन

४१७. **श्री गिडवानी :** क्या वित्त मंत्री ११ सितम्बर १९५३ को पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या १२२९ तथा १२३० पर उठाये गये अनुपूरक प्रश्न के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शराब के चौर्यानयन में बम्बई के कुछ सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के सम्मिलित होन के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ और जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम रहा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). संभवतः माननीय सदस्य के मन में बम्बई सीमा-शुल्क केन्द्र के श्री जार्ज डीक का मामला है, जिसके सम्बन्ध में जांच करना प्रधान मंत्री ने अपने जिम्मे लिया । समस्त सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा मामले का पुनर्विलोकन किया गया है और सरकार के अस्थायी निर्णय को प्रभावी करने के लिये कार्यवाई की गई है । कुछ प्रारम्भिक औपचारिकतायें पहले ही आरम्भ की गई हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के आयुक्त का कार्यालय

४१८. **डा० सत्यवादी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त के कार्यालय तथा उसकी शाखाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों (श्रेणी वार) की संख्या; तथा

(ख) प्रत्येक श्रेणी में क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के कर्मचारियों की संख्या ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५]

सोमवार,
१४ दिसंबर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार १४ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२.३९ म० प०

श्री एच० एन० शास्त्री का देहान्त

मिनिस्टर आफ़ एजूकेशन एन्ड नैचुरल रीसोर्सेज एन्ड साइंटिफिक रीसर्च (मौलाना आजाद) : जनाब, इस वक्त हम सब के दिल एक ताजा गम के बवजह से बोझल हो रहे हैं। दो दिन हुए हवाई जहाज का जो हादसा नागपुर में हुआ उस की वजह से १३ जानों का नुक्सान हुआ और बड़े ही दुख की बात है कि हमारे एक अजीज साथी और इस हाऊस के सरगरम मैम्बर श्री हरिहर नाथ शास्त्री भी उस हादसा में हम से जुदा हो गये। शास्त्री मरहूम मुल्क की आजादी की लड़ाई के एक बहादुर सिपाही थे। अभी वह तालीम पा रहे थे कि महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में तहरीक शुरू हुई। उन्होंने तालीम छोड़ दी और मैदान में आ कर खड़े हो गये। वह बार बार मैदान में आये और बार बार कैद खाना का दरवाजा खटखटाया। उस के बाद उन्होंने बनारस में

अपनी तालीम पूरी की। तालीम के बाद मौका था कि वह अपनी फिकर करते। अपने खानदान की फिकर करते। कोई मुलाजमत करते। कोई कारोबार करते। मगर नहीं। उन्होंने अपनी जिन्दगी मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और खिदमत का भी एक ऐसा मैदान चुना जो बहुत मुश्किल मैदान था; यानी मजदूरों की खिदमत का मैदान। मजदूरों के मक्सद को, मजदूरों के फायदा को उन्होंने अपना मक्सद बनाया। वह बरसों से उसी काम में लगे हुए थे। न सिर्फ इस मुल्क के अन्दर बल्कि मुल्क के बाहर भी जो इंटरनैशनल आरगेनाईजेशन हैं, वह उन में शरीक हुए और हिन्दुस्तान की नुमायंदगी की। मजदूरों का फायदा यकीनन उन को अजीज था लेकिन इस के साथ ही वह उन लोगों में नहीं थे जो किसी एक ही तरफ बह जाते हैं। उनके सामने गवर्नमेंट की मुश्किलात, कारखानों की मुश्किलात और इन्डस्ट्री की मुश्किलात भी थीं और वह हमेशा कोशिश करते थे कि मजदूरों के फायदा को सामने रखते हुए एतदाल का रास्ता इख्तियार किया जाय ताकि सही नक्शा बन सके।

मुझ को यकीन है कि उन की जुदाई का गम हम सब यक्सां तौर पर महसूस कर रहे हैं और हाऊस का हर मैम्बर उन के पसमांदों से दिली हमदर्दी रखता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप सदन-नेता ने जो कुछ कहा है मैं उस से पूर्णतः

[अध्यक्ष महोदय]

सहमत हू । श्री हरिहर नाथ शास्त्री ने देश के स्वातंत्र्य संग्राम में प्रमुख भाग लिया था और अपना जीवन मज़दूरों की भलाई के लिये समर्पित कर दिया था । वह इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान थे हम सब को उन के दुखद अवसान से असीम शोक हुआ है और हम उन की वृद्ध माता और उन की पत्नी को समवेदना भेजते हैं । सदन अपना शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट मौन रहे ।

सदन एक मिनट मौन रहा ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

आयकर जांच आयोग सम्बन्धी अधिसूचना

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : म, आय पर कराधान (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७ की धारा ४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या ७१–आयकर दिनांक २ दिसम्बर, १९५३, जिस के द्वारा आयकर जांच आयोग की कार्य की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ाई गई है, की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस––२०७।५३**

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया (नोटों की वापसी) नियम, १९३५ के सम्बन्ध में अधिसूचना

श्री एम० सी० शाह : मैं रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, १९३४ की धारा २८ के परन्तुक के अन्तर्गत, रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया की अधिसूचना संख्या २२, दिनांक २९ अक्तूबर, १९५३, जिस के द्वारा रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया (नोटों की वापसी) नियम, १९३५ में संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस.––२०८।५३]**

समितियों के लिये निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय नारियल समिति अधिनियम, १९४४, जैसा कि वह भारतीय नारियल समिति (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा संशोधित हुआ, के अन्तर्गत इस सदन के सदस्य, अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, श्री पी० टी० चाको के स्थान में, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्वयं अपने में से भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति की सदस्यता के लिये एक सदस्य का निर्वाचन करें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह सूचना देनी है कि भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के सिलसिले में नामनिर्देशित पत्रों के प्राप्त करने तथा उम्मीदवारी से नाम वापस लेने, एवं, आवश्यकता होने पर, निर्वाचन करने के लिये ये तारीखें निर्धारित की गई हैं :—

नामनिर्देशन की तारीख––१५-१२-५३ ।

उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की तारीख––१६-१२-५३ ।

निर्वाचन की तारीख––२१-१२-५३ ।

नामनिर्देशन अथवा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने के पत्र संसदीय सूचनालयों में कथित तारीखों को ४ बजे म० प० तक लिये जायेंगे ।

निर्वाचन २-३० म० प० और ५ म० प० के बीच संसद् भवन के कमरा नंबर ६२ में होगा ।

विशेष विवाह विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन राज्य परिषद् की इस सिफारिश से सहमत है कि कतिपय मामलों में विवाह के एक विशेष रूप का, तथा ऐसे व कतिपय अन्य विवाहों के पंजीयन का उपबन्ध करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में सदनों की संयुक्त समिति में यह सदन शामिल हो और संकल्प करता है कि उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता के लिये लोकसभा के निम्नलिखित सदस्य नाम निर्देशित किये जायें : श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्रीमती इन्दिरा ए० मायदेव, श्री नरहर विष्णु गाडगील, पंडित बालकृष्ण शर्मा, श्री नरदेव स्नातक, श्री राम शरण, श्री मुहम्मद खुदा बख्श, श्रीमती सुषमा सेन, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, डा० हरी मोहन, श्री डोडा तिमय्या, श्री जी० आर० दामोदरन, श्री सी० पी० मैथ्यू, श्री विश्वनाथ रेड्डी, श्री टेक चन्द, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्रीमती बी० खोंगमेन, श्री बी० एन० मिश्र, श्री एन० सोमना, श्री पुरुनेन्दु शेखर नस्कर, श्री बी० पोकर साहेब, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति शाह, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, डा० ए० कृष्णस्वामी, श्री एम० आर० कृष्ण, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, श्री पी० एन० राजभोज, श्री के० ए० दामोदर मेनन, और श्री त्रिदीब कुमार चौधरी ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (जिला कानपुर दक्षिण व जिला इटावा–पूर्व) : राज्य परिषद् ने इस सम्बन्ध में जो संकल्प पारित किया है उस के अनुसार संयुक्त समिति का संचालन उस सदन के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार होगा, जिस का अर्थ यह हुआ कि इस संयुक्त समिति का अध्यक्ष उसी सदन में से लिया जायेगा, और यह कि यह संयुक्त समिति, जिस में अधिकांश सदस्य इस सदन के होंगे, अपना प्रतिवेदन राज्य परिषद् को देगी । इन परिस्थितियों में क्या हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना उचित होगा ?

श्री एम० खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : एक और बात है जिस की ओर मेरे माननीय मित्र ने निर्देश नहीं किया । राज्य परिषद में जो संकल्प पारित हुआ वह पूरा का पूरा यहां पेश नहीं किया गया । उस प्रस्ताव के बिना यह सदन संयुक्त प्रवर समिति में किस प्रकार शामिल हो सकता है ?

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : मैंने विधि मंत्री के प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक संशोधन की सूचना दी है । यदि आप उचित समझें तो विधेयक के गुणावगुणों पर चर्चा करने से पहले संविधान, प्रक्रिया तथा विशेषाधिकार के प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन इसी समय प्रस्तुत कर सकते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : म प्रस्ताव करता हूं :

मूल प्रस्ताव के स्थान में निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये :

"कि यह सदन राज्य परिषद की इस सिफारिश पर ध्यान देते हुए कि कतिपय मामलों में विवाह के एक विशेष रूप का, तथा ऐसे व कतिपय अन्य विवाहों के पंजीयन का उपबन्ध करने वाले विधेयक

[डा० लंका सुन्दरम्]

के सम्बन्ध में सदनों की संयुक्त समिति में यह सदन शामिल हो, यह संकल्प करता है कि उक्त समिति से सम्बद्ध होने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित सदस्य नामनिर्देशित किये जायें : श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्रीमती इन्दिरा ए० मायदेव, श्री नरहरी विष्णु गाडगील, पंडित बालकृष्ण शर्मा, श्री नरदेव स्नातक, श्री राम शरण, श्री मुहम्मद खुदा बख्श, श्रीमती सुषमा सेन, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, डा० हरी मोहन, श्री डोडा तिमय्या, श्री जी० आर० दामोदरन, श्री सी० पी० मैथ्यू, श्री विश्वनाथ रेड्डी, श्री टेक चन्द, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्रीमती बी० खोंगमेन, श्री बी० एन० मिश्र, श्री एन० सोमना, श्री पुरुनेन्दु शेखर नस्कर, श्री बी० पोकर साहेब, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमतिशाह, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, डा० ए० कृष्णस्वामी, श्री एम० आर० कृष्ण, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, श्री पी० एन० राजभोज, श्री के० ए० दामोदर मेनन और श्री त्रिदीब कुमार चौधरी ।"

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री कासलीवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

डा० लंका सुन्दरम द्वारा प्रस्तावित संशोधन में :—

"and resolves that the following Members of the House of the People be nominated to associate with the said Committee"

("यह संकल्प करता है कि उक्त समिति से सम्बद्ध होने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित सदस्य नामनिर्देशित किये जायें")

के स्थान में "But regrets that it is unable to concur in the said recommendation." ("उसे खेद है कि वह उक्त सिफारिश से सहमत नहीं हो सकता ")

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"which will work under the Rules of Procedure of the House of the People."

("जो लोक-सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत कार्य करेगी ।")

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से सदस्य प्रस्तुत प्रश्न के सांविधानिक पहलू के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न उठाना चाहते हैं, यह ठीक होगा कि पहले हम सांविधानिक स्थिति सम्बन्धी औचित्य प्रश्नों तक सीमित रहें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

डा० लंका सुन्दरम् : प्रारम्भ में म यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे विधेयक के गुणावगुणों के बारे में कुछ नहीं कहना है । यद्यपि उस के बारे में मुझे एक-दो छोटी-मोटी बातें कहनी हैं, परन्तु फिर भी मैं विधेयक के प्रस्तुतकर्ता से पूर्णतः सहमत हूं ।

आज कार्यक्रम में तीन प्रस्ताव हैं । एक प्रस्ताव—विचाराधीन प्रस्ताव के अलावा —विधि मंत्री के नाम में है और दोनों सदनों के सदस्यों के भत्तों और संक्षिप्त नामों के सम्बन्ध में संसद् की संयुक्त समिति की

सिपारिशों के विषय में हैं। दूसरा प्रस्ताव प्रधान मंत्री के नाम में है जिस में उस वाद-विवाद को फिर जारी करने की अपेक्षा है जो इस वर्ष १२ और १३ मई को अधूरा छोड़ दिया गया था। यह लोक-सभा की लोक लेखा समिति में राज्य-परिषद के भी सात निर्वाचित सदस्य रहने से सम्बन्ध रखता है। तीसरा प्रस्ताव यही है जिस पर विचार किया जा रहा है। ये तीनों प्रस्ताव संविधान के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों, विशेषाधिकारों आदि का हनन करने वाले हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस सदन तथा अन्य सदन के बीच अब कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन का उद्देश्य सांविधानिक गतिरोध एवं संकट उत्पन्न करना मात्र है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी किया जाये वह बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से किया जाये, अप्रत्यक्ष अथवा अस्पष्ट ढंग से नहीं।

अब मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने संशोधन पर कुछ कहूंगा। जहां तक संसद् के दोनों सदनों की अलग अलग शक्ति, कृत्य तथा प्रक्रिया का सम्बन्ध है, संविधान में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। संविधान के अनुच्छद १०५ (३) में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का स्पष्ट उल्लेख है। वे ऐसी होंगी जैसी संसद् समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की हैं। अभी तक दोनों सदनों की पारस्परिक सहमति से इस प्रक्रिया विशेष के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाया गया है।

अनुच्छेद १०७ (१) में यह उपबन्ध है कि धन-विधेयकों के विषय में अनुच्छेद १०९ और ११७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद् के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा। जहां तक धन विधेयकों का सम्बन्ध है, लोक-सभा की शक्ति सर्वोच्च मानी गई है। अनुच्छेद १०७ (५) में यह उल्लिखित है कि राज्य परिषद् में लम्बित विधेयक अनुच्छेद १०८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक-सभा के विघटन पर व्ययगत हो जायेंगे।

संविधान का अनुच्छेद १०० डाक जिसमें कि दोनों भवनों के संयुक्त सत्र का उपबन्ध रखा गया है, संयुक्त प्रवर समितियों की रचना के मामले के संबंध में खामोश है।

संविधान के अनुच्छद ११८ के अनुसार लोक-सभा का अध्यक्ष ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति हो सकता है। दूसरे शब्दों में लोक-सभा का अध्यक्ष ही संसद के दोनों सदनों का अध्यक्ष है। इस स्थिति में हेर फेर किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रक्रिया नियमों तथा दूसरे सदन के प्रक्रिया नियमों को भी देख लेना चाहिये। जहां हमारा नियम ७४(३) संयुक्त प्रवर समिति का उपबन्ध रखता है, वहां दूसरे सदन में इस का कोई उपबन्ध नहीं। इस सदन ने साधारण निर्वाचन के बाद दो संयुक्त समितियां नियुक्त करवाई हैं।

गत वर्ष दूसरे सदन ने हमारी नियम समिति के पास अपने नियम ८०-क का प्रारूप भेजा था, उस की धारा (४) के अन्तर्गत यह अनिवार्य रखा गया था कि जो विधेयक राज्य-परिषद् में आरम्भ हुआ हो, उस के सम्बन्ध में नियुक्त की गई संयुक्त समिति का अध्यक्ष राज्य-परिषद के सभापति द्वारा ही चना जायगा, आदि आदि। धारा

[डा० लंका सुन्दरम्]

(५) का भी इसी से सम्बन्ध था। धारा (८) में कहा गया था कि राज्य-परिषद का सभापति संयुक्त समिति की बैठक के लिये समय तथा स्थान निश्चित करेगा। धारा (१०) में इस बात का उपबन्ध रखा गया था कि नियमों में फेर बदल राज्य-परिषद का सभापति ही कर सकता है। सारांश यह कि अध्यक्ष (स्पीकर) के अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिये गये थे। हमारी नियम समिति ने इस प्रारूप की जांच कर के इसे रद्द किया। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार अब हमें वह बात स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रही ह जो कि हम ने एक वर्ष पूर्व रद्द की है। इस तरह से केवल संभ्रांति फैल जायगी तथा सांवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। माननीय विधि मंत्री ने सांवैधानिक उपायों का सहारा न ले कर अन्य तरीके अपनाए हैं।

और भी कई प्रविधिक बातें हैं जिनका कि निर्णय करना होगा। समिति में बहुमत इस सदन के सदस्यों का होगा, क्या वह अनुशासन, विशेषाधिकार आदि के सम्बन्ध में राज्य-परिषद् के सभापति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के अधीन रहेंगे ? ब्रिटेन में कभी भी ऐसा कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर विमति-पत्रों का प्रश्न है। कुछ अनुचित शब्दों को निकालने आदि का भी प्रश्न है। यदि संयुक्त समिति में कोई गड़बड़ होगी तो उन पर कौन नियंत्रण रखेगा ? यह काल्पनिक प्रश्न नहीं अपितु व्यवहारिक प्रश्न है। इस के अलावा भत्तों आदि के भुगतान का प्रश्न, मतदान का प्रश्न तथा दूसरे प्रश्न भी हैं।

और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। अध्यक्ष महोदय योग्यता के आधार पर प्रवर समिति का सभापति नियुक्त करते हैं। हाल ही में ऐसी एक समिति का सभापति प्रतिपक्ष से लिया गया है तथा यह सांवैधानिक प्रक्रियात्मक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यन्त ही महत्व की बात है प्रवर समितियों को आप राजनीतिक आधार पर अथवा पार्टीबाज़ी के आधार पर नहीं चला सकते हैं। फिर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इन संयुक्त प्रवर समितियों का रिकार्ड किस के पास रहेगा।

इस विधेयक के अलावा दो और भी हिन्दू सुधार विधेयक हैं। इन तीनों विधेयकों को एक ही संयुक्त प्रवर समिति के हाथ सौंपा जाना चाहिये।

मैं द्विसदनी विधान-मंडलों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। दूसरे सदन की स्थिति क्या है ? यह समान राजनीतिज्ञों का एक निकाय है जिसे कि शान्त वातावरण में दूसरे सदन के काम पर पुनर्विचार करना होता है और यदि हम ने कोई गलती की होगी तो इसे सुधारना है। परन्तु अब हो यह रहा है कि यह सदन हमारे समतुल्य बन रहा है तथा कई मामलों में हम से अधिक शक्तिशाली बन रहा है ?

नियम समिति ने इस विषय के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। किन्तु मुझे खेद है कि इस पर पार्टीबाज़ी के दृष्टिकोण से विचार करना शुरू किया गया है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम इस बात से सचेत हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है। यह उल्टे सीधे ढंग से काम कराने की एक कोशिश है जबकि संविधान का संशोधन कराने का आसान तरीका भी उन के पास है।

हमारे नियमों के अनुसार इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती है। फिर भी मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया। वह नियमों में परिवर्तन क्यों नहीं करते, संविधान इस समय इस की अनुमति नहीं देता है। म निवेदन

करना चाहता हूं कि हमें पर्याप्त रूप से अपने चिरस्थायी नियम निश्चित करने चाहियें तथा वह सभी पक्षों के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होने चाहियें ।

श्रीमान्, पिछली बार जब माननीय प्रधान मंत्री ने लोक लेखा समिति के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो पार्टी के सदस्यों को उसका समर्थन करने के लिए सचेत किया गया । मैं विधि मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस समय बिना किसी पार्टी निदेश के मुक्त रूप से इस प्रस्ताव पर मत लिए जायें । इस मामले का किसी पार्टी विवाद अथवा झगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं । मुक्त रूप से मत लेने का परिणाम क्या होगा, यह सब को ज्ञात ही है ।

श्री बिस्वास : राज्य परिषद ने निम्न-लिखित संकल्प पास किया है तथा इसे इस सदन में भेज दिया है :—

"कतिपय मामलों में विवाह के एक विशेष रूप का तथा ऐसे व कतिपय अन्य विवाहों के पंजीयन का उपबन्ध करने वाला विधेयक दोनों सदनों की एक ऐसी संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिस के कि ४५ सदस्य हों, १५ राज्य परिषद से अर्थात्....."

नाम संकल्प में दिए गए हैं :—

"और तीस सदस्य लोक-सभा से; तथा इस संयुक्त समिति की बैठक के लिए कोरम संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई भाग होगा; तथा दूसरे मामलों में इस परिषद के प्रवर समितियों से संबंधित प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों सहित इस समिति पर लागू होंगे जोकि सभापति उचित समझेगा, तथा यह परिषद लोक-सभा से सिपारिश करती है कि वह उक्त समिति में शामिल हो जाये तथा इस परिषद को अपने उन सदस्यों के नाम भेज दे जिन्हें कि वह इस समिति के लिए नियुक्त करेगी तथा यह समिति अपनी नियुक्ति के समय से दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट इस परिषद को पेश करेगी ।"

श्री एन० सी० चटर्जी : श्रीमान्, मेरी यह धारणा है कि यह प्रस्ताव पूर्णतया अवैध तथा भारतीय संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है । यह इस सदन के प्रक्रिया नियमों के भी विरुद्ध है । हमारे प्रक्रिया नियमों में एसा कोई भी नियम नहीं जोकि इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हो । अपने कथन के समर्थन में मैं सदन का ध्यान नियम ७४ की ओर आकर्षित करता हूं । यह विधेयक इस सदन में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया । इस पर यहां कभी विचार नहीं हुआ । यह इस समय सदन के समक्ष नहीं । इसीलिए विधि मंत्री जी का प्रस्ताव नियम विरुद्ध है ।

अनुच्छेद ११८(१) के अन्तर्गत दोनों सदन अपने अपने नियमों के अन्तर्गत काम करते हैं । तथा इस अनुच्छेद के अन्तर्गत हम ने जो नियम बनाये हैं हम उन से बन्धे हैं ।

किसी विधेयक को प्रस्तुत करन की अनुमति देने के बाद ही वह प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है । पहले यह उस सदन में पास हो जाना चाहिये जहां कि इसे पुरः-स्थापित किया गया हो । अनुच्छेद १०८ के अन्तर्गत कोई विधेयक केवल तभी दूसरे सदन में जा सकता है जबकि एक सदन ने इसे पास किया हो । हमारे नियम १४२ में भी इस का जिक्र आया है । श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल नियम १४२, १४३, १४४ तथा १४५ का पालन कर के ही यह सदन इस विधेयक पर कोई कार्यवाही कर सकता है, अन्यथा नहीं विधि मंत्री जी का प्रस्ताव अनियमित है क्योंकि यह एक बुरी तथा खतरनाक रूढ़ि स्थापित करता है । यह इस सदन के प्रति

[श्री एन० सी० चटर्जी]

अविनय भाव है । "मेज़ पार्लमेंटरी प्रैक्टिस" में ऐसी ही स्थिति का ज़िक्र आया है तथा इसे दूसरे सदन के प्रति 'अविनय' माना गया है ।

इस सदन को इस विधेयक पर अभी चर्चा करनी है । इस ने इस विधेयक के सिद्धान्त को अभी स्वीकार भी नहीं किया है । ऐसी दशा में वह संयुक्त समिति में कैसे अपने सदस्य भेज सकता है ।

अब मैं अधिक मूलभूत बात पर आता हूं । मेरी यह पक्की धारणा है कि राज्य-परिषद को अपनी समिति में इस सदन से प्रतिनिधि भेजने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है । विधेयक के क्रम-पत्र पर आ जाने के बाद तथा उस का इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने तथा विधेयक के पुरःस्थापित होने पर ही उसे प्रवर समिति को सौंपने की प्रार्थना की जा सकती है, जैसा कि नियम ७४ में उपबन्धित है ।

हमारा विरोध महज़ दूसरे सदन का-विरोध करने के लिये नहीं है । हम इस पर यों ही रोष प्रकट नहीं कर रहे हैं । वास्तविकता यह है कि इस सदन से एक ऐसी प्रवर समिति में अपने प्रतिनिधि भेजने को कहा जा रहा है जो वास्तव में दूसरे सदन की समिति होगी । दूसरे सदन के सभापति के नियंत्रण में कार्य करेगी और ऐसे मामले पर चर्चा करेगी जो इस सदन के सम्मुख मौजूद नहीं है । इसलिए इस सदन को ऐसे किसी प्रस्ताव पर कतई सहमत नहीं होना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में हमारे प्रक्रिया नियम का नियम १४२ बिल्कुल स्पष्ट है । इस में कहा गया है कि "जब राज्य-परिषद में कोई विधेयक उद्गमित हो तथा वहां पास हो जाए और इस सदन को सौंप दिया जाए तो वह यथाशीघ्र ही सदन पटल पर रक्खा जाएगा ।" तब आप इस पर विचार कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं ।

१६ सितम्बर को विधि मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कहा था कि "अन्य बातों में (कोरम आदि के सम्बन्ध में) प्रवर समिति से सम्बन्धित राज्य परिषद के प्रक्रिया नियम लागू होंगे ।" इस का अर्थ यह हुआ कि लोक सभा के नामनिर्देशित व्यक्ति पूर्णतया राज्य-परिषद के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत काम करेंगे ।

संयुक्त समिति अपना प्रतिवेदन राज्य-परिषद को सौंपेगी और राज्य-परिषद तब उस पर विचार करेगी । इसलिए यद्यपि हम अपने सदस्यों को नामनिर्देशित कर रहे हैं तथापि इस सदन का उस में वास्तव में कोई महत्व नहीं होगा । राज्य-परिषद ही उसे स्वीकार कर सकता है और वह इसे संशोधित कर सकता है । इस सदन की प्रवर समिति को पूर्णतया दूसरे सदन के नियंत्रण और पथ-प्रदर्शन में कार्य करना पड़ेगा ।

यदि इस सदन की कोई प्रवर समिति नियुक्त की जाए तो हमारे नियम इस प्रकार हैं । नियम ९१ के अनुसार "अध्यक्ष समय-समय पर समिति के सभापति के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह इस की प्रक्रिया तथा इस के कार्य संगठन के लिए आवश्यक समझे ।" इस नियम के उप-नियम (२) के अनुसार, "प्रक्रिया अथवा किसी अन्य बात के सम्बन्ध में कोई सन्देह होने की दशा में, सभापति यदि ठीक समझे तो इस बात को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकता है, जिस का निर्णय अन्तिम होगा ।"

ये बड़े महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं । किन्तु यहां सदन से राज्य-परिषद की सिफारिशों का अनुमोदन करने को कहा जा रहा है । संकल्प को अच्छी तरह देखने से विदित होगा

कि इस में कहा गया है : "अन्य बातों में इस परिषद के नियम लागू होंगे।" इसलिए प्रवर समिति सम्बन्धी हमारे समस्त प्रक्रिया नियम उपेक्षित किये जा रहे हैं। इस संकल्प का अर्थ यह है कि उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लीजिए और संयुक्त समिति में शामिल हो जाइए। अपने सारे नियमों को खत्म कर दीजिए, अपने अध्यक्ष के सारे विशेषाधिकारों को समाप्त कर दीजिए, अपना सारा आत्म सम्मान त्याग दीजिए और एक अधीन की भांति दूसरे सदन के नीचे कार्य कीजिए।

नियम ६० के अन्तर्गत, समिति का सभापति समिति के सदस्यों में से राज्य परिषद के सभापति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और चूंकि संकल्प में कहा गया है कि "अन्य बातों में प्रवर समिति से संबंधित राज्य परिषद के प्रक्रिया नियम लागू होंगे।" इसलिए वह सभापति राज्य परिषद के सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाएगा। प्रवर समिति से सम्बन्धित प्रक्रिया नियम, नियम ५९ से प्रारम्भ होते हैं। ५९, ६०, ६२ तथा आगे से समस्त नियम लागू होते हैं, केवल नियम ६१ को छोड़ कर जो कि कोरम के सम्बन्ध में है, और हटा दिया गया है।

नियम ६२ को देखिए। "यदि कोई सदस्य सभापति की अनुमति के बिना समिति की दो या अधिक बैठकों से अनुपस्थित रहे तो उसे प्रवर समिति से हटाने के लिए राज्य परिषद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।" हमारे सदस्यों के लिए यह कितनी विचित्र स्थिति है।

नियम ६६ के अनुसार "प्रवर समिति की बैठक के दिन और समय समिति के सभापति द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।"

नियम ६८ के अनुसार "यदि किसी संशोधन का नोटिस प्रवर समिति द्वारा विधेयक पर विचार प्रारम्भ करने के दिन से पूर्व नहीं दिया गया है, तो कोई भी सदस्य उस संशोधन के प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति उठा सकता है और जब तक कि समिति का सभापति उस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति न दे, वह आपत्ति मान्य होगी।" यदि समिति में इस सदन के तीस सदस्य हों तो वे सब के सब उन के सभापति की दया के पात्र होंगे।

नियम ७० के अनुसार "यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य अथवा किसी दस्तावेज़ का पेश किया जाना समिति के कार्य से संगत है या नहीं तो यह प्रश्न राज्य परिषद के सभापति को सौंप दिया जाएगा जिस का निर्णय अन्तिम होगा।" इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा खंड रख दिया है जिस से कि सारे प्रश्न राज्य परिषद का अध्यक्ष ही निर्णीत करेगा——विशेषाधिकार सम्बन्धी, प्रक्रिया सम्बन्धी, संगतता अथवा असंगतता सम्बन्धी, दस्तावेज़ों के पेश किए जाने सम्बन्धी इत्यादि सभी प्रश्न।

फिर, नियम ७३ में कहा गया है कि "राज्य परिषद का सभापति समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह इस की प्रक्रिया के विनियमन तथा इस के कार्य-संगठन के लिए आवश्यक समझे। इसलिए न केवल इस सदन के अध्यक्ष द्वारा यह नहीं किया जा सकता है, वरन् समिति भी सब प्रकार से राज्य परिषद के सभापति के आदेशानुसार कार्य करेगी।

हमारे संविधान के अनुच्छेद ११८ के खंड ४ में कहा गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक-सभा का अध्यक्ष सभापतित्व करेगा, राज्य परिषद का सभापति नहीं। इस प्रकार संविधान ने अध्यक्ष को उच्चतर स्थान दिया है। मेरी प्रार्थना है कि यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाए। हम निर्वाचित सदस्य हैं। हमारे अधिकार सर्वोच्च हैं। हमारी विमत टिप्पणियां आप को सौंपी

[श्री एन० सी० चटर्जी]

जानी चाहियें । हमारे अध्यक्ष, और उन की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को, सभापतित्व करना चाहिये । इस सदन के सदस्यों की आवाज़ सर्वोपरि होनी चाहिए ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): मैं यह समझता हूं कि बहस ने जो रुख इस वक्त अख्तियार कर लिया है उसको आगे बढ़ाना बेहतर नहीं होगा । बेहतर यह है कि इस चीज को इस वक्त मुल्तवी किया जाए और दूसरा आइटम ले लिया जाए । फिर इसके बाद हम एक ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : उप-नेता इस मामले के स्थगन के लिए कृपया एक औपचारिक प्रस्ताव करें ।

मौलाना आज़ाद : मैं बाक़ायदा तज़वीज करता हुं कि इस को मुल्तवी किया जाए, कल तक या दो दिन के लिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज १४ तारीख है । १६ तारीख तक के लिए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद १६ तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है । अब सदन कार्य सूची के अगले मद नारियल जटा उद्योग विधेयक पर विचार करेगा ।

सदन का कार्य

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में अन्य मद हैं । विशेष विवाह विधेयक का प्रस्ताव स्थगित हो गया है । जब तक कि सदन अन्य सकल्पों पर विचार करने के विरुद्ध मत व्यक्त न करे, मुझे वे सकल्प लेने होंगे । सदस्यों के वेतन व भत्तों सम्बन्धी संकल्प ।

सांसद् काय-मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मेरी प्रार्थना है कि इसको भी स्थगित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन का सामान्य मत यही है कि इस प्रस्ताव पर भी चर्चा स्थगित की जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की इच्छा यही प्रतीत होती है । वाद-विवाद स्थगित किया जाता है । इसके बाद लोक लेखा समिति में राज्य परिषद् के सदस्यों के नाम निर्देशन सम्बन्धी प्रस्ताव है । क्या इसे भी स्थगित किया जाए ?

श्री सत्य नारायण सिन्हा : मेरी प्रार्थना है कि इसे भी स्थगित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब यह भी स्थगित रहेगा ।

नारियल जटा उद्योग विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन राज्य परिषद् द्वारा संशोधन रूप में नारियल जटा उद्योग विधेयक पर विचार करेगा ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"नारियल-जटा उद्योग विधेयक में राज्य परिषद् द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए, नामत :—

"विधेयक के खंड १७ के उप-खंड (४) में शब्द 'लोक सभा' के स्थान पर शब्द 'संसद के दोनों सदन' आदिष्ट किया जाए ।"

यह स्पष्ट ही है, इसके और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री करमकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राज्य परिषद् में इस विधेयक में किए गए संशोधन को स्वीकार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ को संशोधन करने वाले विधेयक को विचारार्थ ग्रहण किया जाए।"

श्रीमान् विधेयक के मुख्य उद्देश्य तीन हैं : एक तो बिजली तथा वितरण ट्रांसफौर्मर उद्योग को संरक्षण प्रदान करना; दूसरे उद्देश्य तथा कारण के विवरण में उल्लिखित चार उद्योगों को संरक्षण देते रहना और तीसरे ड्राई बैटरी उद्योग को संरक्षण देना बन्द करना।

तटकर आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ (२) के अनुसार आयोग के एतद्विषयक प्रतिवेदन तथा तत्संबंधी सरकारी निर्णय की प्रतियां संसद् के विगत सत्र में सदन-पटल पर रख दी गई थीं। सदस्यों के निर्देश के लिए प्रतियां संसद् पुस्तकालय में भी रख दी गई हैं।

मैं आरम्भ में ही बता दूं कि भारत का बिजली तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफौर्मर उद्योग अपेक्षतया नया उद्योग है। देश की अर्थव्यवस्था में इसका विशेष महत्व है। बिजली के उत्पादन और वितरण के बीच ट्रान्सफौर्मर अत्यावश्यक कड़ी हैं और उनकी देश में भारी मांग है जो दिन दिन बढ़ रही है। मुख्य यूनिटें काफी कार्यदक्ष हैं, और उनका प्रबन्ध अच्छा है। उद्योग ने विशेषज्ञ प्रविधिज्ञों का एक वर्ग खड़ा कर दिया है और अब यह सुदृढ़ आधार पर स्थापित है। अपेक्षतया काफी अच्छे प्रकार के सामान बनाने में इसे काफी सफलता मिल चुकी है और इसने काफी सीमा तक देशी सामान का उपयोग करने के लिए पग उठाए हैं। अतः इसके विस्तार से सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। सदन यह मानेगा कि मल्यानुसार १० प्रतिशत संरक्षण की मात्रा कोई अतिरिक्त भार न बनेगी, क्योंकि यह विद्यमान राजस्व दर को संरक्षण में बदल देना भर है।

मैंने देश में इस उद्योग के विकास का संक्षिप्त विवरण इसलिए नहीं दिया है कि इसकी सफलता का कुछ निर्धारण किया जा सके, बल्कि केवल इसी बात पर जोर देने के लिए दिया है कि इस उद्योग द्वारा रोजगार और औद्योगिक विकास में दिए गए योगदान को आंका जा सके। मुझे आशा है कि सदन यह मान लेगा कि यह एक ऐसा उद्योग है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी यह न चाहेगा कि उस सहायता के अभाव में इस उद्योग का अन्त हो जाए, जो अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण उद्योगों को हानि पहुंचाए बिना इसे दी जा सकती है।

विधेयक के अन्य भागों के विषय में, तट कर आयोग ने ग्लूकोज, हाइड्रोक्विनोन, चाय की पेटियों के तख्ते और प्लाईवुड लकड़ी के पेंच तथा ड्राई बैटरी उद्योगों को दिए गए संरक्षण की कार्यप्रणाली का एक समीक्षा की थी। ग्लूकोज उद्योग के विषय में सरकार ने आयोग की यह सिफारिश मान ली कि संरक्षण ३१ दिसम्बर, १९५४ तक एक वर्ष और दिया जाता रहे। साथ ही सरकार ने यह चेतावनी दी है कि यदि उद्योग विकास तथा विस्तार के लिए मूल्यानुसार ५० प्रतिशत की ऊंची दर से मिलने वाले इस अवसर का सदुपयोग नहीं करेगा और १९५४ तक अपना उत्पादन न बढ़ाएगा, तो उस तिथि से आगे और कुछ भी संरक्षण दे सकना सम्भव न होगा।

हाइड्रोक्विनोन उद्योग के लिए अगले दो वर्षों तक के लिए; और चाय की पेटियों के तख्तों और प्लाईवुड तथा लकड़ी के पेंच इन दो उद्योगों के लिए अगले चार वर्षों तक के लिए संरक्षण चालू रखा गया है। आयोग के विचार से इन उद्योगों ने संतोषजनक प्रगति

[श्री करमरकर]

की है और मिलने वाले संरक्षण को उचित ठहरा दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करना राष्ट्र के हित में है। अतः यह विधेयक, आयोग द्वारा बताए गए कालों तक के लिए संरक्षण को चालू रखना चाहता है। ग्लूकोज, हाइड्रोक्विनोन तथा लकड़ी के पेंच उद्योगों के विषय में आयोग द्वारा अनुमोदित संरक्षण की मात्रा को भारतीय तटकर अधिनियम की धारा ४ (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं के द्वारा प्रभावी बनाया जा चुका है।

ड्राई बैटरी उद्योग के विषय में तटकर, आयोग का अनुमान है कि कारखाने के बाहर प्रति १००० सैल का उचित मूल्य २२३ रुपया (एस्ट्रेला) और २१८ रुपया (नेशनल कारबन) है,जबकि आयातित बैटरी के १००० सैल का शुल्क रहित मूल्य रु० १९१रु-४ से रु० ३२७-११-८ तक होता है। अतः आयोग का विचार है कि इस उद्योग द्वारा चाहे गए संरक्षण की मात्रा मूल्यानुसार ३० प्रतिशत के सामान्य राजस्व शुल्क द्वारा दी जाने वाली मात्रा से कम है और चूंकि वर्तमान आयात नीति के अनुसार हमारे उद्योग को विदेशी स्पर्धा से कुछ खतरा नहीं है, अतः आयोग का विचार है कि इस उद्योग को दिया जाने वाला संरक्षण ३१ दिसम्बर, १९५३ से आगे चालू न रहे। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और यह विधेयक इस निर्णय को प्रभावी बनाना चाहता है।

यह विधेयक सवारी कारों की बाडी की बुरजियों, छतों और किनारों पर लगने वाली चद्दरों (पैनेल) पर बढ़ाए गए बहिःशुल्क को भी विधि द्वारा नियमित करना चाहता है, जो तटकर आयोग के मोटरगाड़ी उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन पर जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, सरकार द्वारा किए गए निर्णय के फलस्वरूप बढ़ाया गया था मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण तटकर आयोग के मोटर गाड़ी उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा किए गए निर्णयों से खूब परिचित होंगे, क्योंकि उनका खूब प्रचार हो चुका है। संक्षेप में मैं बता दूं कि कारों तथा ट्रकों के वर्तमान ऊंचे मूल्यों ने मांग को कम कर दिया है और यह अत्यन्त आवश्यक है कि मूल्य कम किए जाएं और मांग बढ़ाई जाए। इस लिए मोटर गाड़ियों के अंगभूत हिस्सों और पुरजों पर लगे हुए भारी शुल्क को ३१ मई, १९५३ से मध्यमानतः ४० प्रतिशत कम कर दिया गया है। मोटर गाड़ियों के अंगभूत हिस्सों पर आयात शुल्क की कमी के फलस्वरूप गाड़ियों के फुटकर बिक्री भाव कम होते दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रकों के विषय में यह कमी २,०.०० रुपए तक हुई है। मुझे आशा है कि मोटर गाड़ियों के मूल्य में और अधिक कमी होने पर देश में उनकी मांग क्रमशः बढ़ेगी।

श्रीमान्, मैं इस समय इस विधेयक द्वारा उठाई गई बातों पर विशेष समय नहीं लेना चाहता चर्चा के समय सदन में जो बातें उठाई जाएंगी, उनका मैं सहर्ष उत्तर दूंगा।

मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया।

श्री कासलीवाल (कोटा झालावाड़) : सरकार की तटकर नीति के विषय में सदन को विचार का अवसर देने के लिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सरकार ग्लूकोज, हाइड्रोक्विनोन और प्लाईवुड उद्योगों को दिए जाने वाला संरक्षण चालू रखना चाहती है और तटकर आयोग का विचार है कि इन उद्योगों के उत्पादन का

प्रकार विदेशी माल की स्पर्धा करने योग्य हो गया है। मैं इसके लिए मन्त्री जी को बधाई दूंगा। फिर मैं कहूंगा कि जैसा तटकर आयोग का विचार है, इन तीनों उद्योगों में लागत प्रणाली व्यवस्थित नहीं है अर्थात् उत्पादन-लागत और बाजार-भाव के बीच कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं हैं। यह गम्भीर बात है। आशा है, सरकार इस ओर ध्यान देगी, और इस विषय में इन उद्योगों की व्यवस्था में सुधार कराएगी। इस बात के अतिरिक्त यह बात भी सदन में बार-बार उठाई गई है कि यद्यपि उद्योगों की परिसामर्थ्य देश की सारी मांग को पूरा कर सकती है, तथापि उत्पादन बहुत कम है। विशेषतः ग्लूकोज और हाइड्रोक्विनोन उद्योगों ने १९४८ से कुछ उत्पादन नहीं बढ़ाया है, पर संरक्षण पाते रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता कि संरक्षण हटाया जाए, पर मन्त्रालय को इन उद्योगों पर अधिष्ठापित परिसामर्थ्य जितना उत्पादन करने के लिए जोर डालना चाहिए। प्रथम तटकर संशोधन विधेयक के समय माननीय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त करने का आश्वासन दिया था। क्या वह समिति नियुक्त की गई है और यदि हां, तो उसका प्रतिवेदन कब तक आयेगा ?

मैं माननीय मन्त्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि वह सदन को "व्यापार तथा तटकर पर साधारण समझौता" (जी० ए० टी० टी०) के सम्बन्ध में भारतीय तटकर नीति के पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन को एक अवसर दें। वह अभी उक्त समझौते (जी० ए० टी० टी०) के एक सम्मेलन में भाग लेने जेनेवा गए थे और एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सदन में बताया था कि पूरी तट कर नीति विचाराधीन है। आशा है, वह सदन को यह अवसर प्रदान करेंगे।

चाय की पेटियों के प्लाईवुड और तख्ते के उद्योग की प्रगति पर मुझे बहुत खुशी है। आशा है, माननीय मन्त्री इस उद्योग के माल का विदेशों को निर्यात करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे।

श्री नटेशन (तिरुवल्लूर) सरकार ट्रान्सफौर्मर उद्योग को सहायता देने के लिए जो कुछ कर रही है, वह हर्ष की बात है। पर मद्रास में एक बड़ा यूरोपियन कारखाना न जाने क्यों बन्द हो गया है; जबकि मद्रास सरकार सैकड़ों ट्रान्सफौर्मर खरीद रही है और यद्यपि भारत सरकार ने ५०० किलोवाट तक क्षमता वाले ट्रान्सफौर्मरों के आयात पर रोक लगा रखी है, फिर भी मद्रास सरकार ने हाल में ट्रान्सफौर्मर यूरोप से भी मंगाए हैं। यदि भारी शुल्क आयात देकर भी आयातित ट्रान्सफौर्मर सस्ते पड़ते हैं, तो हमारे यहां अवश्य ही मूल्य जोड़ने की प्रणाली को लेकर कुछ गड़बड़ी है, और सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यहां निर्माता अंधाधुंध दाम मांगते हैं। मेरे पूछने पर एक निर्माता ने बताया कि सरकार कच्चा माल दिलाने में सहायता नहीं करती, इसी कारण दाम तेज हैं। आशा है, मन्त्रालय इस ओर ध्यान देगा।

मुख्य बात मुझे यही कहनी है कि जब आयात शुल्क देकर भी विदेशी निर्माता यहां सस्ते भाव पर बेच सकते हैं, तो हमारे निर्माता वैसा क्यों नहीं कर सकते ? और जब मद्रास सरकार उनका आयात कर सकती है, तो निजी लोगों को अनुमति क्यों नहीं दी जाती ? आशा है सरकार उद्योग की आवश्यक सहायता करेगी और साथ ही उसे उपभोक्ताओं से मनमाने दाम न लेने देगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) माननीय पूर्ववक्ता को इस समय ट्रान्सफौर्मरों को लेकर अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। यद्यपि मैसूर में बिजली बड़ी सस्ती पैदा होती है परन्तु वहां पर ट्रान्सफौर्मरों की भारी कमी के कारण सरकार देहातों में और उद्योगों को बिजली

[श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी]

नहीं दे पाती । देश में ट्रान्सफौर्मर बनाने के लिए जो यत्न किए गए हैं वे अभी बाल्यावस्था में हैं अतः इस उद्योग को संरक्षण देना होगा पर वैसा करते समय हमें उपभोक्ताओं के हितों पर भी ध्यान रखना होगा ।

बिजली का काफी उत्पादन होने पर भी हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उसका समुचित वितरण विभिन्न अन्य उद्योगों पर निर्भर है । देश में हमें ट्रान्सफौर्मरों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, अन्यथा देश के उद्योगीकरण में विलम्ब होगा । अतः तात्कालिक उद्योगीकरण की दृष्टि से सरकार को कम से कम तब तक ट्रान्सफौर्मरों का आयात करने की नीति अपनानी चाहिए, जब तक आंतरिक उत्पादन मांग पूरी न करने लगे ।

साथ ही सरकार यह भी ध्यान रखे कि ट्रान्सफौर्मरों के निर्माण में देसी कच्चे माल का उपयोग किया जाए । इससे हम बहुत सा विदेशी विनिमय बचा सकेंगे । हमें ट्रान्सफौर्मरों का उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए ।

ग्लूकोज उद्योग यद्यपि कुछ वर्षों से चल रहा है, पर वह विदेशी माल की तुलना में सस्ता ग्लूकोज जनसाधारण को प्रदान नहीं कर सका है । सरकार उत्पादन लागत कम कराने की ओर ध्यान दे, जिससे देश में ग्लूकोज सस्ता बन सके । सरकार ने इधर ढील रखी है और विशेष ध्यान नहीं दिया । ग्लूकोज को सस्ता करने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए ।

अन्य उद्योगों के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : यह विधेयक इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि कुछ उद्योगों को संरक्षण दिया जाय तथा कुछ उद्योगों को दिये गये संरक्षण को हटा लिया जाय एक सामान्य कार्य के रूप में नहीं लगता है। यह तो हम सभी कहते हैं कि औद्योगीकरण आज देश की परमावश्यकता है और इसकी उन्नति के लिये किया गया हर काम सराहनीय है । सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत तो किया है किन्तु सरकार को इस बात की भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये थी कि इन उद्योगों के विकास के लिये सरकार ने क्या कार्य किये हैं । मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि सदा के लिये संरक्षणात्मक शुल्क लगा देने से देश का औद्योगीकरण करना सम्भव नहीं । सरकार ने यह कहा था कि वह पूरी मूल्य व्यवस्था की तथा इस विशेष उद्योग के और अधिक विकास की और उत्पादन शक्ति की ओर अधिक उपयोग की सम्भावना की जांच करने के लिये एक समिति बनायेगी । मैं समझता हूं कि जब सरकार ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है तो एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये थी कि इस सम्बन्ध में क्या कार्य किया गया है और इन समस्याओं की जांच करने के लिये समिति नियुक्त की गई है या नहीं ।

विद्युत् तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स उद्योग के बारे में भी चर्चा की गई है । हमारे देश के उत्पादन के लिये विद्युत् शक्ति बहुत आवश्यक है और हमें अधिक विद्युत् शक्ति पैदा करनी चाहिये । यहां इस बारे में कुछ आरोप लगाये गये थे जिनके बारे में मैं नहीं जानता कि वे ठीक हैं या नहीं । किन्तु हमें इसका प्रयत्न करना चाहिये कि जो ट्रांसफार्मर्स देश में बनाये जायें उनका मूल्य इतना हो कि लोग उन्हें खरीद सकें । हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि ये उद्योग उचित प्रकार से विकास कर सकें और ये संरक्षण शुल्क का गलत फायदा न उठायें । किसी विशेष उद्योग को संरक्षण देने के लिये संशोधन प्रस्तुत करने से पूर्व इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये ।

कारों के बॉडी पैनल को जिसमें टरेट टॉप्स तथा साइड्स भी शामिल हैं, संरक्षण

देने का विचार किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में निकाली गई अधिसूचना विधि अनुकूल मानी जायगी। माननीय मंत्री ने इस संशोधक विधेयक के सम्बन्ध में कहा था कि इस संरक्षण के कारण यहां की कारें विदेशों से आयात की जाने वाली कारों से सस्ती होंगी। यह उद्योग चार पांच वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था और हमें यह देखना है कि इससे हमारी आवश्यकतायें तथा मागें कहां तक पूरी हुई हैं। एक वर्ष पूर्व हमने यह समाचार पढ़ा था कि हिन्दुस्तान फैक्टरी उत्पादन बन्द कर देना चाहती थी क्योंकि इसका माल बाज़ार में बिकता नहीं था। तब से सरकार ने विदेशी प्रतियोगिता से भारतीय उत्पादकों को संरक्षण देने के लिये कुछ कार्य किये हैं। मेरा विचार है कि इस मामले में हमारी नीति यह होनी चाहिये कि जो वस्तुएं यहां बनाई जा सकें उनके बारे में उत्पादकों को ये निदेश दिये जायें कि उनका उत्पादन किया जाय। अन्यथा यह संरक्षण अर्थहीन हो जायगा। इसलिये मुझे आशा है कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी और संरक्षण की एक सीमा निर्धारित कर देगी। हम चीनी उद्योग के बारे में जानते हैं। इस उद्योग को गत बीस वर्षों से संरक्षण मिला हुआ है, फिर भी हम नहीं जानते कि यह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है या नहीं। हमारी साम्राज्य अधिमान नीति अब भी चल रही है। अब समय आ गया है जब कि हमें साम्राज्य अधिमान की नीति खत्म कर देनी चाहिये।

श्री गुरुपादस्वामी ने ग्लूकोज़ उद्योग के बारे में कहा। ग्लूकोज़ अन्य चीज़ों के उत्पादन के लिये भी आवश्यक है। किन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि जिन उद्योगों को कई वर्षों से संरक्षण मिला हुआ है उनकी उन्नति हो और उनके दाम कम हों जिससे कि खरीदारों को कम पैसे देने पड़ें। मैं मानता हूं कि औद्योगीकरण करने के लिये आरम्भ में तो खरीदारों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे किन्तु इन उद्योगों का उत्पादन ऐसा होना चाहिये जिससे विदेशी वस्तुओं की तुलना में इनके दाम कम होंगे। ग्लूकोज़ उद्योग इस संरक्षण का फायदा उठाता रहा है और विदेशी फर्म यहां स्थापित हुए और उन्होंने यहां की सस्ती मज़दूरी तथा देश के बाज़ार का फायदा उठाया। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये विदेशी फर्म हमारे देश के उद्योग को नुकसान न पहुंचा सकें। हम नहीं चाहते कि यहां पर ऐसी फैक्टरियां स्थापित की जायें जिनका नियंत्रण विदेशियों के हाथ में हो। और सरकार को ऐसे सभी विदेशी फर्म खत्म कर देने चाहियें जिनमें विदेशियों का भारतीय उद्योगपतियों से किसी भी प्रकार का साझा हो।

प्लाइवुड तथा चाय की पेटियां बनाने के उद्योग तथा लोहे और लकड़ी के पेच बनाने के उद्योग को भी संरक्षण देने का विचार है। चाय निर्माता, जो अधिकांशतः विदेशी हैं, भारत में बनी चाय पेटियों की अपेक्षा विदेशों से मंगाई गई पेटियों को इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना यह है कि भारत में बनी चाय की पेटियां अच्छी नहीं होतीं। भारतीय निर्माताओं को ये अनुकूलतम दर पर तैय्यार करनी चाहियें जिससे कि ये उचित दाम पर बेची जा सकें। अंग्रेज़ चाय निर्माता अपने लिये प्लाईवुड की पेटियां विदेशों से मंगवाते थे इसलिये इस उद्योग में कुछ समय पूर्व संकट आ गया था। इसलिये ऐसे मामलों में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह न केवल संरक्षण शुल्क ही लगाये अपितु ऐसे आयात पर प्रतिबन्ध भी लगा दे। जो चीज़ हमारे देश में मिलती हों उन्हें विदेश से मंगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

बंगाल में पेच बनाने की बहुत सी फैक्टरियां हैं। यह कहा जाता है कि विदेशों

[श्री के० के० बसु]

में बने पेंच देशी पेचों से अच्छे होते हैं। सरकार का उत्तरदायित्व केवल संरक्षण लगाने से ही खत्म नहीं हो जाता। जब तक भारत में बने पेच उपलब्ध हों और वे बाजारों में बिक सकें तब तक पेचों के विदेश से मंगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये। इस उद्योग को बचाने के लिये कुछ निश्चयात्मक कार्य किये जाने चाहियें।

अब हमें साम्राज्य अधिमान समाप्त कर देना चाहिये। हमें राष्ट्रीय हितों को सर्व-प्रथम स्थान देना चाहिये। हमारी नीति ऐसी हो कि उपभोक्ताओं को अंग्रेजों के उद्योगों के संरक्षण के लिये अधिक पैसा न देने पड़ें। मेरा सरकार से निवेदन है कि संरक्षण शुल्क लगाने के बारे में सरकार की एक निश्चयात्मक नीति होनी चाहिये। विदेशियों को यहां फर्म स्थापित नहीं करने देना चाहियें। हमारे उद्योगों मे पूंजी की कमी के कारण एक संकट आ गया है। हमारी आर्थिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि हम राष्ट्रीय उद्योग की सहायता कर सकें और देश का औद्योगीकरण कर सकें। सरकार को संरक्षित उद्योगों के कार्य सम्पादन की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये। यह समिति इस दृष्टि से नियुक्त की जानी चाहिये कि जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया है वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : कुछ उद्योगों को संरक्षण देने के अभिप्राय से सरकार ने एक छोटा सा विधेयक प्रस्तुत किया है। संरक्षण दिये जाने के बाद से ये उद्योग उन्नति कर रहे हैं। किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि इतना अधिक संरक्षण दिये जाने के बाद भी विदेशी चीजों का आयात क्यों होता है। तटकर आयोग समय समय पर स्थिति की जांच करता है और यह निश्चय कर देता है कि अमुक अमुक उद्योगों को संरक्षण देना जारी रखना चाहिये। हम यह जानना चाहते हैं कि कोई विशेष उद्योग विदेशी उद्योग से प्रतियोगिता क्यों नहीं कर सकता। हमारे देश में चाय की पेटियां बनती हैं फिर भी अंग्रेज चाय निर्माता इन पेटियों को विदेशों से मंगवाते हैं। यदि हमारी चीज़ थोड़ी घटिया भी हो तो भी हमें और अधिक संरक्षण देना चाहिये। हम चाहते हैं कि इन उद्योगों में अकार्य कुशलता न रहें किन्तु यदि विदेशी चीज़ों से प्रतियोगिता करने के मामले में कुछ कठिनाइयां हों तो सरकार को सदन के समक्ष सब बातें रखनी चाहियें और हम संरक्षण की मात्रा में वृद्धि कर देंगे। यदि आवश्यक हो तो सरकार ऐसी चीज़ों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दे जिससे कि लोग भारत में बनी चीज़ों को ही खरीदें।

श्री करमरकर : इस वाद विवाद में बहुत थोड़ी ऐसी बातें उठाई गई हैं जिनका उत्तर दिया जाना चाहिये। सबसे पहिले वक्ता ने यह कहा था कि संरक्षण के होते हुए भी स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन के बीच बहुत अधिक असमानता है और ऐसा विशेषकर ग्लूकोज़ उद्योग में है। वास्तव में अयात की गई मक्का महंगी थी और उसके लिये उन्हें अधिक दाम देने पड़े थे। इसके अतिरिक्त, कुछ उद्योगों में स्थापित क्षमता वास्तविक उत्पादन से अधिक है और माननीय मित्र ने पूछा था कि अतिरिक्त स्थापित क्षमता का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्य किया है। इस समय इसकी जांच की जा रही है और यह विशेषकर इंजीनियरिंग उद्योग के मामले में की जा रही है और हमारा विचार था कि उद्योगों के भागों में बांट कर हम ऐसा कर सकते हैं। हम इंजीनियरिंग उद्योग की जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें विश्वास है इस जांच के परिणाम-स्वरूप जो सूचना मिलेगी उससे हमें इस बात

का ध्यान रखने में सहायता मिलेगी कि हमारा उत्पादन बढ़ सके ।

श्री नटेशन यह जानना चाहते थे मद्रास सरकार ने विदेशी ट्रांसफॉर्मस के लिये विदेशों को आदेश क्यों दिये हैं । मैं इस मिथ्या धारणा को दूर करना चाहता हूं । ऐसा मालूम पड़ता है कि लोगों को यह धारणा है कि ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा हुआ है क्योंकि उन्होंने पूछा कि एक बड़ी फैक्टरी को क्यों बन्द करना पड़ा था । ट्रांसफॉर्मर्स के आयात के बारे में हमारी नीति हमारी आवश्यकताओं पर आधारित है । १५०० किलोवाट तक के ट्रांसफॉर्मर्स के लिये हमने पुराने आयातकों को २५ प्रतिशत के लिये अनुमति दी है और अन्य प्रकार के ट्रांसफॉर्मर्स के लिये १०० प्रतिशत की अनुमति दी है । वास्तव में आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगा है, क्योंकि देश के उत्पादन से हमारी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पातीं । विदेशी चीज़ों के बारे में मद्रास सरकार ने जो आदेश दिया है उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य मद्रास सरकार से ही बातें करें ।

श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिये । यह हमारे सामने एक मुख्य बात है । तट कर आयोग जब किसी उद्योग के बारे में विचार करता है तो वह उद्योग को संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में वह अपने सामने कुछ सिद्धान्त रखता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग को संरक्षण इस बात का ध्यान रख कर दिया जाता है कि उद्योग उचित समय में अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा । कुछ उद्योगों के बारे में हमें कठिनाइयां हुई हैं । कच्चे रेशम उद्योग को १९३४ से संरक्षण मिला हुआ है किन्तु अब भी वह सन्तोषजनक रूप से नहीं चल रहा है । उस उद्योग के बारे में हमें यह कठिनाई मालूम हुई है कि उसमें उत्पादन जापान के इस उद्योग के मुकाबले में नहीं हुआ । इस उद्योग के बारे में और देशों में बहुत अधिक प्रगति हुई है और दूसरी बात यह है कि यह उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में चलता रहा है । माननीय सदस्यों को मालूम है कि कुटीर उद्योगों में हस्तक्षेप करने के मामले में हमारी कठिनाइयां हैं । विशेष उद्योगों में हमने आधुनिक तरीकों को अपना लिया है । ऐसा हो सकता है कि कच्चे रेशम के उत्पादन के मामले में उपभोक्ताओं को काफी समय तक भार उठाना पड़े ।

आयात करने की अनुमति हम अपनी आवश्यकतानुसार देंगे । उद्योगों को संरक्षण देने के मामले में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या कोई विशेष उद्योग सदा इस संरक्षण पर ही निर्भर रहेगा और क्या उस उद्योग का प्रबन्ध करना कठिन है या नहीं । उदाहरणार्थ प्लास्टिक उद्योग है । इसके लिये कच्चा माल तय्यार करने से भी फायदा हो सकता है । प्लास्टिक तैयार करने का उद्योग उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । कपड़ा उद्योग में भी सस्ती रूई तथा सस्ती मज़दूरी से हमें सहायता मिलती है । किन्तु हमारे सामने तो यह बात है कि किसी विशेष उद्योग को हमें कब तक संरक्षण देना पड़ेगा और यथासम्भव इसके लिये कच्चा माल देश में ही उपलब्ध होना चाहिये ।

मेरे माननीय मित्र श्री बसु ने अन्य बातों के अलावा एक यह भी बात उठाई थी । उन्होंने "साम्राज्य-अधिमान" का प्रश्न उठाया था । मेरे विचार में वह अब भी साम्राज्य का ही स्वप्न देख रहे हैं । मैं कह देना चाहता हूं कि अब "साम्राज्य अधिमान" नहीं है । हम जो कुछ अधिमान देते हैं वह उस समझौते के अनुसार होता है जो कि हममें और उन में हुआ है । १९३९ के भारत-इंग्लैण्ड समझौते के अनुसार ही यह किया जाता है । वास्तव में, इसका परिणाम क्या हुआ है ? इंग्लैण्ड को हम जो माल भेज रहे हैं अगर वह उस पर

[श्री करमरकर]

ध्यान दें तो देखेंगे कि वह इंग्लैण्ड में कर-मुक्त जा रहा है। यदि वह इस बात पर वास्तव में गौर कर के देखें तो उन्हें यह विशिष्ट लाभ मालूम हो जायेगा---यह परस्पर अधिमान---क्योंकि यह अधिमान केवल एक ओर का अधिमान नहीं है बल्कि परस्पर अधिमान है, जिस से दोनों को लाभ होता है। निस्सन्देह, हो सकता है कि किसी विशिष्ट वस्तु के सम्बन्ध में यह अधिमान रुकावट खड़ी कर दे, पर ऐसे मामले में हम स्थिति पर विचार कर सकते हैं और ऐसा हरदम किया भी गया है। आपको सारी बातें ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा, पक्षपात या प्रतिकूल भावना से काम नहीं चलेगा। हमें स्थिति की वास्तविकताओं पर ध्यान देना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि—हम चाहें या न चाहें—इंग्लैण्ड हमारी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का, जैसे चाय, पटसन तथा कपड़ा, का काफी बड़ा बाजार है। वह हमारी वस्तुओं को काफी मात्रा में आयात करता है। अतः चाहे हम राष्ट्रमण्डल अधिमान या भारत-इंग्लैण्ड व्यापार समझौते के परिणामों पर विचार करें या नहीं चाहे हम इंग्लैण्ड से कोई कपड़ा आयात करें या नहीं, पर मेरे विचार में हमें वास्तविकताओं को ध्यान में रखना ही चाहिये। मैं कह नहीं सकता कि मेरे माननीय मित्र इस समस्या की टेकनिकल बातों को समझ भी सकेंगे या नहीं। वास्तव में, इस मामले का सम्बन्ध अनुभव से है और मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि यदि हम व्यवहार में यह पाते हैं कि कोई चीज़ उस समझौते के सम्बन्ध में बिल्कुल ग़लत है जिस के सहारे हम अब तक चलते रहे हैं तो हमें सदन के सामने आकर यह कहने में कोई झिझक न होगी कि "ये हानियां हैं"। इस अवस्था पर मैं इस बात पर और अधिक नहीं कहूंगा।

एक दूसरी बात भी थी। वह यह कि विदेशी फर्में संरक्षण का लाभ उठा रही हैं। श्रीमान्, इस से फिर एक ऐसी बात खड़ी हो जाती है जिसका इस विधेयक से तो कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी, महवपूर्ण है। हम सदन में इस बात को अनेक बार कह चुके हैं कि हम उद्योग के क्षेत्र में विदेशी फर्मों को उन की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर या परस्पर लाभदायक शर्तों पर संरक्षण का लाभ उठाने देते रहे हैं। साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हमें इस से कोई हानि नहीं हुई है, हां, यह दूसरी बात है कि आप यही समझ लें कि जो कुछ विदेशी है उस से हमें कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। मैं इस बात को समझता हूं कि उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में, जैसे, चाय या पटसन उद्योगों में, विदेशियों की बहुतायत है। परन्तु यह तो इतिहास की बातें हैं, इन्हें आप पलट तो नहीं सकते। मैं जानता हूं कि सदन के उस ओर बैठे हुए सदस्यों में यह भावना जोर पकड़ रही है "उन समस्त उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दो", किन्तु यह तो एक बिल्कुल अलग समस्या है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ कर यह कहना चाहता हूं कि उन विदेशी विशेषज्ञों को छोड़ कर जो यहां पहले से चले आते हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह उठाई गई है कि उन विदेशी फर्मों को संरक्षण क्यों दिया जाये जब कि विदेशी अपने देश में उन्हीं वस्तुओं को तैयार कर के तथा बहिःशुल्क, जहाज़ का भाड़ा आदि देकर भी हमारे देश में सस्ते दामों पर बेच सकते हैं।

श्री करमरकर : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं इस बात को समझता हूं। यह मेरे माननीय मित्र ने उठाई थी। इस सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र की राय है कि वह ऐसा

उद्योग चलाना ही न चाहेंगे जिस में विदेशियों को लगाना पड़े । श्रीमान्, यह एक ऐसी बात है जिस से सरकार सहमत नहीं है। कम से कम प्रारम्भिक अवस्था में . . .

उपाध्यक्ष महोदय : वे विदेशी जो यहां आते हैं उन को विशेषज्ञान प्राप्त होता है और वह मशीनों को भी चलाते रहे हैं । फिर यह कैसे होता है कि जैसे ही वे यहां आते हैं, वे इस देश में उतनी सस्ती वस्तुएं नहीं बना पाते जितनी कि वे अपने देश में बनाते हैं । और तो और वे यहां पर मज़दूरों की मज़दूरी भी बढ़ाने को कहते हैं ।

श्री करमरकर : मैं इसे समझता हूं । यदि इस प्रणाली में कोई गड़बड़ी हुई तो हम इस बात पर सारे औद्योगिक आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे । इस का अर्थ यह हुआ कि तटकर आयोग को लागत के लेखे का निर्धारण करने में बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिये । चाहे विदेशी शोषण हो या स्थानीय शोषण हो । इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता है । अन्तर तब पड़ता है जब हम किसी विदेशी को यहां पर उद्योग में भाग लेने देते हैं । चाहे भारतीय या विदेशी फर्म क्यों न हों हमें यह देखना चाहिये कि वह नाजायज़ लाभ नहीं उठाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संरक्षण की इन शर्तों पर नहीं । विदेशी निर्माताओं को यहां पर इसलिये बुलाया जाता है कि वे अच्छे उत्पादक होते हैं, कुशल होते हैं तथा सस्ती चीजें बनाते हैं । पर यदि यही उद्देश्य हमारे उद्योगों के सम्बन्ध में पूरा नहीं होता तो उन्हें अधिक सुविधाएं देकर यहां पर लाने तथा अपने ऊपर बोझ बढ़ाने से क्या लाभ ?

श्री वी० पी० नायर (चिर्णयन्किल) : वह इसे जानते हैं, किन्तु वह इसी बात को और तरह से कहना चाहते हैं ।

श्री करमरकर : मेरी ऐसी आदत नहीं है । मैं ने कहा था कि यदि आप रेडिओ निर्माताओं को ही लें तो यहां पर भी स्थानीय यूनिटें हैं । विदेशी निर्माता भाग लेने के लिये तैयार हैं । प्रश्न पर उस के गुणों तथा उद्योग के महत्व को देखते हुए हम यह निश्चय करते हैं कि विदेशियों को भाग लेने दिया जाये या नहीं । इस बात का अनुमान लगाते हुए कि विदेशी यूनिटें तथा स्थानीय यूनिटें भाग लेने के लिये तैयार हैं हम इस बात का निश्चय करते हैं किस यूनिट को किस विशेष उद्योग में भाग लेने दें तथा किस को अलग रहने दें । हो सकता है कि इसके सम्बन्ध कुछ माननीय सदस्यों को आपत्ति हो और वे यहां तक कह दें "समस्त विदेशी उपक्रमों को एक दम से बन्द कर दो ।" लेकिन यह तो एक अलग बात है । परन्तु जब हम इस विषय के सम्बन्ध में निश्चय कर चुके हैं तथा हम ने विदेशियों द्वारा उद्योग में भाग लेने की अनुमति दे दी है तो वह उद्योग चलता रहता है । इस के बाद तो यह एक आर्थिक समस्या हो जाती है । यदि आवश्यकता से अधिक सुविधाएं देने से उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ता है तो मैं ने केवल विदेशियों को आवश्यकता से अधिक सुविधाएं देने के विरुद्ध हूं बल्कि स्वयं अपने उद्योगों के सम्बन्ध में भी मेरी यही राय है। अतः तटकर आयोग को यह देखने का अधिकार है कि लागत लेखा कहां तक ठीक है । यदि मेरे मित्र यह चाहते हैं कि लागत लेखा की प्रक्रिया ठीक ठीक होनी चाहिये तो मैं उन से पूर्णतः सहमत हूं । चाहे किसी वस्तु को विदेशी बनायें चाहे भारतीय—मुख्य बात यह है कि लागत उस से अधिक नहीं होनी चाहिये जितनी कि किसी वस्तु के यहां उत्पादन करने तथा बाहर से मंगवाने की लागतों के बीच का अन्तर पूरा करने के लिये आवश्यक है । देखा जाये तो वास्तव में, हम किसी भी उद्योग को

[श्री करमरकर]

नाजायज़ संरक्षण देने के लिये तैयार नहीं हैं क्यों कि इस से कोई लाभ नहीं होता। संरक्षण केवल उतना ही दिया जाना चाहिये तथा उतने ही समय के लिये होना चाहिये जितने में उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

श्रीमान्, मेरे विचार में चाय-पेटियों के सम्बन्ध में स्थिति ग़लत समझी गई और इस का कारण यह है कि हमारी आयात नीति को ठीक तरह से नहीं समझा गया है। इस का एक कारण यह भी है कि चाय-पेटियों के आयात के सम्बन्ध में पिछली अवधि में हम ने गत अर्ध-वर्ष में आयात की गई पेटियों का केवल लगभग १० प्रतिशत आयात करने की अनुमति दी थी तथा अब उसे १० प्रतिशत से घटा कर ५ प्रतिशत कर दिया था। परन्तु ९५ प्रतिशत दे देने का कोई प्रश्न नहीं है। इस से कोई सम्बन्ध नहीं है कि वह विदेशी है या भारतीय। शायद, मेरे माननीय मित्र के विचार में केवल विदेशी ही विदेशी वस्तुएं खरीदना पसन्द करते हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारे अपने लोग भी विदेशी वस्तुएं खरीदना पसन्द करते हैं। यह भी एक अवांछनीय बात है। चाहे भारतीय हो या विदेशी, हम ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप आयातित चाय-पेटियां साधारण आयात के ५ प्रतिशत से अधिक नहीं ले सकते हैं। हमारा यह अनुभव रहा है कि हमें हमेशा अपने उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यदि हम सुधार करने के हेतु कुछ आयात करते हैं तो भी वे अप्रसन्न हो जाते हैं, निस्सन्देह, हमें स्वदेशी ही चाहिये। अनुभव से पता लगा है कि जब कभी भी यह संरक्षण दिया जाता है तो तटकर आयोग और सरकार आपस में यह देख लेते हैं कि उद्योग को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होता है या नहीं। मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा समय आना चाहिये जब लोग यह कहने लगें कि हमें कोई भी बाहरी माल नहीं चाहिये। चाहे हमारे अपने देश में बना माल घटिया ही क्यों न हो; हमारे देश के लोग इतने देशभक्त होने चाहिये कि हमारी आयात सम्बन्धी नीति कुछ भी क्यों न हो, पर वे कोई भी विदेशी माल न खरीदें। लेकिन अभी ऐसा समय आना है। सरकार हमेशा स्थानीय या देशी उत्पादन को ध्यान में रखती है। यदि हम किसी वस्तु को थोड़ी मात्रा में आयात करते हैं तो वह भी इसीलिये कि हमारे उद्योगपति यह न समझ बैठें कि आयात पर पाबन्दी तो लगही गयी है इसलिये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न केवल इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं बल्कि समस्त वस्तुओं के सम्बन्ध में देशी उत्पादन को ध्यान में रखते हैं क्यों कि कई वर्षों से विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में हमारी स्थिति बहुत कठिन रही है तथा हम सीमित मात्रा में ही आयात कर सके हैं। जहां तक चाय-पेटियों के आयात का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि हमारे साधारण आयात का ५ प्रतिशत आयात करने की अनुमति देने से स्थानीय उद्योग पर कोई गहरा असर नहीं पड़ेगा।

मेरे माननीय मित्र ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि निश्चित नीति होनी चाहिये। चाहे वह विदेशी पूंजी लगाये जाने का सवाल हो, चाहे विदेशी विशेषज्ञ बुलाने का सवाल हो, चाहे उद्योगों के विकास का सवाल हो, चाहे आयात सम्बन्धी नीति का सवाल हो, समस्त आर्थिक क्षेत्र में कोई न कोई निश्चित नीति होनी चाहिये।

पर ऐसी निश्चित नीति रही है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें भारत सरकार द्वारा १९४८ में बनाई गई नीति के अनुसार ही चलना है अर्थात् अधिक से अधिक उत्पादन

करना । मैं ब्यौरे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर के सदन का समय नहीं लेना चाहता । माननीय सदस्य स्वयं ही अनेक उद्योगों के आंकड़े देख सकते हैं। कांच, कागज़, कपड़ा या और चीज़ों को ही ले लीजिये । माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि उत्पादन के सम्बन्ध में देश निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है । यह कैसे सम्भव हो सका है । कुछ तो यह कि उत्पादन यूनिटों ने स्वयं कुशलता से काम किया है तथा अधिकतर इसलिये भी कि सरकार उद्योगों को बढ़ाने के सम्बन्ध में काफी चिन्तित रही है। हो सकता है हम सावधानी से काम कर रहे हों । कभी कभी हमें सावधान होना पड़ता है। हम उपभोक्ता पर आवश्यकता से अधिक बोझा नहीं डालना चाहते । भूतकाल में कुछ लोगों ने अवांछनीय व्यवहार किया है। लेकिन आज क्या है ? मान लीजिये हमारी आयात नीति के कारण १५ दिनों के लिये थोक या फुटकर विक्रेता यह समझ लेते हैं कि रेज़र ब्लेडों में १० प्रतिशत की कमी हो जायेगी, तो कीमतों में आवश्यकता से अधिक वृद्धि क्यों हो जाती है ? जरा सी कमी के कारण कीमतें इतनी कैसे बढ़ जाती हैं ? इसको किसे सहन करना पड़ता है ? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों का विकास करने के सम्बन्ध में सरकार निश्चित नीति का अनुसरण करती रही है, पहले, मशीनों आदि का आयात कर के, दूसरे, कच्चा माल उपलब्ध कर के, तीसरे, हर प्रकार से संरक्षण दे कर, क्रय तथा आयात दोनों के ही सम्बन्ध में तटकर नीति के अनुसार संरक्षण दे कर । कोई भी माननीय सदस्य इन बातों के सम्बन्ध में परिणामों को देख कर सतुष्ट हो सकता है ।

यह बात नहीं है कि हमारे तरीके हर तरह से ठीक हैं । या हम जो कुछ कर रहे हैं उस में गलतियां नहीं हैं। ऐसा दावा तो कोई भी नहीं कर सकता है । हो सकता है कि कभी कभी हमारा अनुमान गलत होता हो, हो सकता है कभी कभी जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया हो उन्होंने उस का पूरा पूरा लाभ न उठाया हो । फिर भी, यह तो कहना ही पड़ेगा कि सरकार जिस निश्चित नीति का अनुसरण करती रही है उस के फलस्वरूप उद्योग के क्षेत्र में निश्चय ही प्रगति हुई है ।

यह कुछ मोटी मोटी बातें थीं जिन को इस चर्चा के दौरान में उठाया गया था । यदि मैं ने कोई बात छोड़ दी हो तो मैं उस के लिये क्षमा चाहता हूं क्योंकि इस अवस्था पर मैं इस विषय की सूक्ष्म बातों में नहीं जाना चाहता हूं । इस विधेयक पर जिस प्रकार चर्चा हुई है उस की मैं सराहना करता हू । मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ और २ विधेयक के अंग बना लिये गये ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ म अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस विधेयक के तीन मुख्य उद्देश्य हैं, पहला है टाईटनियम डाईआक्साइड उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, दूसरा है अनेक संरक्षण-प्राप्त उद्योगों के संरक्षण को जारी रखना और तीसरा है कुछ संरक्षण प्राप्त उद्योगों का संरक्षण समाप्त करना जैसा कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताया गया है।

टाईटनियम डाईआक्साइड उद्योग का आधार केवल एक कम्पनी पर है जिस का नाम है 'त्रावनकोर टाईटेनियम प्रौडक्ट्स लिमिटेड'। एक बार जोर से प्रगति करने के पश्चात् अब यह कम्पनी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तात्कालिक समस्या यह है कि इसे फिर से पुनर्जीवित किया जाय तथा गति प्रदान की जाय। इस उद्योग द्वारा उत्पादित किया जाने वाला पदार्थ एक महत्वपूर्ण श्वेत पिगमेण्ट है जो पेण्ट, छपाई की स्याही, रबड़, एनेमेल पात्रों, साबुन, श्रृंगार प्रसाधनों तथा रेअन (नकली रेशम) इत्यादि अनेक उद्योगों में काम आता है। परन्तु इसे अनेकों ऐसी ही अन्य वस्तुओं से प्रतियोगिता करनी पड़ती है यह वस्तुएं हैं लिथोफ़ोन, जिंक आक्साइड तथा श्वेत सीसा (सफ़ेदा क़ाशगरी) जिन का भारत म बहुत चलन है। इस में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख कच्चा माल इल्मीनाइट देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस उद्योग की उत्पादन-क्षमता अभी इतनी सीमित है कि वह सब प्रकार के टाईटनियम डाई-आक्साइडों नहीं बना सकता है। वह प्रधान रूप से, केवल 'एनाटोज़' प्रकार के टाईटनियम डाईआक्साईड बनाता है उस के पास दूसरे प्रकार के अर्थात् (स्टाइल) प्रकार के, टाईटनियम डाई-आक्साइड को भी बनाने के साधन हैं। तटकर आयोग का विचार है कि अन्तर्देशीय मांग इतनी कम है कि इस उद्योग का विकास शीघ्रता के साथ नहीं होने पाता है इसलिये हमें चाहिये कि मांग के बढ़ाने के उपाय करें और ऐसे कोई कार्य न होने दें जिन के परिणाम-स्वरूप मूल्यों के बढ़ जाने की आशंका हो।

आयोग ने सिफ़ारिश की है तथा सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है कि कर की वर्तमान दर को, अर्थात् २५$^{1}/_{4}$ प्रतिशत मूल्यतः रियायती तथा ३५$^{1}/_{4}$ प्रतिशत मूल्यतः साधारण, रक्षात्मक कर में बदल दिया जाये तथा यह संरक्षण अभी एक वर्ष के लिये प्रदान किया जाये।

[**पंडित ठाकर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

तटकर आयोग की सिफ़ारिश पर जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया था वह एक वर्ष की निश्चित अवधि तक सीमित है। आशा की जाती है कि संरक्षण-काल समाप्त होने से पूर्व ही आयोग इस बात का पुनर्विलोकन करेगा कि इन उद्योगों को दिया गया संरक्षण किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार निश्चय करेगी कि संरक्षण की अवधि बढ़ाई जाय या संरक्षण वापस ले लिया जाये। इसलिये सदन के समक्ष जो विधेयक प्रस्तुत किय गया है वह कोई नया विधान नहीं है। २९ उद्योगों को जो संरक्षण दिया गया है उस की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५३ को समाप्त होती है।

सदस्यों को जो टिप्पणियां दी गई हैं उन में उन को चौबीस उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तृत

जानकारी मिलेगी । तटकर आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ (२) के अनुसार, शेष पांच उद्योगों के सम्बन्ध में तटकर आयोग के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां, वर्तमान सत्र में, सदन पटल पर तथा सदन के पुस्तकालय में पहले ही से रख दी गई हैं ।

तटकर आयोग को इस वर्ष में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जांचें करनी पड़ीं जिन के कारण वह इन चौबीस उद्योगों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन नहीं दे सका । आयोग ने कहा है कि बिना समुचित रूप से जांच किये, इन में से किसी उद्योग के संरक्षण को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये तथा इन के संरक्षण-काल को एक वर्ष के लिये अर्थात् ३१ दिसम्बर, १९५४ तक के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिये । आशा है कि इन उद्योगों की जांच उस समय तक पूरी हो जायगी ।

इन चौबीस उद्योगों में से सत्रह को संरक्षण इस प्रकार दिया गया है कि राजस्व-कर को उसी के बराबर रक्षात्मक कर में बदल दिया गया है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि संरक्षण-काल के बढ़ाये जाने की यह आलोचना इस आधार पर नहीं की जायेगी कि इस के द्वारा उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार डाल दिया गया है ।

अब मैं उन सात उद्योगों की चर्चा करता हूं जिन को, संरक्षण दिये जाने के पूर्व, आरम्भ में उस समय प्रचलित राजस्व-कर को बढ़ा कर संरक्षण प्रदान किया गया था । इस प्रकार के उद्योग थे, सोडा ऐश, कैल्सियम क्लोराइड, कोटेड ऐब्रेसिव्ज, नक़ली रेशम सूत तथा नक़ली रेशम मिला कपड़ा, सूती कपड़े तय्यार करने वाली मशीनें, प्लास्टिक से तय्यार होने वाला बिजली का सामान तथा बाईस्किल उद्योग । सदस्यों को जो टिप्पणियां दी गई हैं उन में कर की संरक्षण पूर्व की दरें वे दरें जो इस समय प्रचलित हैं दी गई हैं ।

यह सभी उद्योग इस देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं । आयोग द्वारा समुचित जांच किये बिना संरक्षण को समाप्त करना ठीक नहीं होगा । यदि आयोग की जांच से यह ज्ञात हो कि इन संरक्षण प्राप्त उद्योगों में से किसी का संरक्षण अपर्याप्त है या अधिक है तो वह वर्तमान कर में परिवर्तन करने की सिफ़ारिश करेगा । बिना कोई विधान बनाये, भारतीय तटकर आयोग अधिनियम, १९३४ की धारा ४ (१) के अनुसार यह परिवर्तन किया जा सकता है ।

तटकर आयोग ने यह भी सिफ़ारिश की है कि, पेन्सिल, फ़ाउनटेपेन की स्याही, फ़ेरो-सिलीकोन तथा कुछ प्रकार के बटनों के उद्योगों को जो संरक्षण प्राप्त है वह उन की आवश्यकता से अधिक है । साधारण राजस्वकर द्वारा उन को जो संरक्षण मिल रहा है उतना ही उन के लिये पर्याप्त है ।

सरकार ने तटकर आयोग की सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा इस विधेयक द्वारा उसी निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है । फिर भी यदि कोई उद्योग यह अनुभव करे कि वह विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में असमर्थ है तो वह संरक्षण दिये जाने के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है ।

इस विधयक की और बातों की व्याख्य करने में मैं अब सदन का समय नहीं लूंगा तथा वाद विवाद में उठाई जाने वाली बातों का उत्तर देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी ।

सभापति द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी (मैसूर) : मेरा विचार है कि सरकार को चाहिये कि भारतीय तटकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय तटकर (तृतीय संशोधन) को साथ ही प्रस्तुत करती ।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

नक़ली रेशम तथा सूत के तथा नक़ली रेशम मिले हुए कपड़े के उद्योग को कई वर्षों से संरक्षण प्राप्त हैं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि नक़ली रेशम की वस्तुओं का गुण-प्रकार सुधर रहा है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि नक़ली रेशम तथा असली रेशम दोनों उद्योगों के प्रति सरकार की नीति क्या है। क्या सरकार दोनों में प्रतियोगिता कराना चाहती है? सन् १९३४ से दोनों उद्योगों को संरक्षण प्राप्त है। परन्तु नक़ली रेशम उद्योग की प्रतियोगिता के कारण असली रेशम उद्योग को बहुत हानि उठानी पड़ी है। मैं यह नहीं कहता कि नक़ली रेशम उद्योग न रहे। पर मैं यह कहता हूं कि सब से पहले असली रेशम उद्योग की रक्षा करने की आवश्यकता है।

नक़ली रेशम उद्योग को इतना अधिक ऊंची दर के कर लगा कर संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये। इस से न केवल उपभोक्ता पर भार पड़ता है वरन् उसे असली रेशम के उद्योग से प्रतियोगिता करने में भी प्रोत्साहन मिलता है।

क्या हम आयात नियंत्रण द्वारा नक़ली रेशम उद्योग को संरक्षण नहीं दे सकते हैं? इस प्रकार का संरक्षण तो इस उद्योग को कई वर्षों से दिया जा रहा है। कोई कारण नहीं है कि हम अब भी उसे संरक्षण देते रहें और उसे सहायता पहुंचाने के लिये आयात नियंत्रण को काम में न लायें।

असली रेशम उद्योग की दशा संरक्षण, सहायता तथा समर्थन के होते हुए भी बड़ी शोचनीय हो रही है तथा उसे बचाने के लिये यदि और ठोस उपाय न किये गये तो यह उद्योग नष्ट हो जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक इस दिशा में क्या किया गया है? मैं जानता हूं कि रेशम पर्षद् मौजूद है। एक बार भी उस की बैठक नहीं हुई है। संभवतः आगामी मास में उस की बैठक होने वाली है। इस उद्योग के लिये जो निधि दी गई थी उस का उपयोग ही नहीं किया जा सका है। निधि जब्त हो गई है। इस उद्योग के लिए न केवल संरक्षण की आवश्यकता है वरन् और भी उपाय करने आवश्यक हैं। संरक्षण देते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस के द्वारा एक ही उद्योग की दो शाखों में अस्वस्थ्यय प्रतियोगिता को प्रोत्साहन तो नहीं मिल रहा है।

प्लास्टिक उद्योग से भी असली रेशम उद्योग को बड़ी हानि पहुंच रही है। अब लोग प्लास्टिक की साड़ियां, कमीजें इत्यादि पहनने लगे हैं। न कोई योजना है और न कोई नियंत्रण है। हर प्रकार की वस्तुएं बनती हैं जिनसे दूसरें उद्योग नष्ट होते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि प्लास्टिक उद्योग को संरक्षण देने के पहले माननीय मंत्री को यह सारी बातें सोच लेनी चाहियें नहीं तो हम अपने सर पर मुसीबत मोल लेंगे।

बाइस्किल उद्योग को संरक्षण दिया जा रहा है परन्तु इस उद्योग ने कोई उन्नति नहीं की है जिस से कि उसे संरक्षण प्रदान किया जाना सार्थक जान पड़ता। यह उद्योग इतनी साइकिलें भी नहीं बनाता है जिस से कि स्थानीय मांग पूरी हो सके। बनाई गई साइकिलों के गण प्रकार से तथा इस उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था से यही जान पड़ता है कि इस उद्योग का प्रबन्ध न तो उचित रीति से हो रहा है और न वैज्ञानिक रीति से विदेशी विशेषज्ञों से भी इस उद्योग को कोई लाभ नहीं हुआ है। सरकार को चाहिये कि शीघ्र ही इस उद्योग को सुसंगठित करने के उपाय करे।

मंत्री महोदय बहुधा सदन के समक्ष मांग रखते हैं कि संरक्षण की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा दी जावे । पिछले सत्र में भी उन्होंने यही बात कही थी । हम अन्धेरे में भटक रहे हैं; हमें पता नहीं है कि किसी उद्योग विशेष की दशा क्या है, उस का विकास किस स्तर पर है, वह व्यवस्थित रूप से चल रहा है या उस में कुव्यवस्था फैल रही है । जब तक सदन को पूरी स्थिति का ज्ञान न हो सदन कैसे संरक्षण दे सकता है । ऐसा जान पड़ता है कि तटकर आयोग के संचालन में कोई दोष है । या तो उस के पास काम अत्यधिक है, या उस में काम ठीक से होता नहीं है, या कर्मचारियों का अभाव है या तटकर आयोग के सदस्य अयोग्य हैं । अभी उस दिन जब हम कहवा उद्योग के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे तो मंत्री महोदय ने कहा था कि यह विषय तटकर आयोग को नहीं सौंपा जा सकता है क्योंकि यह आयोग इस में बहुत समय लगा देगा । तो फिर तटकर आयोग है किस काम के लिये ? यदि सरकार तटकर आयोग से वह काम नहीं करा सकती है जिस के लिये तटकर आयोग स्थापित किया गया है तो तटकर आयोग का अस्तित्व ही किस काम के लिये है । हमें यह ज्ञात करना आवश्यक है कि आखिर तटकर आयोग के पर्दे के पीछे हो क्या रहा है । हमें यह जानने का अधिकार है कि वह जांच समाप्त क्यों नहीं कर सका और क्यों हमें अपना प्रतिवेदन नहीं देसका में आशा करता हूं कि कदाचित अब माननीय मंत्री भली भांति यह समझ लेंगे कि पूरा विवरण दिए बिना वह सदन से संरक्षण प्रदान करने को कभी नहीं कहेंगे । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं इसे अति आवश्यक समझता हूं । यदि तटकर आयोग से काम नहीं चलता है तो हमें चाहिये कि प्रत्येक उद्योग के लिये अलग अलग समितियां बनायें और उन से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहें ।

श्री जी० पी० नायर : त्रावनकोर-कोचीन के टाइटेनियम उद्योग की कठिनाइयों की ओर सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने पर मुझे हर्ष है । यदि सम्पूर्ण संसार के उत्पादन को देखा जाय तो पता लगेगा कि इस उद्योग पर अंगरेजों का एकाधिकार है क्योंकि इस से सम्बन्धित व्यापार का अधिकांश भाग उस के हाथ में है । त्रावनकोर-कोचीन के खनिज रेत के पर्यवेक्षण से पता लगा था कि उस में इल्मेनाइट है संसार के एकाधिकारी इस बात को सरलता से जान सकते थे कि यदि टाई-टेनियम डाई-आक्साइड बनाने के लिए, जिस-की भारत में तथा उसके बाहर अत्यधिक मांग है, कोई फ़ैक्टरी स्थापित न की गई तो उस के लिए एक विशाल राष्ट्रीय उपक्रम के प्रारम्भ कर दिए जाने की संभावना थी ।

अतः किसी प्रकार सरकार तथा जनता के सहयोग से त्रावनकोर-कोचीन में एक उद्योग स्थापित किया गया किन्तु वह असफल रहा जिसका कारण था उस की अव्यवस्था । अंगरेज कर्मचारी अपना वेतन तथा भत्ता ले लेते थे किन्तु मजदूरों को मजदूरी तक नहीं मिल पाती थी । बाद को अनेक बार मांग किये जाने पर सरकार ने उसको संरक्षण दिये जाने के प्रश्न की ओर ध्यान दिया किन्तु उस में भी सरकार ने यह कर दिया है कि बृटिश निर्माताओं के अतिरिक्त अन्य सभी निर्माताओं को बृटिश निर्माताओं द्वारा बनाये गये टाईटेनियम डाईआक्साइड से १० प्रतिशत अधिक अतिरिक्त शुल्क देना होगा । उस पर भी माननीय मंत्री का यह कथन है कि वह साम्राजीय अधिमान नहीं दे रहे हैं । आप शुल्क में विभेद क्यों करते हैं ? क्या हम इसे साम्राजीय संरक्षण समझें ? इस का निर्णय मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं ।

[श्री वी० पी० नायर]

हम जानते हैं कि आज टाईटेनियम डाई आक्साइड का उपयोग अधिकतर कांच तथा कुम्भकारी की वस्तुओं पर पक्की पालिश करने में किया जाता है। यह न जंग खाने वाले स्टील के बनाने के काम में भी आता है। इसीलिये इस की मांग बढ़ रही है। इतना ही नहीं वरन् टाइटेनियम कारबायड एक बहुत ही आवश्यक अपघर्षी पदार्थ है। वास्तव में यदि देखा जाय तो सरकार ने इतनी लाभदायक वस्तु के प्रति उदासीनता का भाव दिखा कर त्रावनकोर-कोचीन के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है। उद्योग की यह अवस्था शोचनीय कोई शीघ्र निर्णय न किये जाने के कारण हुई है, अन्य किसी कारण से नहीं हुई है। सरकार को कठिनाई के समय इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये। यदि सरकार पहले से ही स्थिति का सामना ठीक प्रकार से करती तो यह स्थिति उत्पन्न ही न होने पाती। मुझे यही प्रसन्नता है कि कम से कम भारत सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन की ओर सदा से रहे उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण में अब कुछ परिवर्तन किया है।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आखिर जूट की गांठों तथा कपास की गांठों को बांधने वाली लोहे की पत्तियों के संरक्षण शुल्कों को भी मूल्यानुसार विभेद क्यों रखा जाता है। बृटिश कम्पनियों द्वारा निर्मित पत्तियों पर शुल्क १० प्रतिशत कम रखा गया है। जब सरकार यह कहती है कि हम अंगरेजों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं करते हैं तो फिर हम इसे क्या कहें? कम से कम एक प्रकार की वस्तुओं में तो ऐसा विभेद नहीं किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ उद्योगों को संरक्षण मिलता रहेगा क्योंकि उन के सम्बन्ध में तटकर आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है। मैं यह कहूंगा कि तटकर आयोग के कुछ सदस्य कभी कभी ऐसे नियुक्त कर दिये जाते हैं जो ५। ता कुछ निर्णय नहीं कर पाते हैं अथवा उन के पास कार्य इतना अधिक रहता है जिस से कि उन्हें इन बातों पर विचार करने का अवसर नहीं मिल पाता है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये। यदि तटकर आयोग स्वयं इस पर कोई निर्णय कर सकता है तो सरकार को चाहिये कि एक ऐसी समिति बनाये जिसमें योग्य व्यक्ति हों जो इस मामले का उचित निर्णय कर सकते हों।

संरक्षित उद्योगों में से धन अभिरक्षण उद्योग भी एक है। मैं इस से सहमत हूं। त्रावनकोर-कोचीन में अनन्नास बहुतायत से होता है किन्तु इस के संरक्षण की वहां कोई भी फ़ैक्टरी नहीं है।

माननीय खाद्य मंत्री का कथन है कि इस उद्योग को भी संरक्षण दिया जायेगा। भारत जैसे विशाल देश को केवल २००० टन अभिरक्षित फलों से क्या लाभ होगा। यह विचारने की बात है।

एल्यूमीनियम उद्योग में भी कई विदेशियों के हित विशेष रूप से निहित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस उद्योग विशेष को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। जब कि उस में भारतीय हितों की अपेक्षा विदेशी हित अधिक है।

इस के पश्चात साइकिल उद्योग को लीजिये। इस में भी सुस्थापित विदेशी सार्थ भारत के किसी उद्योगपति को फ़ुसला कर कारखाना खोल देते हैं और अपने पुराने अनुभव के बल पर अधिकाधिक मुनाफ़ा कमाते हैं। ऐसा वह इसलिये करते हैं क्योंकि अन्य कहीं भी उन को न तो मज़दूर इतने सस्ते मिल सकते हैं और न इतना विस्तृत

बाज़ार ही । ठीक यही बात संसार प्रसिद्ध साइकिल के सब से बड़े निर्माता "रैले" कम्पनी ने की है । मैं किसी भी भारतीय उद्योग को संरक्षण दिये जाने का विरोध नहीं करता किन्तु ऐसे उद्योगों का- ध्यास में अधिकतर विदेशी पूंजी अथवा अन्य साधन लगे हों, संरक्षण देना मैं देश के लिये घातक समझता हूं । चाहे एक दिन के लिये ही संरक्षण क्यों न दिया जाये फिर भी वह भारतीय उद्योग के विकास के लिये खतरनाक ही सिद्ध होगा ।

भारत में मुलायम लकड़ी तथा पेंसिल बनाने का मसाला सम्पूर्ण संसार से सस्ता है फिर भी भारतीय पेंसिलों का मूल्य विदेशी पेन्सिलों से कम नहीं होता है । भारत सरकार भी अपनी आवश्यकता के लिये यहां पर बनी पेन्सिलें क्रय नहीं करती है, वरन् आयात की गई पेन्सिलों का ही उपयोग करती है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वे पुराने स्टाक की हैं ।

श्री वी० पी० नायर : पेन्सिलों के बहुत से कारखाने बंद हो गये हैं यद्यपि उन के बनाने के सभी साधन यहां उपलब्ध हैं । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि भारत में पेन्सिल बनान के कितने कारखाने हैं तथा पिछले दो या तीन वर्षों में कितने कारखाने बन्द हो गये हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अब इसके लिये संरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि पहले दिया गया संरक्षण ३१ ५/८ प्रतिशत था। अब शुल्क बढ़ा कर ६६ २/३ प्रतिशत कर दिया गया है । अतः इस उद्योग को संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : जापान युद्ध से पूर्व दो पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से सर्वोत्तम पेन्सिलें बनाता था । कुछ देश अब भी इतना शुल्क देकर अपने देश की बनी पेन्सिलों को भारत में निर्यात कर के भारतीय निर्माताओं को निर्माण क्षेत्र से बाहर कर देने की क्षमता रखते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस को रोकने के लिए हमारे पास अन्य उपाय हैं ।

श्री वी० पी० नायर : जब तक इस के लिये कुछ और नहीं किया जायेगा तब तक केवल ऐसे संरक्षण शुल्क से ही उद्योग की रक्षा नहीं की जा सकती ।

इसी प्रकार पार्कर क्वीन्क फाउन्टेनपेन स्याही उद्योग भी मद्रास में कहीं पर स्थापित किया गया है । माननीय मंत्री बता रहे थे कि हम लोग स्वयं भारतीय वस्तुओं को पसन्द नहीं करते हैं । अब जबकि यह उद्योग कुछ उन्नति कर गया है तो विदेशियों ने यहां अपना अधिकार जमा लिया है और पार्कर क्वीन्क फाउन्टेपेन स्याही बाजार में चलेगी तथा भारतीय स्याही को संरक्षण न मिलने के कारण कोई पूछेगा भी नहीं । इस बात पर माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा ध्यान-पूर्वक विचार किया जाना चाहिये था ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : चाहे कुछ भी हो किन्तु टटकर आयोग पर विलम्ब के लिये माननीय सदस्य का अपराध लगाना उचित नहीं है क्योंकि उस के पास अत्यधिक कार्य होने के कारण जांच कार्य पूरा नहीं किया जा सका है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ने यह कभी नहीं कहा । मैंने केवल यह कहा था कि माननीय सदस्य ने कहा था कि ऐसा होना असम्भव है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : सरकार ने जिन २५ वस्तुओं को और संरक्षण दिया है, उस के लिये मैं उसे बधाई देता हूं । सरकार

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

ने कुछ नये उद्योगों को भी संरक्षण दिया है जिन में कुछ छोटे पैमाने के तथा कुछ कुटीर उद्योग भी हैं। साबूदाना तथा टैपिओंका को ही लीजिये जिन के अनेक कारखाने सलेम में हैं। पहले साबूदाना मलाया से आता था। यह हमारे यहां का मुख्य भोजन है। अतः इस उद्योग ने सलेम ज़िले में उन्नति की तथा इस उद्योग के लिये अपेक्षित टैपिओका भी वहीं बहुतायत से होता है। बाद को साबूदाने का आयात फिर होने लगा तथा अनेक कारखाने बन्द कर देने पड़े। पहले तो कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण इस की फसल अच्छी नहीं हुई जिस के परिणामस्वरूप कई कारखाने बन्द हो गये थे। अब वर्षा ठीक होती है अतः यह उत्पादन एक साधारण स्तर तक अवश्य होता रहेगा। अब इस को संरक्षण देने से इस के उत्पादन में वृद्धि होगी। अब नकली चावल बनाने की योजना भी है। इसे संरक्षण देने से त्रावनकोर-कोचीन के मेरे मित्र संभवतः यह समझ सकते हैं कि कदाचित इस का उल्टा प्रभाव पड़े क्योंकि वहां के गरीब लोगों का यह मुख्य भोजन है। उन्हें किसी प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि हम मद्रास के दक्षिणी ज़िलों में टैपिओका के उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ायेंगे।

संरक्षण दिया गया दूसरा उद्योग, जिस में मुझे अधिक रुचि है वह है नकली रेशम तथा रेशमी कपड़ा। यह उद्योग भी एक कुटीर उद्योग और ग्रामों से सम्बन्धित है। सरकार का इन वस्तुओं के लिये एक और वर्ष का संरक्षण काल बढ़ा देना उचित तथा ठीक है।

दूसरी ओर के सदस्य महोदय फल-परिरक्षण के संरक्षण को बढ़ाने की आलोचना कर रहे थे। मेरा मत यह है कि यह संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह नवीन उद्योग है और इस की प्रगति को सहायता देने के लिये संरक्षण जारी रखना बहुत आवश्यक है। मेरे विचार में इतना पर्याप्त नहीं है। आगामी वर्ष जब वे दूसरे विधेयक को प्रस्तुत करेंगे, तो संरक्षण को बढ़ाना पड़ेगा। इस के साथ ही मैं सरकार पर इस बात का भी जोर दूंगा कि जहां फल अधिक होते हैं, वहां फल-परिरक्षण उद्योग को विकसित करना चाहिये, जैसे सलेम में, जहां के आम विश्व भर में विख्यात है। यहां के आम स्वादिष्ट, मीठे और रस से भरपूर होते हैं। यद्यपि आम एक ऋतु में ही होते हैं और इस काल उद्योग सामयिक होगा, तो भी आम के परिरक्षण के लिये सलेम में एक कारखाना स्थापित करना चाहिये। अन्य वस्तुओं जैसे लालटेनें और सीने की मशीनें तथा बिजली की मोटरें आदि के उद्योगों को सहायता की आवश्यकता है। मैं सरकार को इस विधान को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं।

डा० एम० एम० दास : त्रावणकोर-कोचीन के श्री नायर ने साइकिल उद्योग को संरक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार की आलोचना की है। उन्हों ने सेन-रेले कम्पनी का वर्णन किया, जो पश्चिम बंगाल में, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में है। मेरा निवेदन यह है कि देशी तथा विदेशी सार्थ के बीच करार और सम्बन्ध की सब बातों को जाने बिना ही यह कह देना उचित नहीं है कि सारी पूंजी विदेशों से आती है। अन्य देशों के कारखानों की तुलना में यह कारखाना अशक्त नहीं है। भारत में यह कारखाना ऐसा है, जिस के लिये सरकार द्वारा संरक्षण देना वांछनीय है। यदि त्रावणकोर-कोचीन में टिटेनियम डाइआक्साइड बहुत पैदा होता है तो पेंट करने के कारखानों में इस का अधिकतर प्रयोग हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। यदि वे ऐसा अनुभव करते हैं कि

इस के बारे में ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण उन को हानि होती है, तो हमारे राज्य को भी उन विदेशी रंग बनाने वालों के हाथों हानि होती है जो इस टिटेनियम आक्साईड का प्रयोग करते हैं। ट्रावनकोर टिटेनियम डायोक्साइड उत्पाद कारखाना सीमित कुछ वर्ष हुए ही खोला गया था। इस का वार्षिक उत्पादन लगभग १८०० टन प्रति वर्ष है, जब कि वाणिज्य मंत्री के कथनानुसार देश के लिये इस की मांग ५०० टन प्रति वर्ष है। हमारी जानकारी के अनुसार यह मांग ५०० टन से भी कम है।

इस कारखाने ने १९५१ के उत्तरार्ध में उत्पादन प्रारम्भ किया और केवल १५० टन तथा १९५१ के पहले छः महीनों में २३२ टन पैदा किया। इस का कारण यह था कि इसके मैनेजिंग एजेंट विदेशी हैं, जिन का स्वार्थ आयात करने में था। अतः यह कारखाना बन्द करना पड़ा था।

माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि टिटैनियम डायोक्साइड को विकल्प लिथोफोन, जिंक औक्साइड तथा सफेदा है। इस विधेयक में इस धातु पर संरक्षण शुल्क लगाया गया है। जब इस का विकल्प वर्तमान है, तो इस अकेले पर शुल्क लगाने से यह कैसे बच सकती है। अतः इस की वैकल्पिक धातुओं पर भी शुल्क लगना चाहिए, तभी यह उद्योग बचाया जा सकता है। मैं ने सदन को बतलाया है कि इस के मैनेजिंग एजेंट विदेशी हैं। उन का स्वार्थ इस बात में है कि विदेश से टिटेनियम डायोक्साइड मंगवाएं। इस कारखाने के बन्द होने के पश्चात उन्होंने रंग बनाने वालों को इस कारखाने से यह वस्तु देने से इन्कार कर दिया। भला दो तीन महीनों में सारा डायोक्साइड कहां चला गया, यह आश्चर्य की बात है।

इस अकेले पदार्थ पर संरक्षण शुल्क लगा कर सरकार अपने उद्देश्य में सफल न हो सकेगी। इस के सब वैकल्पिक विदेशी पदार्थों पर भी शुल्क लगाना चाहिये, अर्थात् लिथोकोन, सफेदे इत्यादि पर।

रेशम उद्योग के सम्बन्ध में मैं सदन में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रेशम इत्यादि पदार्थों के बने हुए कपड़े को "अकृत्रिम रेशम" नहीं कहना चाहिये, क्योंकि इस से लोगों के मन पर गलत प्रभाव पड़ता है, और वे धोखा खा जाते हैं। रेशम धोया जा सकता है, अधिक देर चलता है, परन्तु रेशम धोने से खराब होता है। अतः इस के "अकृत्रिम रेशम" नाम पर पाबन्दी लगानी चाहिये। अतः इस उद्योग के लिए केवल संरक्षण ही पर्याप्त नहीं, अपितु अन्य साधन भी अपनाने चाहियें।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि टिटैनियम डायोक्साइड पर संरक्षण शुल्क लगा कर उद्योग की सहायता की जा रही है। अब इस त्रिवेंद्रम के कारखाने को पुनः शुरू किया जा रहा है, उद्योग की निरर्भता के आधार पर नहीं, बल्कि निर्वाचन में कांग्रस के लिए मत लेने के लिए। अस्तु, मुझे प्रसन्नता है कि यह कारखाना पुनः खोला जा रहा है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सार्थ के पास आर्डर हैं, जिन के कारण कारखाना साल भर तक चलता रहेगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : परन्तु यहां तो मूल्य और लाभ पर चलते रहने का प्रश्न है। हम सब लोगों ने अभ्यावेदन दिये। इस समय का नियंत्रण ब्रिटिश टिटेनियम कम्पनी के निदेशक द्वारा किया जाता है। इसीलिये उन्हों ने व्यर्थ की मशीनें मंगवाईं, जो रुटाइल टिटैनियम डायोक्साइड पैदा नहीं कर सकतीं। इसी कारण इस कम्पनी ने १ ५

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

लाख रुपये का ऋण मांगा था, जिसे औद्योगिक वित्त निगम ने मंजूर कर दिया । रुटाइल यंत्र से भी ब्रिटिश हितों का संरक्षण होगा और कारखाने को कोई लाभ नहीं हो सकता । यदि किसी देश के विषय में भेद करना चाहिये था, तो ब्रिटेन के साथ करना आवश्यक है । टिटैनियम डायोक्साइड के विषय में अन्य किसी देश की अपेक्षा ब्रिटेन पर दुगना शुल्क लगाना चाहिये । २५$^{1}/_{5}$ मूल्यतः शुल्क उद्योग का संरक्षण नहीं कर सकेगा । जब तक शुल्क नहीं बढ़ाया जाता और ब्रिटिश कम्पनी से प्रबन्धक अभिकरण का पद नहीं छीना जाता, तब तक कम्पनी को लाभ नहीं हो सकता ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात सागूदाने के संबंध में है । १०९ कारखाने चल रहे हैं, जिनमें टेपिओका का प्रयोग किया जाता है । टपिओका के अधिक खरीदे जाने के कारण इस का मूल्य बढ़ गया है, और करोड़ों की संख्या में जनता, जो इसी पर आश्रित है, पीड़ित हो रही है । यदि इस पर संरक्षण शुल्क नहीं लगाया जाता, तो बाहर से खाद्य सामग्री आएगी, और इस का मूल्य गिर जाएगा । परन्तु यदि टेपिओका के विषय में रोक न लगाई गई, तो लाखों लोगों की अवस्था शोचनीय हो जाएगी । अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस स्थिति पर विचार करें। सागूदाना उद्योग को प्राथमिकता और संरक्षण शुल्क क्यों प्रदान किया जाय ? देश में सागूदाने का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो रहा है । हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात बाहर भी भेज सकते हैं । परन्तु दूसरी ओर टेपिओका के सागूदाना बनाए जाने के कारण टेपिओका का मूल्य बढ़ रहा है, जिसे साधारण जनता सहन नहीं कर सकती । अतः सागूदाने के अधिक उत्पादन को रोक कर टेपिओका जनता के खाने के लिये छोड़ना चाहिये । यह ऐसा मामला है कि माननीय मंत्री जी को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

टिटैनियम डायोक्साइड पर शुल्क अधिक लगाना चाहिये, तथा ब्रिटिश कम्पनी के प्रबन्ध अभिकरण से कम्पनी को छुटकारा दिलाना चाहिये । इस के अतिरिक्त टेपिओका का मूल्य भी बढ़ने नहीं देना चाहिये ।

सभापति महोदय : कल अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर वाद विवाद होगा ।

श्री भगवत झा आजाद : श्री वी० वी० नायर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए । परन्तु उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बतलाई कि समस्या को कैसे हल किया जाए । श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान नहीं रखती ।

सामान्यतः विदेशी पूंजी और उपभोक्ताओं के हितों की दलीलें दी जाती हैं । इस ओर भी उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य वर्तमान हैं । मैं देखता हूं कि इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है, जिस का विरोध किया जाए । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, जिस में कुछ उद्योगों को संरक्षण देने, और कुछ से संरक्षण हटाने का विचार किया गया है । जिन उद्योगों को संरक्षण दिया जा रहा है या संरक्षण बढ़ाया जा रहा है, वे देश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

विदेशी पूंजी को लाने के हक में मैं भी नहीं हूं । और जब अपने ही राष्ट्रजनों सु इन उद्योगों में लगाने के लिये रुपया आ रहा ह, तो उसे संरक्षण देना चाहिए । परन्तु

यदि अपने राष्ट्रजन राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों में रुपया नहीं लगाते, तो विदेशी पूंजी के आने में भी कुछ हानि नहीं, और उसे भी सीमित संरक्षण देना चाहिये । रूस ने भी अपनी प्रारम्भिक बुरी अवस्था को सुधारने के लिये विदेशी पूंजी को आने की अनुमति दी थी । रूस ने प्रारम्भिक दिनों में विदेशी पूंजी उधार भी ली थी, संभवतः ४० करोड़ ।

अतः मैं अनुभव करता हूं कि ये संशोधनीय विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत किये गये हैं, इतने सीधे और न्यायपूर्ण हैं, कि हम सब को पूरे दिल के साथ इन का समर्थन करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान् जैसा कि मैं ने दूसरे विधेयक के सम्बन्ध में कहा, हम राष्ट्रीय उद्योगों को संरक्षण देने की नीति का समर्थन करते हैं परन्तु संरक्षण देने का केवल यही आधार होना चाहिये कि इस से देश के औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी ।

दूसरे विधेयक पर जो चर्चा हुई उस के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि विदेशी पूंजी की कुछ न कुछ मात्रा देश में आनी चाहिये । यदि हमारी वर्तमान सरकार अनुभव करती है कि देश में पूंजी की कमी है और विदेशी पूंजी आनी चाहिये तो यह विदेशी पूंजी उन्हीं उद्योगों के लिये आनी चाहिये जिन के लिये देशी पूंजी प्राप्य नहीं । हमें यह देखना चाहिये कि विदेशी पूंजी का कितना भाग हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा देश के औद्योगीकरण में लगाया जाता है ।

संरक्षण दी जाने वाली वस्तुओं की सूची में एक वस्तु कोको पाऊडर तथा चाकोलेट है । हमारे बच्चे चाकोलेट के बिना भी निर्वाह कर सकते थे । और फिर इस उद्योग में भी हमारे देश में केडबरी नामक प्रसिद्ध समवाय ने अपना कारखाना खोला है । अब हमारे छोटे तथा बड़े पैमाने के राष्ट्रीय उद्योगों को इस प्रतियोगिता का मुकाबला करना पड़ेगा ।

सूती कमरबन्द के उद्योग को लीजिये । पश्चिमी बंगाल में दो ऐसे उद्योग हैं । और सुना जाता है कि अब डनलप समवाय को भी यह कमरबन्द बनाने की अनुमति दी गई है । हो सकता है कि यह रबड़ के कमरबन्द बनायेंगे, परन्तु स्वयं तटकर आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि देश में जब मांग भी हो तब भी निर्माण सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं होता है । यदि मांग पूरी करने का सामर्थ्य न होता तब तो यह बात समझी जा सकती थी ।

शीशे की चादरें बनाने के कारखानों के बारे में मुझे यही बात प्रतीत होती है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि शीशे की चादरें बनाने वाले व्यवसाय संघ भारत में हैं परन्तु फिर भी हमारे यहां हिन्दुस्तान निगम नामक एक भारतीय तथा विदेशी मिश्रित समवाय है । इन समवायों को बड़े पैमाने के व्यवसाय संघ चलाने का अनुभव है और प्रशासनिक योग्यता भी; और यह राष्ट्रीय पूंजी की सहायता ले कर यहां आ कर कदाचित यहां के सस्ते श्रम से लाभ उठा कर देशी निर्माताओं से मुकाबला करते हैं । यह लोग राजस्व विषयक कानूनों तथा संरक्षण का लाभ उठाते हैं । यदि यह बात मान भी लें कि जहां देशी पूंजी प्राप्त नहीं वहां विदेशी पूंजी की कुछ मात्रा लानी ही पड़ती है, फिर भी हमें यह देखना चाहिये कि ऐसा केवल उन उद्योगों के बारे में किया जाय जिन के लिये देशी पूंजी प्राप्य नहीं या जो अधिकतम उत्पादन करने पर भी मांग पूरी नहीं कर सकते । परन्तु हम देखते हैं कि स्थिति इस के विपरीत है । यह राष्ट्रीय

[श्री के० के० वसु]

उद्योग जो हैं उन की क्षमता इतनी है कि वह सारी मांग पूरी कर सकें। इस बात की ओर विशेष ध्यान दे कर संरक्षण दिया जाना चाहिये।

बिजली के होल्डर बनाने वाले कार खानों को लीजिये। मुझे मालूम है कि पश्चिमी बंगाल में कई मध्यम-प्रकार के व्यवसाय संघ हैं जो इन का निर्माण करते हैं। परन्तु फिर भी बामर लारी तथा सीमेंस लिमिटेड दो समवायों को यहां निर्माण करने की अनुमति दी गई है। इन में से एक अंग्रेज़ी और दूसरा जर्मन समवाय है। तो हम संरक्षण किस का दे रहे हैं? संरक्षण का तो केवल यही एक प्रयोजन होना चाहिये कि हमारे देशी उद्योगो को सहायता मिले। यही हाल लोहा तथा इस्पात कारखानों का है। चाय की पेटियों की भी स्थिति देखिये। चाय बागान के अंग्रेज़ स्वामी भारत में निर्मित पेटियों को लेने की अपेक्षा विदेशों से पेटियां मंगाना अच्छा समझते हैं। सरकार द्वारा कानून बना कर शुल्क लगाने का कोई अभिप्राय नहीं। हमें देखना चाहिये कि उद्योगों को वास्तविक संरक्षण मिले और ऐसे हालात बनाये जायें कि उन का विकास हो।

अलोह-धातुओं की दशा देखिए। कहा जाता है कि हम तांबे के सामान का निर्माण करते हैं परन्तु हमें मालूम नहीं कि यह पर्याप्त है या नहीं। पर्याप्त नहीं होगा, परन्तु एक बात तो स्पष्ट है, और वह यह कि इस का खनन विदेशी स्वार्थों द्वारा किया जाता है। और साथ ही हमारे यहां भारतीय तांबा निगम है। हम यह जानना चाहते ह कि क्या सरकार देश की खनिज सम्भावनाओं की खोज कर रही है और उन का विकास करने का प्रयास कर रही है। एक या दो वर्ष के लिये संरक्षण देने से आप यह समस्या हल नहीं कर पायेंगे।

एल्यूमीनियम उद्योग में अभी भी बहुत विदेशी स्वार्थ हैं। हम कहां तक अपनी क्षमतापूर्ण उत्पादन प्रणाली तथा सस्ते श्रम का शोषण होने देंगे? हमारे देश में अच्छे तथा उपयोगी विद्युत इंजन बनाने वाले कई निर्माता हैं परन्तु फिर भी बामर लॉरी समवाय ने हमारे बाज़ार में आ कर हमारे राष्ट्रीय उत्पादन को अभिभावित किया है। स्थिति यह है कि पुर्ज़े आयात करने पड़ते हैं। परन्तु कोई संरक्षण नहीं है। यह बड़े व्यवसाय संघ पुर्ज़े आयात कर के हमारे सस्ते श्रम तथा यहां के हालात से लाभ उठाते हैं। इसलिये जब तक सरकार अपनी नीति न बदले, इस प्रकार एक बार, दो बार या तीन बार संरक्षण दे कर यह समझना कि हम ने अपना कर्तव्य किया है एक भूल है। इस से काम नहीं चलेगा।

साइकिल उद्योग में सरकार का कितना भी स्वार्थ हो, विदेशियों का इस में हाथ है ही। बिहार तथा अन्य स्थानों से शिकायतें आई हैं कि वहां के समवाय अपने उत्पादों का विक्रय नहीं कर पाते। मैं समझता हूं कि जब हमारा औद्योगिक उत्पादन कम हो अथवा हमारे औद्योगिक विकास की गति मन्द हो तो हमें विदेशी मंत्रणादाता चाहिये। परन्तु मंत्रणादाता ही चाहियें, स्वामी नहीं। वह मंत्रणादाता हमारी शर्तों तथा निबन्धनों पर आने चाहियें। मैं फिर इसी बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि हमें एक ठोस नीति अपनानी चाहिये।

पेंसिल तथा फाउंटेनपेन की स्याही के उद्योग देखिये। १९३०, १९३२ में जब हम प्रथम कक्षा में पढ़ते थे और गांधी जी क्षेत्र में आये तो हम स्वदेशी पेंसिलें ही खरीदा करते थे। स्वदेशी आन्दोलन ने इतना ज़ोर पकड़ा कि जनता टाट जैसा मोटा कपड़ा पहनने लगी ताकि हमारे वस्त्र उद्योग को

प्रोत्साहन मिले । और आज हम निर्यात करते हैं । वह भावना और वह उत्साह कहां गया ? आज मंत्री महोदय कहते हैं कि लोग विदेशी वस्तुएं पसन्द करते हैं । ऐसा क्यों ? जब जापान तथा जर्मनी की बनी पेंसिलें सस्ते दाम पर मिलती हैं तो यह संरक्षण क्यों जारी रखा जाये ? फाउंटेनपेन की स्याही का उद्योग है । गत दो सप्ताह से प्रति दिन हमारे पास अभ्यावेदन आते हैं । देश के जिस भाग में मैं रहता हूं वहां ७५ वर्ष पुराना एक समवाय है । इस समवाय की शिकायत यह है कि यह अच्छे गुण-प्रकार की स्याही का निर्माण इस कारण नहीं कर सकता कि इसे इस उत्पाद के लिये कुछ द्रव्य विदेशों से आयात करने की अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती है और दूसरी ओर हम पार्कर समवाय को यहां अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे रहे हैं जिस से कि विद्यमान भारतीय निर्माता भी क्षेत्र में से धकेल दिये जायेंगे । हो सकता है कि हम देश की आवश्यकतानुसार पूरा उत्पादन न कर सकें । उस दशा में किसी निश्चित मात्रा के आयात की अनुमति दीजिये ताकि हमारे अपने उद्योग भी प्रगति कर सकें ।

कई रसायन हैं जिन का निर्माण केवल टाटा करते हैं । ऐसे मामलों में सरकार को देखना चाहिये कि यह लोग सरकार द्वारा दिये गये संरक्षण से उचित लाभ उठाते हैं कि नहीं । चीनी उद्योग को गत २२ वर्ष से संरक्षण दिया जा रहा है और फिर भी यह अभी आत्म-निर्भर नहीं । इसलिये हमारी यह भावना है कि सरकार को कोई उचित ठोस नीति अपनानी चाहिये ।

परिरक्षित खाद्यपदार्थ उद्योग की भी यही अवस्था है । माननीय रक्षा मंत्री ने कल बताया कि हमें अभी रक्षा सेवाओं के लिये परिरक्षित खाद्य पदार्थ विदेशों से मंगाने पड़ते हैं । इस के बारे में एक वर्ष के लिये संरक्षण देने का सुझाव है क्योंकि तटकर आयोग का प्रतिवेदन तैयार नहीं । मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि जहां भी संरक्षण दिया जाना है, चाहे मात्रा प्रतिबन्धित की जाये या और कुछ किया जाये, नीति इतनी स्पष्ट तथा ठोस होनी चाहिये कि स्वदेशी की भावना बढ़ जाये । नहीं तो हमारे उद्योगों का भविष्य कुछ नहीं होगा ।

श्री करमरकर : सभापति महोदय . . .

सभापति महोदय : सदन की बैठक अब कल डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित होगी ।

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि मेरा भाषण आज ही आरम्भ हुआ है ।

सभापति महोदय : हां ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।